SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

परियोजना आयात योजना
पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन

SURJITH K
Digitally signed by SURJITH K
Date: 2026.08.11 11:18:07 +05'30'

संघ सरकार

राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर - सीमा शुल्क)

वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या 27

(निष्पादन लेखापरीक्षा - सिविल)

परियोजना आयात योजना
पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन

संघ सरकार
राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर - सीमा शुल्क)
वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या 27
(निष्पादन लेखापरीक्षा - सिविल)

(लोकसभा/राज्य सभा के पटल पर ....को प्रस्तुत किया गया)

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय		पृष्ठ
1	प्राक्कथन		i
2	कार्यकारी सारांश		iii से ix
3	शब्दों एवं संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली		xi से xii
4	अध्याय I:	परियोजना आयात योजना की सामान्य रूपरेखा	1-7
5	अध्याय II:	परियोजना आयात योजना में प्रक्रियात्मक पर्याप्तता की समीक्षा	9-40
6	अध्याय III:	परियोजना आयात योजना के अंतर्गत आयात की सुविधा के लिए व्यापार सुगमता की पहल	41-51
7	अध्याय IV:	निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण	53-66
8	परिशिष्ट एवं विवरणियां		67-85

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 'आयात परियोजना योजना' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण, वे हैं जो वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान आयोजित परीक्षण लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और इसमें अप्रैल 2019 से मार्च 2024 की अवधि के संव्यवहार सम्मिलित हैं।

यह लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में वित्त मंत्रालय (वि.मं.), राजस्व विभाग (रा.वि.) एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सहयोग के प्रति आभार प्रकट करती है।

कार्यकारी सारांश

निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में

परियोजना आयात (पीआई) योजना को नए औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना या औद्योगिक संयंत्रों की 25 *प्रतिशत* से अधिक क्षमता के व्यापक विस्तार के लिए मशीनरी, घटकों और कच्चे माल का रियायती शुल्क पर आयात की त्वरित सुविधा हेतु डिज़ाइन किया गया है। इस योजना का लक्ष्य वर्गीकरण एवं मूल्यांकन की एक सरल प्रक्रिया प्रदान करके आयात के सुचारू एवं त्वरित निर्धारण के उद्देश्य को प्राप्त करना है।

इस योजना के अंतर्गत, किसी परियोजना के लिए आयातित सभी वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के एक अध्याय शीर्षक 9801 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है एवं उनका निर्धारण एक समान सीमा शुल्क दर पर किया जाता है, भले ही अन्य शीर्षकों में इन वस्तुओं को अधिक विशिष्ट रूप से सम्मिलित किया गया हो। यह योजना औद्योगिक संयंत्र, सिंचाई परियोजना, विद्युत परियोजना, खनन एवं तेल/खनिज अन्वेषण परियोजना जैसे निर्दिष्ट क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।

परियोजना आयात योजना मुख्य रूप से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) 9801 एवं अध्याय 98 के नोट्स; परियोजना आयात विनियम (पीआईआर.), 1986; सामान्य छूट अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा शुल्क एवं 21/2012-सीमा शुल्क दिनांक 17 मार्च 2012 द्वारा शासित है।

परियोजना आयात के लिए सरलीकृत प्रक्रियाओं, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन एवं आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता में सहयोग करने के लिए वैधानिक प्रावधानों की पर्याप्तता का आकलन करने हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा में बंदरगाह स्तर पर परियोजना आयात योजना की संविदाओं के पंजीकरण, आयातीकरण तथा अंतिम रूप देने, से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया।

यह लेखापरीक्षा वि.व. 2019-20 से विव 2023-24 की अवधि के लिए की गई थी। महानिदेशक प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि के दौरान परियोजना आयात योजना के अंतर्गत कुल 485 संविदाएं पंजीकृत की गई थीं, जिनका सीआईएफ मूल्य ₹ 1.34 लाख करोड़ था। इस योजना के अंतर्गत कुल ₹ 10,567.09 करोड़

का राजस्व एकत्र किया गया एवं इस योजना के अंतर्गत रियायती निर्धारण के रूप में परित्यक्त सीमा शुल्क ₹ 6,704.55 करोड़ था।

34 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में कुल 1,467 परियोजना आयात पंजीकरणों में से 915 मामलों (62.37 *प्रतिशत*) का नमूना तीन श्रेणियों से लिया गया था, अर्थात् अंतिम रूप (421 मामले) दिए गए, चल रहे (449 मामले), 18 आयुक्तालयों से पंजीकरण किया गया लेकिन कोई आयात नहीं किया गया (45 मामले)। कुल 915 चयनित मामलों में से, नौ आयुक्तालयों से संबंधित ₹15,818.11 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाले 139 मामलों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

वि.व. 19-20 से वि.व. 23-24 की अवधि के दौरान पंजीकृत संविदाओं की संख्या एवं संविदाओं के सीआईएफ मूल्य दोनों में गिरावट देखी गई। इन वर्षों में योजना के अंतर्गत पंजीकृत नई संविदाओं के अनुपात में 78.10 *प्रतिशत* एवं संविदाओं के मूल्य में 77.45 *प्रतिशत* की कमी आई थी। जिसका मुख्य कारण पिछले 15 वर्षों के दौरान शुल्क संरचना में सरलीकरण/संशोधन एवं औद्योगिक संयंत्र या परियोजना की स्थापना के लिए आवश्यक वस्तुओं की श्रेणियों में शुल्क की कम दरें होना है। सभी पात्र क्षेत्रों में, इस अवधि के दौरान परियोजना आयात में विद्युत क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा था।

प्रतिवेदन की संरचना

इस प्रतिवेदन में 36 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ एवं 11 अनुशंसाएँ शामिल हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा में ₹2,979.33 करोड़ वाली प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के साथ साथ ₹ 128.58 करोड़ का राजस्व निहितार्थ है। 28 पैराओं में सीबीआईसी एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं, जिन्होंने लेखापरीक्षाओं के परिणामों को पूरी तरह/आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। शेष आठ पैराओं में प्रतिक्रिया प्रतीक्षारत् है। इसी तरह, कुल 11 में से नौ अनुशंसाओं को सीबीआईसी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, एवं दो अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं किया गया है।

यह प्रतिवेदन चार अध्यायों में विभाजित है। अध्याय I इस निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्र, नमूने, लेखापरीक्षा मानदंड एवं लेखापरीक्षा पद्धति के साथ परियोजना आयात योजना की सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अध्याय II से IV में परियोजना आयात योजना में प्रक्रियात्मक पर्याप्तता की समीक्षा, योजना के अंतर्गत व्यापार में सुगमता के उपायों एवं निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रणों से संबंधित लेखापरीक्षा परिणाम,निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ, सम्मिलित हैं। निष्पादन समीक्षा के प्रमुख परिणामों को अनुवर्ती पैराग्राफों में उजागर किया गया है।

लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश

अध्याय II: परियोजना आयात योजना में प्रक्रियात्मक पर्याप्तता की समीक्षा

इस अध्याय में, लेखापरीक्षा ने योजना के मौजूदा वैधानिक प्रावधानों की समीक्षा और बाद की अधिसूचनाओं, अनुपालन अनियमितताओं एवं विनियामक प्रावधानों में स्पष्टता की कमी से उत्पन्न होने वाली विभिन्न अस्पष्टताओं की पहचान की। इस अध्याय में 21 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ शामिल हैं जिनमें ₹125.58 करोड़ के राजस्व निहितार्थ, ₹2,112.78 करोड़ की प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के साथ-साथ पाँच अनुशंसाएँ भी शामिल हैं।

परियोजना आयात विनियम (पीआईआर), 1986, परियोजनाओं के पंजीकरण या पंजीकृत संविदाओं के अंतर्गत आयात को पूरा करने के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। परिभाषित समय सीमा का अभाव परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची को प्रभावित करता है, प्रक्रियात्मक अक्षमताओं को दर्शाता है एवं आयात अनुपालन पर नियंत्रण को भी कमजोर करता है, तथा संभावित रूप से शुल्क अपवंचन, माल का गैर-लेखांकन एवं सरकार के राजस्व का नुकसान हो सकता है।

(पैरा 2.1 एवं 2.2)

गैर-अनुसूचित परियोजनाओं एवं अपात्र मशीनरी/वस्तुओं को परियोजना आयात लाभों का विस्तार, निर्धारण चरण में परियोजना पात्रता के सत्यापन में कमियों एवं अधिसूचना प्रावधानों के अननुपालन से राजस्व की हानि को दर्शाता है।

(पैरा 2.4 एवं 2.7)

अंतिम रूप दिये गए 383 परियोजना आयात मामलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आठ आयुक्तालयों के 57 मामलों में, अनिवार्य संस्थापना प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना, निर्धारित संयंत्र स्थल सत्यापन (पीएसवी) का संचालन किए बिना एवं अन्य निर्धारित दस्तावेज जैसे कि मिलान विवरण, बिल ऑफ एंट्री की प्रतियाँ, इनवॉइसों एवं अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना संविदाओं को अंतिम रूप दिया गया था। संविदाओं को अंतिम रूप देने में ये कमियाँ, परियोजना आयात विनियम (पीआईआर) एवं सीमा शुल्क कानून नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन न करने का संकेत देती हैं।

(पैरा 2.11 एवं 2.12)

अध्याय III: परियोजना आयात योजना के अंतर्गत आयात की सुविधा के लिए व्यापार सुगमता की पहल

इस अध्याय में, लेखापरीक्षा ने व्यापार सुविधा के प्रमुख पहलुओं की जांच की, जिसमें कार्गो के रुकने का समय, प्रलेखन आवश्यकताएं, निर्धारण एवं संविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए लिया गया समय एवं संव्यवहार लागत शामिल हैं। इस अध्याय में छः लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ हैं जिनका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है एवं इसमें दो अनुशंसाएँ शामिल हैं।

लेखापरीक्षा में परियोजना आयात योजना (पीआई) के अंतर्गत माल की निकासी में पर्याप्त विलंब देखा गया, जो प्रक्रियात्मक सरलीकरण एवं त्वरित कार्गो ढुलाई के उद्देश्य के विरुद्ध है। इस तरह का विलंब 3 से 1,149 दिनों तक परियोजना आयात ढांचे के भीतर समन्वय, दस्तावेज़ प्रसंस्करण एवं प्रणाली-स्तरीय अनुमोदन में अक्षमताओं की ओर इशारा करता है। निर्धारित समय-सीमा का पालन न करने से परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (एनटीएफएपी) के अंतर्गत परिकल्पित लक्ष्यों को कमजोर करता है, जिससे व्यापार में सुगमता प्रभावित होती है।

(पैरा 3.1)

परियोजना संविदाओं के पूरा होने के बाद भी बिल ऑफ एंट्री को अंतिम रूप देने में विलंब देखा गया एवं विसंगतियां, जो पश्च-निकासी निगरानी में कमियों एवं परियोजना पंजीकरण एवं संबंधित आयात दस्तावेजों के मध्य अभिलेखों के अपर्याप्त अनुबंधन का संकेत देती हैं। इसके अलावा, परियोजना संविदाओं को अंतिम रूप दिए बिना बिल ऑफ एंट्री को समय से पहले अंतिम रूप देने के उदाहरण भी देखे गए, जो कमजोर आंतरिक नियंत्रण एवं निर्धारण एवं परियोजना निगरानी अनुभागों के मध्य समन्वय की कमी की ओर इशारा करते हैं।

(पैरा 3.3)

अध्याय IV: निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण

हालांकि सीमा शुल्क विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज प्रणाली के माध्यम से अपने प्रचालनों को कम्प्यूटरीकृत किया है, निष्पादन लेखापरीक्षा ने अनंतिम निर्धारण एवं परियोजना आयात संविदाओं को अंतिम रूप देने के साथ-साथ पर्यवेक्षण तंत्र एवं आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता में प्रणालीगत समस्याओं की पहचान की। इस अध्याय में चार अनुशंसाओं के साथ-साथ ₹3 करोड़ के राजस्व

निहितार्थ वाली नौ प्रणालीगत, ₹866.55 करोड़ की प्रक्रियात्मक अनियमितताओं वाली लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ शामिल हैं।

लेखापरीक्षा में उन मामलों में बैंक गारंटी एवं बॉन्ड के नवीनीकरण न होने के उदाहरणात्मक देखे गए जहां परियोजना आयात संविदाओं को अंतिम रूप देना लंबित रहा, जो निगरानी में कमियों एवं कमजोर आंतरिक नियंत्रणों का संकेत देते हैं।

(पैरा 4.1)

पुष्टि की गई मांग के मामलों में वसूली का लंबित होना अधिनिर्णयन मांगों को लागू करने के लिए विभाग की अनुवर्ती कार्रवाई एवं निगरानी तंत्र में कमजोरियों का संकेत देता है। लंबे समय तक विलंब या गैर-वसूली के परिणामस्वरूप न केवल सरकारी राजस्व में बाधा आती है, बल्कि सीमा अवधि की समाप्ति या आयातकों का पता न चलने के कारण प्राप्ति में कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं।

(पैरा 4.3)

अनुशंसाएँ

अनुशंसा संख्या 1: सीबीआईसी एक पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के बाद परियोजना आयात संविदा पंजीकरण को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करने पर विचार कर, एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समान अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी कर सकता है।

अनुशंसा संख्या 2: सीबीआईसी आयात को पूरा करने एवं परियोजनाओं को बंद करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने हेतु परियोजना आयात विनियम, 1986 में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा, आईसीईएस में एकीकृत प्रणाली-आधारित अलर्ट से उन मामलों को चिह्नित किया जा सकेगा जहां निर्धारित अवधि से अधिक कोई आयात गतिविधि नहीं हुई है, जिससे समय पर समीक्षा एवं ऐसे पंजीकरणों को बंद करने में मदद मिलेगी।

अनुशंसा संख्या 3: सीबीआईसी यह सुनिश्चित कर सकता है कि अनिवार्य दस्तावेजों को जमा किए बिना पंजीकरण को रोकने के लिए आईसीईएस पंजीकरण मॉड्यूल के भीतर स्वचालित दस्तावेज़ सत्यापन नियंत्रण अंतर्निहित हैं।

अनुशंसा संख्या 4: सीबीआईसी टैरिफ प्रावधानों के अनुसार सही वर्गीकरण एवं शुल्क अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह के परियोजना आयात मामलों की समीक्षा कर सकता है। इसके अलावा बोर्ड, पंजीकरण तिथि, वर्गीकरण आदि

के आधार पर अपात्र संविदा पंजीकरण को चिह्नित करने के लिए आईसीईएस/ लाइसेंस मॉड्यूल के भीतर स्वचालित सत्यापन नियंत्रणों को एकीकृत कर, जिससे संबंधित सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

अनुशंसा संख्या 5: सीबीआईसी, आईसीईएस के भीतर अनिवार्य प्रणाली-आधारित सत्यापन जांच स्थापित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना आयात मामले को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि संस्थापना प्रमाणपत्र एवं संयंत्र स्थल सत्यापन प्रतिवेदन अपलोड एवं सत्यापित नहीं किए जाते हैं।

अनुशंसा संख्या 6: सीबीआईसी, आईसीईएस में सभी परियोजना आयात बिल ऑफ एंट्री के निकासी समय की प्रणाली-आधारित निगरानी शुरू करने पर विचार करे एवं प्रक्रिया की बाधाओं की पहचान करने एवं सुधारात्मक उपाय करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में विलंब का विश्लेषण कर सकता है।

अनुशंसा संख्या 7: सीबीआईसी, आईसीईएस में एक संयोजन तंत्र को शामिल करने पर विचार करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना आयात संविदाओं को अंतिम रूप देने से संबंधित बिल ऑफ़ एंट्री का सत्यापन स्वचालित रूप से शुरू हो जाए, जिससे पृथक या समय से पहले बंद होने से रोका जा सके। इसके अलावा, लंबित या अतिदेय बीई को अंतिम रूप देने के लिए स्वचालित चेतावनी भी आयुक्तालय स्तर पर व्यवस्थित निगरानी को सक्षम बनाएगी।

अनुशंसा संख्या 8: सीबीआईसी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दे कि वे बॉन्ड एवं बैंक गारंटी के नवीनीकरण की आवश्यकता को सख्ती से लागू करें, जब तक कि परियोजना आयात संविदा, पीआईआर 1986 के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप से तय नहीं हो जाते। बॉन्ड/बीजी की वैधता की निगरानी करने एवं समाप्ति के करीब लंबित मामलों को चिह्नित करने के लिए आईसीईएस में एक सिस्टम-आधारित अलर्ट तंत्र स्थापित किया जाए।

अनुशंसा संख्या 9: सीबीआईसी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करे कि परियोजना आयात विनियम, 1986 के अंतर्गत शामिल सभी संबंधित पक्षों से जुड़े सभी आयात को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार तुरंत विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी) को भेजा जाए। इसके अलावा, निर्धारण से पहले एसवीबी संदर्भ के लिए संबंधित-पक्ष संव्यवहार को स्वचालित रूप से चिह्नित करने के लिए एक आंतरिक अनुपालन जांच-सूची को आईसीईएस प्रणाली में एकीकृत किया जाए।

अनुशंसा संख्या 10: सीबीआईसी सभी पुष्ट मांगों की स्थिति एवं शुरू की गई वसूली कार्रवाइयों का पता करने के लिए आईसीईएस के भीतर एक केंद्रीकृत रजिस्टर या डिजिटल ट्रैकर स्थापित करके अपने मांग वसूली एवं निगरानी ढांचे को मजबूत करे।

अनुशंसा संख्या 11: सीबीआईसी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को दिनांक 04 मई 2011 परिपत्र सं. 22/2011-सीमा-शुल्क में निर्धारित रिपोर्टिंग एवं निगरानी ढांचे का सख्ती से पालन निर्देशित कर सकता है। आंकड़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना आयात रजिस्टरों को डिजिटल रूप से रखरखाव किया जाए एवं समय-समय पर निगरानी की जाए। निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीपीएम) वास्तविक समय में आयुक्तालयों में लंबित मामलों को कैप्चर करने एवं समेकित करने के लिए आईसीईएस से जुड़े एक स्वचालित डैशबोर्ड को विकसित करने पर विचार कर सकता है।

शब्दों एवं संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली

शब्द संक्षेप	विस्तारित रूप
एएआर	अग्रिम निर्णय का प्राधिकरण
एसीसी	एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स
एडीडी	एंटी डंपिंग शुल्क
एआईडीसी	कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर
बीसीडी	मूल सीमा-शुल्क
बीई	बिल ऑफ़ एंट्री
बीजी	बैंक गारंटी
बीआरसी	बैंक वसूली प्रमाणपत्र
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीजीएसटी	केंद्रीय माल एवं सेवा कर
सीआईएफ़	लागत, बीमा एवं माल ढुलाई मूल्य
सीआरआईपी	कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया
सीटीएच	सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष
सीवीडी	प्रतिकारी-शुल्क
डीजीपीएम	निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज
ईओडीबी	व्यापार में सुगमता
ईपीसीजी	निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत वस्तु
जीएसटी	माल एवं सेवा कर
आईएडी	आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग
आईबीसी	ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसीईएस	भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली

आईजीएसटी	एकीकृत माल एवं सेवा कर
जेएनसीएच	जवाहरलाल नेहरू सीमा शुल्क हाउस
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमपीआर	मासिक प्रगति प्रतिवेदन
एमटीपीए	प्रति वर्ष मिलियन टन
एनएसी	राष्ट्रीय निर्धारण केंद्र
एनसीएच	नवीन सीमा शुल्क हाउस
एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण
एनटीएफ़एपी	राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना
एनटीपीसी	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम
ओओसी	माल सुपुर्दगी आदेश
पीए	निष्पादन लेखापरीक्षा
पीएसी	लोक लेखा समिति
पीडी	अनंतिम शुल्क बॉन्ड
पीआई	परियोजना आयात
पीआईआर	परियोजना आयात विनियम
पीएसवी	संयंत्र स्थल सत्यापन
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एसईज़ेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसवीबी	विशेष मूल्यांकन शाखा
एसडबल्यूएस	सामाजिक कल्याण अधिभार
टीआरए	टेलीग्राफिक रिलीज़ एडवाइस
डबल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन

अध्याय I
परियोजना आयात योजना की सामान्य रूपरेखा

1.1 प्रस्तावना

परियोजना आयात योजना किसी नए प्रोजेक्ट की प्रारम्भिक स्थापना या स्थापित क्षमता के कम से कम 25 *प्रतिशत* वाले वर्तमान प्रोजेक्ट के बड़े विस्तार के लिए आवश्यक विभिन्न मशीनरी, उपकरण, कच्चे माल आदि के आयात को सुगम बनाती है। इन आयातों को आयातकों द्वारा अनुपालन की जाने वाली कुछ प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अधीन किया जाता है।

परियोजना आयात योजना (पीआई) पहली बार 1965 में परियोजना आयात (संविदा का पंजीकरण)[1] विनियम, 1965 के माध्यम से शुरू की गई थी, जिसने सीमा शुल्क/टैरिफ ढांचा के अंतर्गत परियोजना-वार पूर्व-निर्धारण/पंजीकरण प्रक्रियाओं की स्थापना की थी। वित्त मंत्रालय, अधिसूचना संख्या 230/1986-सीमा शुल्क, दिनांक 03 अप्रैल 1986 के द्वारा इसे परियोजना आयात विनियम, 1986 (पीआईआर) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

इस योजना का उद्देश्य आयातित माल की त्वरित सीमा शुल्क निकासी को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। परियोजना आयात के अंतर्गत माल का निर्धारण समय-समय पर संशोधित अधिसूचना संख्या 50/2017[2] दिनांक 30 जून 2017 के अंतर्गत टैरिफ दर की तुलना में ड्यूटी के कम दर पर किया जाता है।

1.2 परियोजना आयात- सामान्य रूपरेखा

सामान्यतः, आयातित वस्तुओं को अलग-अलग टैरिफ शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है एवं लागू सीमा शुल्क के अनुसार निर्धारण किया जाता है, लेकिन एक औद्योगिक परियोजना की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात किया जाता है, इसलिए शुल्क के निर्धारण के लिए उनका अलग वर्गीकरण

[1] परियोजना आयात विनियम, 1986 के विनियम 5 के अंतर्गत संविदाओं का पंजीकरण किया जाता है, जिसके अंतर्गत परियोजना आयात योजना के लाभों का लाभ उठाने के इच्छुक आयातक को माल का आयात करने से पहले सीमा शुल्क के साथ परियोजना संविदा का पंजीकरण कराना होगा।
[2] अधिसूचना संख्या 12/2012- सीमा शुल्क, दिनांक 17-03-2012, 21/2002- सीमा शुल्क दिनांक 01-03-2002 एवं 17/2001- सीमा शुल्क दिनांक 01-03-2001 के स्थान पर

एवं मूल्यांकन बोझिल हो जाता है। इसके अलावा, एक अनुबंधित परियोजना के आपूर्तिकर्ता, मशीनरी के प्रत्येक मद या भागों का मूल्यांकन नहीं करते हैं जो चरणों में आपूर्ति किए जाते हैं। इसलिए, विभिन्न वस्तुओं के लिए मूल्यों को अभिनिश्चित करने से निर्धारण में विलंब होता है जिससे विलंब शुल्क एवं परियोजना के लिए समय एवं लागत में वृद्धि होती है।

इसलिए, वर्गीकरण एवं मूल्यांकन की एक सरलीकृत प्रक्रिया द्वारा सुचारू एवं त्वरित निर्धारण की सुविधा के लिए, परियोजना आयात योजना के अंतर्गत आयातित वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में एकल सीटीएच 9801 के अंतर्गत रखा गया है। यह निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है एवं माल की तेजी से निकासी सुनिश्चित करता है।

इस योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं हैं औद्योगिक संयंत्र परियोजनाएं; सिंचाई संयंत्र परियोजनाएं; विद्युत परियोजनाएं (सौर ऊर्जा संयंत्र/परियोजनाओं[3] के अलावा); खनन परियोजनाएं; तेल या अन्य खनिजों के अन्वेषण के लिए परियोजनाएं, एवं ऐसी अन्य परियोजनाएं जिन्हें केंद्र सरकार देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है।

परियोजना आयात योजना के अंतर्गत आयात की जा सकने वाली वस्तुओं में मशीनरी, प्राइम मूवर्स, यंत्र, उपकरण, साधन, नियंत्रण गियर, ट्रांसमिशन उपस्कर, सहायक उपस्कर, अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों के लिए आवश्यक उपस्कर, परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उपस्कर, घटक, इन वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चा माल आदि शामिल हैं। इसके अलावा, वस्तु के निर्धारण योग्य मूल्य के 10 *प्रतिशत* तक के खपत होने वाले स्पेयर पार्ट्स को भी परियोजना आयात के अंतर्गत आयात किया जा सकता है।

सीमा शुल्क टैरिफ के शीर्षक 9801 के अंतर्गत आने वाले माल के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी)/आयात पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (उत्पाद शुल्क के समतुल्य) पूरा/आंशिक रूप से छूट दी गई है (प्रत्येक प्रविष्टि के सापेक्ष निर्दिष्ट शर्तों के साथ/बिना)। ऐसी परियोजनाओं पर लागू बीसीडी की प्रभावी दर यथामूल्य शून्य/2.5 *प्रतिशत*/5 *प्रतिशत* है एवं आईजीएसटी[4] 18 *प्रतिशत* यथामूल्य पर लागू है। सब्सिडी वाली वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी), केंद्रीय उत्पाद शुल्क का प्रतिकारी शुल्क (जीएसटी पूर्व अवधि), सामाजिक कल्याण अधिभार[5] (एसडब्ल्यूएस), एंटी-डंपिंग शुल्क (एडीडी), कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर[6]

---

[3] **अधिसूचना संख्या 54/2022-सी.शु., दिनांक 19-10-2022 के माध्यम से शामिल**
[4] **अधिसूचना सं. 01/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28-06-2017**
[5] **अधिसूचना सं. 11/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 02-02-2018**
[6] **अधिसूचना सं. 11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 01-02-2021**

(एआईडीसी) जैसे अन्य शुल्क देय हैं, जब तक कि अन्यथा उन्हें विशेष रूप से छूट न दी गई हो।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह संकलन करना था कि

(i) क्या परियोजना आयात के पंजीकरण, आयातों, निगरानी एवं अंतिम रूप देने के संबंध में सांविधिक प्रावधान/ नियम, विनियम, अनुदेश/ अधिसूचनाएं पर्याप्त थीं:

(ii) क्या सीमा शुल्क अधिनियम 1962, परियोजना आयात विनियम 1986, समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचनाओं एवं निर्देशों के अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया था;

(iii) क्या सरकार के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त एवं प्रभावी आंतरिक नियंत्रण मौजूद हैं।

1.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं नमूना चयन पद्धति

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत निर्धारण अवधि वि.व. 2019-20 से वि.व. 2023-24 तक थी। परियोजना आयात योजना से संबन्धित 34 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में से, 18 आयुक्तालयों (52.94 *प्रतिशत*) को इस लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान, पंजीकृत, आयात एवं संविदाओं के अंतिम रूप से संबंधित परियोजना आयात योजना के विभिन्न पहलुओं की बंदरगाहों अर्थात चयनित 18 आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समुद्री/एयर कार्गो, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) की जांच की गई।

जोखिम निर्धारण एवं डेटा विश्लेषण के आधार पर, कुल 1,467 पीआई पंजीकरणों (62.37 *प्रतिशत*) में से 915 मामले को विस्तृत जांच के लिए निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत चुना गया था, जैसा कि नीचे तालिका में विस्तृत किया गया है:

तालिका 1.1: श्रेणी-वार नमूना चयन

अंतिम रूप दिया गया		चल रहे		पंजीकरण हुआ, लेकिन कोई आयात नहीं किया गया।		कुल मामले / चयनित	लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नमूना	लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए नमूने
कुल	चयनित	कुल	चयनित	कुल	चयनित			
534	421	888	449	45	45	1,467/ 915	776	139

स्रोत: डीजी प्रणाली, सीबीआईसी

यूनिवर्स एवं चयनित नमूनों का लेखापरीक्षा कार्यालयवार का विवरण **परिशिष्ट-1** में दिया गया है एवं लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत न किए गए मामलों की सूची **परिशिष्ट-2** में दी गई है

चयनित 915 नमूना मामलों का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1: चयनित नमूने का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

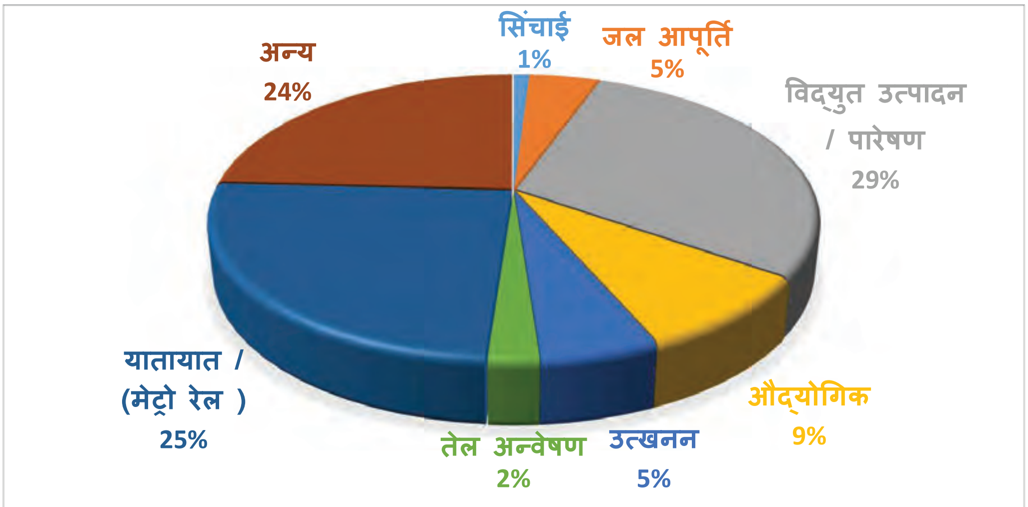

स्रोत: डीजी प्रणाली सीबीआईसी

दिनांक 18 मार्च 2025 को लेखापरीक्षा एवं राजस्व विभाग के मध्य आयोजित प्रवेश सम्मेलन में निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा पद्धति पर चर्चा की गई थी। दिनांक 05 मई 2026 को आयोजित समापन सम्मेलन के दौरान मसौदा परिणामों पर चर्चा की गई एवं दिनांक 04 मई 2026 को राजस्व विभाग से प्राप्त प्रतिक्रिया को उपयुक्त खंडन के साथ शामिल किया गया है, जहां भी लागू हो।

1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से लिए गए थे:

- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962;
- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975;
- परियोजना आयात विनियम, 1986;
- सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम 2007, सीमा शुल्क (अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देना) विनियम, 2018, एवं
- सीमा शुल्क मैनुअल और समय-समय पर सीबीआईसी द्वारा जारी परिपत्र एवं अधिसूचनाएं

1.6 लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पंजीकृत किए गए मामले

वि.व. 2019-20 से वि.व. 2023-24 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, परियोजना आयात योजना के अंतर्गत कुल 485 संविदाएं पंजीकृत किए गए थे, जिनका कुल सीआईएफ मूल्य ₹1.34 लाख करोड़ था। संविदाओं की संख्या एवं उनके संबंधित सीआईएफ मूल्यों का वर्षवार विभाजन नीचे दिए गए चार्ट में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.2: सीआईएफ मूल्यों के साथ वर्षवार पंजीकृत संविदाएं

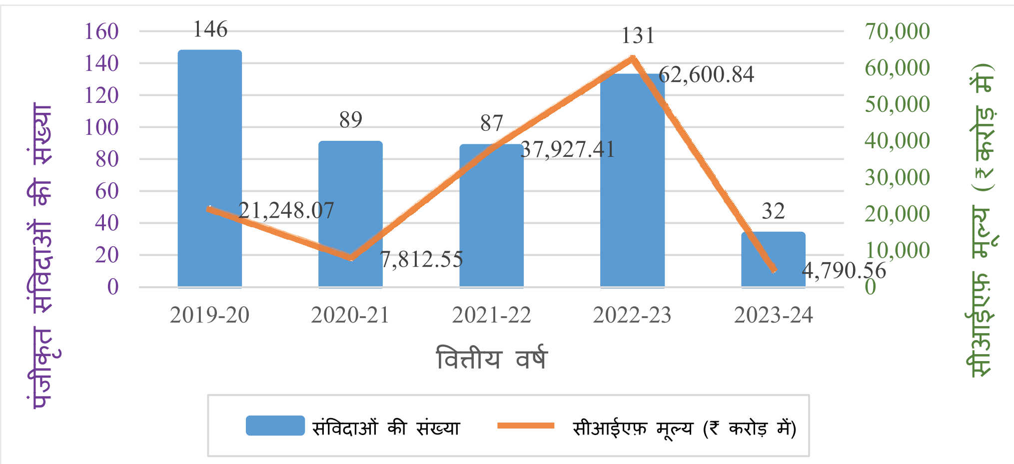

स्रोत: डीजी प्रणाली सीबीआईसी

उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से वि.व. 2020-21 एवं वि.व. 2021-22 के दौरान परियोजना आयात पंजीकरण की संख्या में गिरावट का रुझान सामने आया है। इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में वि.व. 2023-24 में पंजीकरण में तेज गिरावट देखी गई। समीक्षाधीन पाँच वर्ष की अवधि में, परियोजना आयात योजना के अंतर्गत पंजीकृत संविदाओं की संख्या वि.व. 2019-20 में 146 से घटकर वि.व. 2023-24 में 32 हो गई, जो 78.10 *प्रतिशत* की गिरावट दर्शाती है।

1.7 परियोजना आयात योजना के अंतर्गत राजस्व

वि.व. 2019-20 से वि.व. 2023-24 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान परियोजना आयात योजना के अंतर्गत आयात के संबंध में राजस्व मानकों, अर्थात् निर्धारण योग्य मूल्य, संग्रहित शुल्क एवं परित्यक्त शुल्क का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

चार्ट 1.3: परियोजना आयात योजना के अंतर्गत किए गए आयात पर निर्धारण योग्य मूल्य, संग्रहित शुल्क एवं परित्यक्त शुल्क

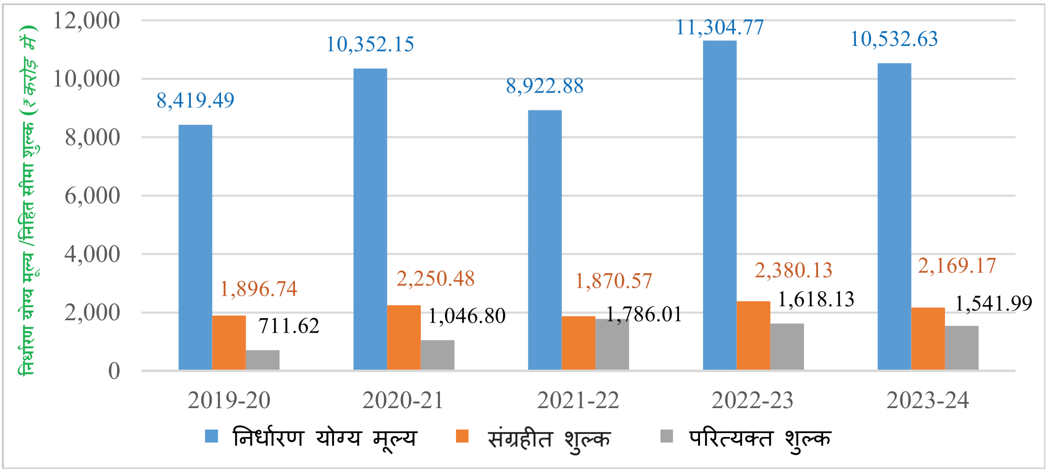

स्रोत: डीजी प्रणाली सीबीआईसी

वि.व. 2019-20 से वि.व. 2023-24 तक की पांच साल की अवधि के दौरान, जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, परियोजना आयात योजना के अंतर्गत कुल राजस्व ₹10,567.09 करोड़ एकत्र किया गया, जबकि योजना के अंतर्गत रियायती निर्धारण के कारण परित्यक्त शुल्क ₹6,704.55 करोड़ था।

1.8 परियोजना आयात योजना पर सीएजी के पहले के वर्षों में जारी प्रतिवेदन

परियोजना आयात योजना पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा पहले आयोजित की गई थी एवं परिणामों/अनुशंसाओं को सीएजी की वर्ष 2016 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संख्या 42 (अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क) में शामिल किया गया था। यह प्रतिवेदन बाद में माननीय लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा चर्चा के लिए संज्ञान में लिया गया था।

कुल मिलाकर, विभाग द्वारा नौ लेखापरीक्षा अनुशंसाओं में से आठ अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया गया है एवं उनमें से पांच को लागू कर दिया गया है। वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान सीमा शुल्क द्वारा इन अनुशंसाओं एवं कार्यान्वयन की स्थिति पर की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई एवं अनुशंसाओं की अपर्याप्त निगरानी के कारण हो रही लगातार अनियमितताओं को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है, जैसा कि **परिशिष्ट-3** में विस्तृत विवरण दिया गया है।

1.9 आभार

लेखापरीक्षा, वित्त मंत्रालय (एमओएफ), राजस्व विभाग (डीओआर) तथा उनके क्षेत्रीय कार्यालयों सहित, लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान आवश्यक सूचना एवं अभिलेख प्रदान करने में किए गए सहयोग के प्रति आभार प्रकट करती है।

अध्याय II
परियोजना आयात योजना में प्रक्रियात्मक पर्याप्तता की समीक्षा

लेखापरीक्षा ने संविदा के पंजीकरण, आयातित माल के निर्धारण के संबंध में परियोजना आयात विनियमों, सीबीआईसी परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं के मौजूदा वैधानिक प्रावधानों की जांच की। लेखापरीक्षा में ऐसे दृष्टांत देखे गए, जिनसे पता चला कि कुछ प्रावधान अस्पष्ट हैं, जिनके कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण हो रहा है। इसके अलावा, आवश्यक दस्तावेज जमा न करने के कारण परियोजना आयात रियायत के गलत अनुदान के मामले एवं प्रासंगिक दस्तावेजों के अभाव में भी मामलों को अंतिम रूप देने से निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन में कमी का संकेत मिलता है। निम्नलिखित पैराग्राफ में निष्कर्षों का विवरण दिया गया है:

2.1 परियोजना आयात संविदाओं के पंजीकरण हेतु निर्धारित समय सीमा का अभाव

परियोजना आयात विनियम, 1986, यथा संशोधित, के विनियम 5 में यह अनिवार्य किया गया है कि आयातकों को आयात शुरू करने से पहले निर्धारित दस्तावेजों के साथ परियोजना आयात संविदाओं के पंजीकरण के लिए आयात के बंदरगाह पर उचित अधिकारी को लिखित में आवेदन करना होगा। हालाँकि, पीआई विनियम या नागरिक चार्टर, आवेदन जमा करने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं करता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि पंजीकरण प्रक्रिया में, अन्य बातों के अलावा, बॉन्ड एवं बैंक गारंटी के निष्पादन, प्रायोजक प्राधिकारी के पत्र के सत्यापन एवं आयात के लिए प्रस्तावित माल की सूची की संवीक्षा जैसे कई मध्यवर्ती चरण शामिल थे। इन गतिविधियों को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा के अभाव में, आयुक्तालयों में असमान प्रक्रियाओं का पालन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विलंब हुआ। ये विलंब, विभाग द्वारा संविदाओं के पंजीकरण एवं आयातकों द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों के विलम्बित प्रस्तुतीकरण एवं सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देना, दोनों के कारण हुआ।

चयनित 776 मामलों के पंजीकरण में लगने वाले समय की समीक्षा से पता चला कि 110 मामले (23.35 *प्रतिशत*) एक माह से अधिक की अवधि के भीतर दर्ज

किए गए थे, जिसमें पांच मामले शामिल थे जहां विलंब तीन महीने से अधिक बढ़ गया था, जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 2.1 : पंजीकरण में लगने वाला समय

पंजीकरण में लगने वाला समय	मामलों की संख्या
30 दिनों तक	361
31 से 90 दिनों	105
90 दिनों से अधिक	5
आंकड़ा उपलब्ध नहीं	305
कुल	**776**

तीन महीने से अधिक के पांच विलंबित मामलों में से, एसीसी बेंगलूरु एवं एनसीएच मुंबई में कुल सीआईएफ मूल्य ₹ 112.92 करोड़ के दो मामलों में, आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद पंजीकरण पूरा करने में क्रमशः 92 दिनों एवं 303 दिनों का विलंब दर्ज किया गया। अन्य तीन मामलों में, विलंब आयातकों द्वारा अपेक्षित शर्तों का अनुपालन करने में किया गया।

एनसीएच मुंबई ने (सितंबर 2025) कहा कि पीआईआर के विनियम 5 में परियोजना के पंजीकरण के लिए कोई समय सीमा नहीं है।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

मेसर्स 'ए1' ने एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, बेंगलूरु के अंतर्गत दिनांक 28 सितंबर 2022 को पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने के बावजूद, विभाग द्वारा पंजीकरण 303 दिनों के बाद दिनांक 28 जुलाई 2023 को किया गया था।

एसीसी बेंगलूरु (सितंबर 2025) ने कहा कि पंजीकरण में विलंब परियोजना प्राधिकारी द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता के सत्यापन में लगने वाले समय के कारण था।

परियोजना आयात संविदाओं के पंजीकरण में विलंब आंतरिक प्रक्रियाओं या नागरिक चार्टर में अपर्याप्त निगरानी एवं निश्चित समय-सीमा के अभाव को इंगित करता है। इस तरह के विलंब से शीर्षक 9801 के अंतर्गत रियायती निर्धारण स्थगित हो सकता है, परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम प्रभावित, एवं प्रक्रियात्मक अक्षमता को प्रतिबिंबित कर सकता है। निर्धारित बदलाव के समय की कमी भी आयुक्तालयों के मध्य जवाबदेही एवं एकरूपता को सीमित करती है एवं परियोजना आयात योजना के अंतर्गत पंजीकृत संविदाओं की संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट का एक कारण हो सकती है।

अनुशंसा संख्या 1: सीबीआईसी एक पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के बाद परियोजना आयात संविदा पंजीकरण को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करने पर विचार कर, एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समान अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी कर सकता है।

सीबीआईसी ने, समय पर परियोजना आयात संविदा पंजीकरण के महत्व के बारे में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से सहमति जताते हुए कहा (मई 2026) कि दस्तावेजों की पूर्णता, तकनीकी संवीक्षा, प्रायोजक प्राधिकारी पत्र का सत्यापन, बॉन्ड/बैंक गारंटी का निष्पादन, बैंक गारंटी की प्रामाणिकता के सत्यापन आदि के आधार पर पंजीकरण समय-सीमा भिन्न हो सकती है।

तदनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों को त्वरित पंजीकरण सुनिश्चित करने, निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने एवं नागरिक चार्टर में उल्लिखित प्रासंगिक समय-सीमा पर विधिवत विचार करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, पीआई संविदाओं के समय पर पंजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए मध्यवर्ती चरणों, अर्थात पूर्णता के लिए संवीक्षा, कमी ज्ञापन एवं प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा जारी सिफारिशी पत्रों की प्रामाणिकता/बैंक गारंटी की प्रामाणिकता के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट की गई है।

2.2 आयात पूरा करने एवं परियोजनाओं को बंद करने हेतु निर्धारित समय-सीमा का अभाव

परियोजना आयात विनियम (पीआईआर), 1986 पंजीकरण की तारीख से पंजीकृत परियोजना संविदा के अंतर्गत आयात पूरा करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। निश्चित समय सीमा के अभाव में आयात प्रक्रिया अनिश्चित बनी रहती है एवं परियोजना पूर्ण होने एवं अंतिम रूप देने में विलंब हो सकता है।

इसके अलावा, सीमा शुल्क विधि नियमावली के अध्याय 5 के पैराग्राफ 5 के साथ पठित पीआईआर, 1986 के विनियम 7 के संदर्भ में, एक आयातक को अंतिम आयात की तारीख से तीन महीने के भीतर, आयातित माल की मात्रा एवं मूल्य को दर्शाने वाले एक मिलान विवरण के साथ पंजीकृत चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा जारी किया गया संस्थापना प्रमाण पत्र, बिल ऑफ एंट्री की प्रतियां, इनवाइसों एवं संविदा को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक अन्य प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

इन आवश्यकताओं को दिनांक 4 मई 2011 को जारी किए गए परिपत्र संख्या 22/2011-सीमा शुल्क में दोहराया गया था, जो एक पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन (पीए 24/2009-10) में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की अनुशंसाओं के अनुरूप था एवं उसी को पीए 42/2016 में दोहराया गया था, जिसमें परियोजना आयात को समय पर पूरा करने एवं समय पर अंतिम रूप देने पर जोर दिया गया था।

353 चल रहे परियोजना आयात मामलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सात आयुक्तालयों[7] के 56 मामलों में, आयातकों से पर्याप्त कारण के बिना, पिछले आयात के बाद से सात से 125 महीने तक का समय बीत गया, जिसमें कुल सीआईएफ मूल्य ₹ 2,124.58 करोड़ शामिल था। ***(विवरणी-1)***

मुंद्रा आयुक्तालय के अंतर्गत पांच मामलों में, जिसमें ₹29.08 करोड़ के सीआईएफ मूल्य शामिल थे, यह भी देखा गया कि परियोजनाएं पहले ही वाणिज्यिक परिचालन (सितंबर 2022) शुरू कर चुकी थीं, हालांकि, संबंधित परियोजना आयात संविदाओं को अभी तक विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया जाना बाकी था।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

मेसर्स 'ए2' ने कोलकाता पोर्ट आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले कोलकाता मेट्रो रेलवे, पश्चिम बंगाल में परियोजना की प्रारंभिक स्थापना के लिए पूंजीगत वस्तुएं/ उपस्करों के आयात के लिए नवंबर 2020 में ₹40.69 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ एक परियोजना पंजीकृत की।

आयातकर्ता ने ₹ 2.62 करोड़ की शुल्क रियायत का लाभ उठाते हुए पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया था (फरवरी 2021)। आयातकर्ता ने न तो संविदा को अंतिम रूप देने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया था और न ही 31 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी समय बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। आयातकर्ता को न तो दस्तावेजों के जमा करने के लिए विभाग द्वारा समय का कोई विस्तार दिया गया और न ही विभाग ने उपर्युक्त उद्धृत परिपत्र में निर्देशानुसार कोई कार्रवाई शुरू की।

कोलकाता पोर्ट आयुक्तालय ने कहा (सितंबर 2025) कि बॉन्ड/बैंक गारंटी लागू करके, ड्यूटी की मांग एवं कारण बताओ नोटिस जारी करके, एवं जुर्माना लगाकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, साथ ही, इस प्रक्रिया को तेज़ करने एवं तय समय-सीमा के भीतर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अन्य आयुक्तालयों के संबंध में उत्तर निम्नानुसार था:

---

[7] **सीसी पोर्ट कोलकाता (4 मामले); आईसीडी-तुगलकाबाद, दिल्ली (30 मामले); एसीसी, दिल्ली (8 मामले); सीसी, नोएडा (5 मामले); सीसी मुंद्रा (6 मामले); सीसी अहमदाबाद (2 मामले); सीसी जोधपुर (1 मामला)**

जोधपुर आयुक्तालय ने कहा (अगस्त 2025) कि विनियमन 7 में निर्दिष्ट अंतिम खेप की निकासी के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

उत्तर की समीक्षा इस तथ्य के प्रकाश में की जा सकती है कि अंतरिम आदेश ने संविदा को अंतिम रूप देने से प्रतिबंधित नहीं किया था। इसमें स्पष्ट किया गया कि यदि याचिकाकर्ता रिट याचिकाओं में विफल हो जाते हैं, तो उन्हें विभेदक सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा। वास्तव में, अंतरिम आदेश के बाद, 83.34 *प्रतिशत* माल 29 बिल ऑफ एंट्री के माध्यम से आयात किया गया था एवं केवल 16.66 *प्रतिशत* शेष माल दिनांक 15 मार्च 2023 से आयात के लिए लंबित था, यानी, अंतिम खेप की प्राप्तियों के दो साल से अधिक।

मुंद्रा आयुक्तालय (दिसंबर 2025) ने कहा कि आयातकों को विभिन्न परियोजनाओं के पंजीकरण के बाद आयात में विलंब के कारणों को प्रस्तुत करने एवं सभी आयात किए जाने पर दस्तावेज जमा करने के लिए पत्र जारी किए गए थे ताकि परियोजना को अंतिम रूप दिया जा सके।

अहमदाबाद आयुक्तालय (दिसंबर 2025) ने कहा कि पीआईआर ने संविदा के अंतर्गत आयात पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की थी। इसमें यह भी कहा गया है कि (i) कई मामलों में, आयातक ने एक बंदरगाह पर परियोजना पंजीकृत की, एवं विभिन्न बंदरगाहों से माल का आयात किया; (ii) विभाग को परियोजना के पूरा होने के बारे में तब पता चला जब आयातक ने परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए एवं आयातक के विरुद्ध संविदा को अंतिम रूप देने के लिए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में देरी के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। अन्य आयातक के संबंध में, मामले को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

परियोजना आयात योजना के अंतर्गत आयात को पूरा करने के लिए एक निश्चित समयसीमा के अभाव एवं मिलान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विलंब के परिणामस्वरूप संविदाओं को अंतिम रूप देने में लंबे समय तक विलंब हुआ है। यह आयात अनुपालन पर नियंत्रण को कमजोर करता है, संभावित रूप से शुल्क अपवंचन, वस्तुओं का लेखांकन न होना एवं सरकार को राजस्व के नुकसान का कारण बन सकता है।

अनुशंसा संख्या 2: सीबीआईसी आयात को पूरा करने एवं परियोजनाओं को बंद करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने हेतु परियोजना आयात विनियम, 1986 में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा, आईसीईएस में एकीकृत प्रणाली-आधारित अलर्ट से उन मामलों को चिह्नित किया जा सकेगा जहां

निर्धारित अवधि से अधिक कोई आयात गतिविधि नहीं हुई है, जिससे समय पर समीक्षा एवं ऐसे पंजीकरणों को बंद करने में मदद मिलेगी।

सीबीआईसी (मई 2026) ने कहा कि परियोजना आयात संविदाओं के अंतर्गत आयात, परियोजनाओं की प्रकृति, पैमाने एवं निष्पादन अनुसूची पर निर्भर करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होता है एवं कई वर्षों तक बढ़ सकता है। इसलिए, पंजीकरण के समय आयात आवश्यकताओं का हमेशा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। बोर्ड ने आगे कहा कि प्रायोजक प्राधिकारी को परियोजना समय-सीमा के बारे में पता है, इसलिए पीआईआर, 1986 के अंतर्गत आयात पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करने हेतु उनसे परामर्श किया गया है। सीबीआईसी ने यह भी बताया कि परियोजना आयात लाइसेंस एक समाप्ति तिथि के साथ लाइसेंस मॉड्यूल के माध्यम से पंजीकृत हैं, जिसके बाद आयात की अनुमति नहीं है। आयात एवं उपयोग की निगरानी के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बही-खाता उपलब्ध है।

लेखापरीक्षा इस प्रतिक्रिया से सहमत है कि बड़े पैमाने पर एवं तकनीकी रूप से जटिल औद्योगिक परियोजनाओं के निष्पादन में अंतर्निहित जटिलताएं शामिल हैं, जहां कार्यान्वयन की प्रकृति एवं चरण के आधार पर आयात आवश्यकताएं भिन्न हो सकती हैं। हालाँकि, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति परियोजनाओं की समग्र अवधि पर नहीं थी, बल्कि फर्मों द्वारा अंतिम आयात के बाद से महत्वपूर्ण समय अंतराल पर थी, जो नमूना मामलों के संबंध में सात से 125 महीने तक की थी। इस तरह के लंबे अंतराल से परियोजना आयात संविदाओं को समय पर पूरा करने एवं बंद करने के लिए एक संरचनात्मक निगरानी ढांचे के अभाव का संकेत मिलता है।

लाइसेंस मॉड्यूल एवं इलेक्ट्रानिक बही-खाता के माध्यम से सिस्टम-आधारित निगरानी के बोर्ड के दृष्टिकोण पर ध्यान देते हुए, लेखापरीक्षा का विचार है कि विभाग, प्रायोजक प्राधिकारी के परामर्श से, व्यवसाय की प्रकृति एवं परियोजना आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आयात एवं संविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित करने पर विचार करे। इससे परियोजना आयात संविदाओं को समय पर पूरा करने एवं बंद करने में मदद मिलेगी।

2.3 परियोजना के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के संबंध में नियामक प्रावधानों में स्पष्टता की कमी

परियोजना आयात योजना के अंतर्गत आयातित माल को मूल सीमा शुल्क एवं परियोजना आयात विनियम, 1986 में निर्दिष्ट अन्य शुल्कों एवं संबंधित छूट अधिसूचनाओं के प्रयोजन के लिए सीटीएच 9801 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया

है। हालाँकि, एंटी-डंपिंग शुल्क अध्याय 98 के अंतर्गत वर्गीकरण से जुड़ा सीमा शुल्क टैरिफ दर नहीं है। यह सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ए के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट एंटी-डंपिंग अधिसूचनाओं के माध्यम से लगाया जाता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि कुछ वस्तुएं जो उनके वास्तविक टैरिफ शीर्षकों के अंतर्गत एंटी-डंपिंग शुल्क के लिए उत्तरदायी है, उन्हें एडीडी के भुगतान के बिना अध्याय 9801 के अंतर्गत स्वीकृति दी गई थी, अर्थात, अधिसूचना संख्या 7/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 17 फरवरी 2017 के अनुसार, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से आयातित कार्बन स्टील के सीमलेस ट्यूब एवं पाइप पर निर्धारित दरों पर पाटन रोधी शुल्क लगाया जाता है।

मेसर्स 'ए3' ने चेन्नई-II आयुक्तालय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में थर्मल पावर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट (2×660 मेगावाट) स्थापित करने के लिए एक परियोजना पंजीकृत की, एवं अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017 के क्रमांक 597 (iii) के अंतर्गत 5 *प्रतिशत* की रियायती शुल्क का लाभ उठाया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातक ने अगस्त 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से विभिन्न आयामों के सीमलेस स्टील पाइप (एसए106-सी) का आयात किया था, जिसमें ₹218.34 लाख का निर्धारण योग्य मूल्य शामिल था। हालांकि, लागू एडीडी, जिसकी राशि ₹23.98 लाख थी, उक्त अधिसूचना के अंतर्गत देय होने के बावजूद आयात के समय भुगतान नहीं किया गया था।

सीबीआईसी ने (मई 2026) कहा कि परियोजना आयात के अंतर्गत आयातित माल को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के टैरिफ शीर्षक 9801 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है एवं आयातित माल के मेरिट निर्धारण के बजाय, शुल्क की निर्दिष्ट दर के अधीन है। हालाँकि, विशिष्ट वस्तुओं पर देय एंटी-डंपिंग शुल्क परियोजना आयात से अलग एक स्वतंत्र मुद्दा है। यदि परियोजना आयात के अंतर्गत आयातित माल व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) द्वारा जांच का हिस्सा है एवं डीजीटीआर के परिणामी निष्कर्ष परियोजना आयात के अंतर्गत कवर किए गए माल पर पाटन रोधी शुल्क लगाने की अनुशंसा करते हैं, तो एंटी-डंपिंग शुल्क की अधिसूचना में एंटी-डंपिंग शुल्क के देय का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है।

परियोजना आयात योजना के अंतर्गत शामिल की गयी वस्तुओं पर देय एडीडी के विशिष्ट उल्लेखन पर बोर्ड की प्रतिक्रिया विनियामक प्रावधानों में स्पष्टता लाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वैधानिक देयता को क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर समान रूप से लगाया गया है।

2.4 अनधिसूचित परियोजनाओं पर परियोजना आयात रियायतों का अनुचित उपयोग

अधिसूचना सं. 42/1996-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 1996 परियोजना आयात के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं को सूचीबद्ध करता है। सीटीएच 9801/980100 की उप-धारा (6) के अनुसार, ऐसी परियोजनाओं को सीटीएच 98010019 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

736 मामलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मुंद्रा आयुक्तालय के अंतर्गत दो मामलों में, सीटीएच 9801 के अंतर्गत रियायती निर्धारण को गलत तरीके से अनधिसूचित परियोजनाओं तक बढ़ाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 122.80 लाख की अस्वीकार्य रियायत हुई थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि उपरोक्त दोनों मामलों में, परियोजनाओं को सीटीएच 98010019 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, तथा परियोजनाओं की प्रकृति, संपीड़ित लकड़ी सहित पार्टिकल बोर्ड एवं फाइबर बोर्ड का निर्माण, तथा दो एवं चार पहिया वाहनों के लिए मिश्र धातु पहियों का निर्माण थी।

हालाँकि, इन परियोजनाओं को उक्त अधिसूचना के अंतर्गत अधिसूचित परियोजनाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए, परियोजना आयात योजना के अंतर्गत रियायती शुल्क का लाभ मान्य नहीं था और इसके परिणामस्वरूप सीमा शुल्क का कम भुगतान हुआ, जो ₹ 122.80 लाख था।

अनधिसूचित परियोजनाओं को परियोजना आयात लाभों का विस्तार, निर्धारण चरण में परियोजना पात्रता के सत्यापन में कमियों एवं अधिसूचना प्रावधानों के अनुपालन में कमी को दर्शाता है, जिससे राजस्व का नुकसान होता है।

यह विभाग के संज्ञान में लाया गया (मई 2025) एवं उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

2.5 पर्याप्त विस्तार का सत्यापन न होने से परियोजना रियायत का गलत अनुदान

परियोजना आयात विनियम (पीआईआर), 1986 के विनियम 3(सी) के अनुसार, "पर्याप्त विस्तार" का अर्थ है एक विस्तार जो मौजूदा संस्थापित क्षमता को कम से कम 25 *प्रतिशत* की ओर बढ़ाता है। संविदा को अंतिम रूप दिए जाने के समय, आयातकों को सनदी अभियंता का प्रमाणपत्र, वार्षिक लेखा, तुलन पत्र या कोई अन्य प्रासंगिक अभिलेख जैसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके पर्याप्त विस्तार के अपने

दावे को प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है। उचित अधिकारी को परियोजना आयात योजना के अंतर्गत परियोजना संविदा के पंजीकरण से पहले इस शर्त की पूर्ति को सत्यापित करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि एनसीएच, मुंबई आयुक्तालय के अंतर्गत दो मामलों में पंजीकरण से पहले ऐसी सत्यापन प्रक्रिया नहीं की गई थी। इसमें कुल परियोजना मूल्य ₹ 34.64 करोड़ शामिल था।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

मेसर्स 'ए4' सीआईएफ मूल्य ₹ 34.47 करोड़ के साथ सीमेंट के निर्माण के लिए न्यू कस्टम हाउस, मुंबई आयुक्तालय के अंतर्गत इकाई के पर्याप्त विस्तार के लिए पंजीकृत था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि परियोजना आयात पृष्ठांकन के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत आयातक का दिनांक 09 सितंबर 2021 के आवेदन ने क्लिंकर के लिए 3.50 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) (मौजूदा क्षमता 6.5 एमटीपीए) एवं सीमेंट के लिए 5.00 एमटीपीए (मौजूदा क्षमता 9 एमटीपीए) की प्रस्तावित क्षमता विस्तार का संकेत दिया गया था। हालांकि, आयातक के बाद के दिनांक 09 सितंबर 2022 एवं दिनांक 23 सितंबर 2022 के संविदा के पंजीकरण के लिए आवेदन में प्रस्तावित क्षमता परिवर्धन को सीमेंट के लिए 1.80 एमटीपीए (मौजूदा क्षमता: 9 एमटीपीए) से 5.00 एमटीपीए परिशोधित किया गया था।

सीमेंट में विस्तार के लिए यह संशोधित प्रस्ताव, परियोजना आयात विनियम, 1986 के विनियम 3 (सी) के अंतर्गत "पर्याप्त विस्तार" के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनिवार्य 25 *प्रतिशत* वृद्धि से कम था। इसके बावजूद, विभाग ने निर्धारित शर्त की पूर्ति की पुष्टि किए बिना परियोजना आयात पंजीकरण प्रदान किया।

एनसीएच मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2025) कि परियोजना की प्रारंभिक/मौजूदा क्षमता का उल्लेख अनुशंसा पत्र/ अनिवार्यता प्रमाण पत्र में नहीं किया गया था। हालाँकि, पर्याप्त विस्तार का उल्लेख किया गया था। क्लिंकर की विस्तार क्षमता में 53.85 प्रतिशत की वृद्धि की गई जो कि आवश्यक 25 प्रतिशत मानदंड से दोगुने से भी अधिक है। विभाग ने आगे कहा कि पीएसवी/इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से क्षमता को 25 प्रतिशत से अधिक बताया गया था।

सीमेंट उत्पादन की क्षमता में विस्तार के संबंध में विभाग के उत्तर की समीक्षा की जानी है, जो परियोजना आयात विनियम, 1986 द्वारा आवश्यक 25 *प्रतिशत* विस्तार मानदंड को प्राप्त नहीं कर सका था।

पंजीकरण से पहले पर्याप्त विस्तार के मानदंडों के गैर सत्यापन में आंतरिक नियंत्रण एवं प्रक्रिया अनुपालन में कमियों को इंगित करता है, और परियोजना आयात लाभों के अपात्र विस्तार एवं परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व के जोखिम का कारण बन सकती है।

2.6 संविदा के पंजीकरण के समय निर्धारित शर्तों का उल्लंघन

परियोजना आयात विनियम (पीआईआर), 1986 के विनियम 5 के अनुसार, परियोजना आयात योजना के अंतर्गत निर्धारण के लिए आवेदन में, निर्मित किए जाने वाले वस्तुओं का विवरण, आयात की जाने वाली वस्तुओं की सूची, संस्थापित क्षमता निर्दिष्ट की जानी चाहिए, एवं सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ होना चाहिए।

किसी निर्दिष्ट औद्योगिक संयंत्र, सिंचाई परियोजना, विद्युत परियोजना, खनन परियोजना, अन्वेषण परियोजना या आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य परियोजनाओं की प्रारंभिक संस्थापना या मौजूदा इकाई के पर्याप्त विस्तार के लिए आवश्यक घटकों सहित मशीनरी की सभी वस्तुएं सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) 9801 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि छः आयुक्तालयों[8] के 14 मामलों में, वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए 485 पंजीकरणों में से, पंजीकरण के समय निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया था:

- पर्याप्त विस्तार के लिए संयंत्र की संस्थापित एवं अतिरिक्त क्षमता घोषित नहीं की गई थी;
- आयात की जाने वाली वस्तुओं की अनुमोदित सूची प्रस्तुत नहीं की गई थी;
- संविदा में अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं से वस्तुओं का आयात किया गया था, एवं
- आयात की गई वस्तुओं का मूल्य पंजीकृत परियोजना मूल्य से अधिक था।

इन कमियों से पता चलता है कि अनिवार्य पंजीकरण शर्तों का पालन नहीं किया गया एवं पंजीकरण के समय आवश्यक दस्तावेजों जैसे कि संविदा का मूल विलेख, विदेशी आपूर्तिकर्ता के साथ समझौता, उपयुक्त प्राधिकारी से अनिवार्यता प्रमाण पत्र एवं औद्योगिक लाइसेंस आदि को प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप

[8] एनसीएच, मुंबई (3 मामले); सीसी, लुधियाना (1 मामला); आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली (2 मामले); एसीसी दिल्ली (2 मामले); सीसी कोलकाता (4 मामले); जेएनसीएच, मुंबई (2 मामले)

छः आयुक्तालयों के अंतर्गत 14 मामलों में ₹ 68.69 करोड़ के रियायती शुल्क / अदेय परित्यक्त शुल्क का अनुचित लाभ प्रदान किया गया, जिसमें ₹ 1,055.45 करोड़ का सीआईएफ मूल्य शामिल है।

एनसीएच मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई एवं सितंबर 2025) कि परियोजना की प्रारंभिक/मौजूदा क्षमता का उल्लेख मेसर्स 'ए4' के अनुशंसा पत्र/अनिवार्यता प्रमाण पत्र में नहीं किया गया था। हालांकि, आयातक द्वारा प्रस्तुत अनुलग्नक-I में मौजूदा संयंत्र की संस्थापित क्षमता एवं उसमें प्रस्तावित वृद्धि का उल्लेख है। विभाग ने आगे कहा कि पीएसवी/इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अनुशंसा पत्र के अनुसार आयातित मशीनरी मेसर्स 'ए5' के संबंध में क्षमता 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ाई गई है, जो पिक्चर ट्यूबों के नवीनीकरण के उद्देश्य से है, जो स्वयं विनिर्माण प्रक्रिया है। मेसर्स 'ए6' के संबंध में, यह कहा गया था (सितंबर 2025) कि पीआई योजना के अंतर्गत आयातित वस्तुओं के कम मूल्यांकन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था।

जेएनसीएच मुंबई ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2025) कि मेसर्स 'ए7' के संबंध में मूल फाइल की अनुपलब्धता के कारण, ट्रेसर परिपत्र जारी किया गया था एवं आयातक से नए एवं आवश्यक दस्तावेजों को मांगने के लिए एक पार्ट फाइल बनाई गई थी। अन्य मामले के लिए मेसर्स 'ए8' के संबंध में, विभाग दिनांक 4 मई 2011 के परिपत्र संख्या 22/2011 के अनुपालन का सख्ती से पालन करेगा।

कोलकाता पोर्ट आयुक्तालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (सितंबर 2025) कि सभी चार मामलों में उचित कार्रवाई की जाएगी।

शेष पांच मामलों में तीन आयुक्तालयों (आई.सी.डी. तुगलकाबाद, एसीसी दिल्ली एवं लुधियाना आयुक्तालय) के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

मेसर्स 'ए9', जो लुधियाना सीमा शुल्क आयुक्तालय के अंतर्गत पंजीकृत था ने, 27 बिल ऑफ एंट्री (बीई) के माध्यम से परियोजना वस्तुओं का आयात किया, जिसका विभाग द्वारा अनंतिम निर्धारण किया गया था। हालांकि, पीआईआर, 1986 के विनियम 5(4) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से आयात की जाने वाली वस्तुओं की सत्यापित सूची आयातक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी।

इस अनिवार्य दस्तावेज़ के अभाव के बावजूद, विभाग संविदा पंजीकरण के समय निर्धारित शर्तों का पालन किए बिना निर्धारण के साथ आगे बढ़ा। इस मामले में परित्यक्त शुल्क राशि ₹ 45.61 करोड़ थी।

परियोजना आयात योजना के अंतर्गत, पंजीकरण के दौरान ऐसे अनिवार्य दस्तावेजों का अभाव सत्यापन एवं अनुमोदन प्रक्रियाओं में कमियों को इंगित करता है, जिससे रियायती शुल्क लाभ के गलत अनुदान एवं योजना के दुरुपयोग का जोखिम हो सकता है।

अनुशंसा संख्या 3: सीबीआईसी यह सुनिश्चित कर सकता है कि अनिवार्य दस्तावेजों को जमा किए बिना पंजीकरण को रोकने के लिए आईसीईएस पंजीकरण मॉड्यूल के भीतर स्वचालित दस्तावेज़ सत्यापन नियंत्रण अंतर्निहित हैं।

सीबीआईसी ने (मई 2026) कहा कि वर्ष 2019 में आईसीईएस में शुरू किए गए परियोजना आयात मॉड्यूल में पहले से ही आयात की वस्तु-वार मात्रा एवं मूल्य, प्रायोजक प्राधिकरण के प्रमाण पत्र का विवरण, बॉन्ड विवरण एवं विदेशी मुद्रा में सीआईएफ मूल्य सहित प्रमुख परियोजना पंजीकरण विवरण शामिल हैं। सिस्टम पंजीकृत परियोजना के अंतर्गत आयात के निगरानी के लिए मात्रा एवं मूल्य के अनुसार डेबिट के साथ एक परियोजना बही-खाता भी रखता है।

लेखापरीक्षा ने परियोजना आयात मॉड्यूल में सिस्टम-सक्षम नियंत्रणों की उपलब्धता पर बोर्ड के तर्क को स्वीकार किया। हालाँकि, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ विशिष्ट उदाहरणों से संबंधित हैं जहाँ परियोजना आयात विनियमों के अंतर्गत निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया था, जैसे कि आयात किए जाने वाले वस्तुओं की अनुमोदित सूची प्रस्तुत नहीं की गई थी, पर्याप्त विस्तार के मामलों में संस्थापित/ अतिरिक्त क्षमता की घोषणा नहीं की गई थी, एवं अनुमोदित सूची में शामिल नहीं किए गए आपूर्तिकर्ताओं से माल का आयात किया गया था। ये कमियां प्रणाली में प्रावधानों की उपलब्धता के बावजूद देखी गईं।

2.7 अपात्र मशीनरी को शुल्क रियायत का गलत अनुदान

परियोजना आयात योजना से संबंधित नियमों एवं अधिसूचनाओं के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन, अनुमोदित परियोजना का हिस्सा बनने वाली पात्र वस्तुओं को रियायती शुल्क लाभ प्रदान करती है। मशीनरी एवं उपकरण की कुछ श्रेणियों को अधिसूचनाओं एवं न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से योजना के दायरे से विशेष रूप से बाहर रखा गया है।

हालांकि, लेखापरीक्षा में ऐसे दृष्टांत देखे गए जहां परियोजना आयात योजना के अंतर्गत रियायती शुल्क को गलत तरीके से ऐसी अपात्र वस्तुओं को दिया गया था।

दो उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

(I) कैप्टिव पावर प्लांट: सीबीआईसी ने अपनी अधिसूचना सं. 67/1987-सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च 1987 के द्वारा कैप्टिव पावर प्लांट को परियोजना आयात योजना के अंतर्गत रियायती निर्धारण के दायरे से बाहर रखा। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम 'ए36'[9] में उक्त अधिसूचना की वैधता को बरकरार रखा एवं कैप्टिव पावर प्लांट को परियोजना आयात लाभ के दायरे से बाहर करने की पुष्टि की। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार का इरादा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को रियायती शुल्क का लाभ नहीं देना था।

736 पंजीकृत परियोजना आयात मामलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एक मामले में, मुंद्रा आयुक्तालय के अंतर्गत पंजीकृत, जिसमें ₹ 83.00 करोड़ के सीआईएफ मूल्य शामिल थे, परियोजना आयात का लाभ उपरोक्त प्रावधानों के विरुद्ध, एक कैप्टिव पावर प्लांट को गलत तरीके से दिया गया था।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 278.69 लाख के सीमा शुल्क का कम भुगतान हुआ, जो ₹ 44.76 करोड़ के आयातित मशीनरी मूल्य से संबंधित है।

मुंद्रा आयुक्तालय ने कहा (दिसंबर 2025) कि आयातक को मांगे गये शुल्क का भुगतान ब्याज सहित करने के लिए पत्र जारी किए गए हैं।

(II) **कोयला परिवहन प्रणाली:** परियोजना आयात विनियम (पीआईआर), 1986 के विनियम 5(3)(ए) के अनुसार, परियोजना आयात के पंजीकरण के लिए आवेदन में संयंत्र या परियोजना के स्थान को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। माननीय अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर), नई दिल्ली ने मेसर्स 'ए10' के मामले[10] में यह माना कि एक विशेष कोयला खदान के लिए उपकरण, खदान से उत्पादन इकाई तक कोयले का परिवहन, और विद्युतपरियोजनाओं में पानी की खपत एवं पंपिंग सिस्टम, परियोजना आयात रियायतों के लिए पात्र नहीं हैं।

736 मामलों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि चेन्नई II आयुक्तालय के अंतर्गत पंजीकृत एक मामले में, ₹ 424.10 लाख के निर्धारण योग्य मूल्य वाले दो बिल ऑफ एंट्री को रियायती दर पर निकासी की गई थी। आयातकर्ता, जो बल्लारी, कर्नाटक में 0.4 एमटीपीए क्षमता के नॉन-रिकवरी प्रकार के वर्टिकल कोक ओवन प्लांट संस्थापित करने की परियोजना के लिए पंजीकृत है, ने एक "कोयला परिवहन प्रणाली" का आयात किया था, जिसे प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा जारी आवश्यक प्रमाणपत्र में अनुमोदित वस्तुओं की सूची में शामिल नहीं किया गया था।

---

[9] 1999 (112) ईएलटी 753 एससी

[10] विनिर्णय संख्या एएआर/08/सीयूएस/2008, दिनांक 19 दिसंबर 2008; आवेदन संख्या एएआर/01/सीयूएस/2008, 2009 (246) ईएलटी 801 (ए.ए.आर.)

परिणामस्वरूप, दिनांक 30 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क के क्रमांक 601 के अंतर्गत 5 *प्रतिशत* की रियायती दर मान्य नहीं थी, एवं माल को अध्याय शीर्षक 8428 9010 के अंतर्गत "कोयला हैंडलिंग के लिए अन्य मशीनरी" के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था, जिसपर 7.5 *प्रतिशत* की दर से मूल सीमा शुल्क देय है। गलत रियायत के कारण ₹ 13.76 लाख का कम शुल्क उद्ग्रहीत हुआ था।

अपात्र मशीनरी/माल के लिए परियोजना आयात लाभों का गलत विस्तार वैधानिक अधिसूचनाओं का पालन न करना और पंजीकरण एवं निर्धारण के समय अपर्याप्त संवीक्षा का संकेत देता है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है।

यह विभाग के संज्ञान में लाया गया था (मई 2025) एवं उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

2.8 आयात की अनुमति दी गई वस्तुओं एवं वास्तव में आयात की गई वस्तुओं के मध्य विसंगतियां

परियोजना आयात विनियम (पीआईआर) 1986 के विनियम 5 के अनुसार, परियोजना आयात संविदा के पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ संबंधित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा जारी मदों की एक अनुमोदित सूची होनी चाहिए। सूची में प्रत्येक मद का विवरण, मात्रा, विनिर्देश, गुणवत्ता एवं आयाम शामिल होने चाहिए। वास्तविक आयात को इस अनुमोदित सूची के अनुरूप होना चाहिए।

736 मामलों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि चार आयुक्तालयों[11] के पांच मामलों में आयात के लिए अनुमत माल एवं वास्तव में आयात किए गए माल के मध्य विसंगतियां थीं, जिसके परिणामस्वरूप रियायती शुल्क का अनुचित लाभ लिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.35 करोड़ का कम उद्ग्रहण हुआ ***(विवरणी-2)।***

मुंद्रा आयुक्तालय ने कहा (दिसंबर 2025) कि दिनांक 20 नवंबर 2025 का पत्र आयातक को ब्याज एवं जुर्माने के साथ शुल्क का भुगतान करने के लिए जारी किया गया था, जिसमें विफलता पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की जाएगी।

एनसीएच-मुंबई ने (सितंबर 2025) कहा कि मेसर्स 'ए11' के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार, सहायक उपकरण को परियोजना आयात के हिस्से के रूप में माना जाना है।

[11] **सीसी चेन्नई II (1 मामला); सीसी मुंद्रा (1 मामला), एनसीएच-मुंबई (2 मामले) एवं सीसी तूतीकोरिन (1 मामला)**

विभाग की प्रतिक्रिया की समीक्षा की जाए क्योंकि लेखापरीक्षा का तर्क था कि आयात की गई वस्तुएं अनुशंसा पत्र का हिस्सा नहीं थीं।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया

तूतीकोरिन आयुक्तालय के अंतर्गत पंजीकृत मेसर्स 'ए12', ₹ 222.82 लाख के निर्धारण योग्य मूल्य के साथ 'मल्टीपर्पस सीट' का आयात (जनवरी 2021) में किया, जो सीटीएच 9801 0013 के अंतर्गत वर्गीकृत, एवं अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017 के क्रमांक 602 के अंतर्गत मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) से छूट प्राप्त था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आयातित वस्तु को प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा जारी अनुलग्नक "बी" (आयातित वस्तुओं की अनुमोदित सूची) में शामिल नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, परियोजना आयात योजना के अंतर्गत शुल्क छूट मान्य नहीं थी। आयातित माल को बीसीडी 25 *प्रतिशत*, बीसीडी पर समाज कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस) 10 *प्रतिशत* एवं आईजीएसटी 18 *प्रतिशत* के साथ सीटीएच 9401 8000 के अंतर्गत "अन्य सीटें" के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 72.31 लाख के कम शुल्क का उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

2.9 छूट के अनुचित लाभ के कारण सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण/उद्ग्रहण न होना

अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017 (क्रमांक 597 से 606) के अनुसार, परियोजना आयात योजना (पीआईआर) के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए निर्दिष्ट शर्तों के साथ सीमा शुल्क दरें निर्धारित की गई थीं।

736 मामलों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि छः आयुक्तालयों[12] में 17 आयातकों से जुड़े 19 मामलों में, ₹ 290.90 करोड़ के कुल निर्धारण योग्य मूल्य वाले 84 बिल ऑफ एंट्री का निर्धारण लागू योग्यता दरों के बजाय शून्य या रियायती शुल्क दरों पर अनुचित तरीके से किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 51.14 करोड़ की सीमा शुल्क का गैर/कम उद्ग्रहण हुआ (***विवरणी-3***), जैसा कि नीचे दिया गया है:

---

[12] 12: सीसी अहमदाबाद (1 मामला); सीसी चेन्नई-II (7 मामले); आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली (4 मामले); सीसी (पोर्ट) कोलकाता (4 मामले); एनसीएच-मुंबई I (1 मामला); सीसी भुवनेश्वर (2 मामले)]

2.9.1 अंतिम निर्धारण आदेश पर ₹ 26.75 करोड़ के सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण/ उद्ग्रहण न होना

मेसर्स 'ए13' ने ओडिशा के खड़गप्रसाद गांव में "2x600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट" स्थापित करने के लिए भुवनेश्वर आयुक्तालय के अंतर्गत दो अलग-अलग परियोजना आयात (पीआई) संविदा पंजीकृत किए।

आयातकर्ता ने जुलाई 2011 से दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय शीर्षक संख्या 9801 0013 के अंतर्गत वर्गीकृत विभिन्न वस्तुओं एवं मशीनरी के आयात के लिए 45 बिल ऑफ एंट्री दाखिल किए थे (जिसमें विद्युत परियोजनाओं के लिए आवश्यक वस्तुओं को शामिल किया गया था)। आयातकर्ता ने अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमा शुल्क दिनांक 01 मार्च 2002 एवं अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा शुल्क दिनांक 17 मार्च 2012 के क्रमांक 507 के अंतर्गत शून्य या 5 *प्रतिशत* पर रियायती सीमा शुल्क लाभ प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि अंतिम आयात की तारीख से तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, आयातक ने आयात के बाद के दस्तावेज़ जैसे कि मिलान विवरण, संस्थापन प्रमाण पत्र एवं अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र जमा नहीं किए थे, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18(1) एवं परियोजना आयात विनियम, 1986 के विनियम 7 के अंतर्गत अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए अनिवार्य हैं। परिणामस्वरूप, पहले की अधिसूचना के अंतर्गत दावा की गई रियायती दर को अस्वीकार करते हुए ₹ 973.18 करोड़ मूल्य की 42 गैर बिल ऑफ़ एंट्री को 10 *प्रतिशत* की मानक सीमा शुल्क दर पर अंतिम रूप दिया गया गया।

इस मध्य, परियोजना की प्रगति में विलंब एवं परिणामस्वरूप पुनर्भुगतान दायित्वों में चूक के कारण, कंपनी के वित्तीय लेनदारों ने ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआरआईपी) शुरू करने की मांग करते हुए माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), हैदराबाद से संपर्क किया। माननीय एनसीएलटी, हैदराबाद ने आयातक कंपनी के सापेक्ष अपने दिनांक 29 अगस्त 2018 के आदेश के माध्यम से सीआरआईपी की शुरुआत के लिए आवेदन स्वीकार किया।

आयातकर्ता द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण, शेष तीन बिल ऑफ़ एंट्री (बीई) का निर्धारण नहीं किया जा सका, और परिणामस्वरूप, इन बिल ऑफ़ एंट्री के अंतर्गत आने वाले माल को सीमा शुल्क से अंतिम निकासी का आदेश

(ओओसी) नहीं दिया गया। माल दिसंबर 2016 से बंदरगाह परिसर में अनिकासित पड़ा हुआ है, एवं मामला वर्तमान में चल रही दिवालिया कार्यवाही के संबंध में माननीय एनसीएलटी के समक्ष विचाराधीन है।

परिणामस्वरूप, ₹ 200.54 करोड़ का विभेदक सीमा शुल्क और ₹ 145.89 करोड़ का ब्याज (कुल ₹ 346.43 करोड़) की मांग की गई तथा त्रण शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के अंतर्गत आयातक के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया (सीआरआईपी) शुरू करने के बाद मई 2019 में माननीय एनसीएलटी के साथ दर्ज किया गया। इसके बाद से, मामला दिनांक 27 नवंबर 2019 के एनसीएलटी आदेश के अनुसार परिसमापन कार्यवाही में चला गया है, तथा बकाया शुल्क की प्राप्ति के लिए विभाग का दावा परिसमापक के साथ दायर किया गया है।

परियोजना आयात विनियम, 1986 के अनुसार, किसी संयंत्र की प्रारंभिक स्थापना, विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क प्राधिकारी के साथ परियोजना को केवल एक बार पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है। पर्याप्त कारण या दस्तावेज़ीकरण के बिना एक ही परियोजना के लिए दो अलग-अलग पंजीकरणों का अनुदान प्रक्रियात्मक अनियमितता एवं पंजीकरण प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

अंतिम निर्धारण आदेश की जांच, एनसीएलटी केस रिकॉर्ड एवं उपलब्ध बिल ऑफ़ एंट्री से पता चला कि आयातक को दो अलग-अलग परियोजना आयात (पीआई) पंजीकरण दिए गए थे। हालाँकि, दोहरे पंजीकरण को अधिकृत करने वाली पंजीकरण फाइलें एवं संबंधित पत्राचार सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए थे। देखे गए विचलन निम्नलिखित थे:

i) मैनुअल रूप से निर्धारित बीई के अंतिम निर्धारण आदेश में शामिल न करना

लेखापरीक्षा में देखा गया कि अंतिम निर्धारण आदेश में शामिल 42 बिल ऑफ़ एंट्री (बीई) के अलावा, आयातक द्वारा दायर छः अतिरिक्त बिल ऑफ़ एंट्री का निर्धारण मैनुअल रूप से (गैर-ईडीआई) किया गया था, लेकिन सीमा शुल्क की वसूली के लिए दिनांक 10 मई 2019 को प्रस्तुत आवेदन में आयातक एवं माननीय एनसीएलटी को जारी अंतिम निर्धारण आदेश में शामिल नहीं किया गया था।

इन छः बिल ऑफ़ एंट्री में से, ₹ 73.72 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य वाले चार बिल ऑफ़ एंट्री का निर्धारण मैनुअल रूप से किया गया था और परियोजना संविदा को अंतिम रूप देने के दौरान उन पर विचार नहीं किया गया था, जिसके

परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18(2) के प्रावधानों के अनुसार ₹ 19.79 करोड़ के सीमा शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया था। शेष दो बिल ऑफ़ एंट्री लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जिससे उनके निर्धारण एवं समावेशन की स्थिति का सत्यापन नहीं हो सका।

अंतिम निर्धारण आदेश में मैनुअल रूप से निर्धारित बिल ऑफ़ एंट्री को शामिल न करने के कारण है जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18(2) के प्रावधानों के विरुद्ध, ₹ 19.79 करोड़ के सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। यह सुनिश्चित करने में कि क्या परियोजना के अंतिम रूप दिए जाने के समय दोनों ईडीआई एवं गैर-ईडीआई निर्धारणों का मिलान एवं लेखांकन हुआ है, यह चूक अभिलेख प्रबंधन में कमी एवं आंतरिक नियंत्रण के कमजोर होने का भी संकेत देती है।

पारादवीप सीमा शुल्क प्रभाग ने (अक्टूबर 2025) उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के आधार पर, ₹ 101.89 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य वाले चार अन्य बिल ऑफ़ एंट्री का पता लगाया गया (उपरोक्त दो बिल ऑफ़ एंट्री सहित) जिसके लिए आयातकर्ता को ₹ 48.93 करोड़ की सीमा शुल्क एवं लागू ब्याज सहित की मांग करते हुए एक अनुपूरक/अंतिम निर्धारण आदेश (जून 2025) जारी किया गया है।

ii) अंतिम निर्धारण के दौरान ₹6.96 करोड़ के सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण

अंतिम रूप से मूल्यांकित 42 बिल ऑफ़ एंट्री (बीई) की जांच से पता चला कि विभाग द्वारा जारी अंतिम निर्धारण आदेश में तीन गैर बीई का निर्धारण मूल्य गलत तरीके से लिया गया था, जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 2.2: बिल ऑफ एंट्री (बीई) में निर्धारण विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	बीई तिथि	अंतिम निर्धारण आदेश में ली गयी निर्धारण योग्य मूल्य	वास्तविक निर्धारण मूल्य
1	24.06.2015	5.52	11.03
2	24.06.2015	4.41	8.83
3	31.08.2015	5.50	21.83
		15.43	**41.69**

इस प्रकार, ₹ 41.69 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य को ग़लती से ₹ 15.43 करोड़ के रूप में दर्ज किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.26 करोड़ का कम आकलन दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप अंतिम निर्धारण आदेश में सीमा शुल्क

अधिनियम, 1962 की धारा 18(2) के उल्लंघन में ₹ 6.96 करोड़ के सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

निर्धारण योग्य मूल्यों की रिकॉर्डिंग में त्रुटि, परियोजना के अंतिम रूप दिए जाने के दौरान आयात डेटा के सत्यापन एवं मिलान में कमियों को इंगित करती है। सही निर्धारण मूल्यों को न स्वीकारने के कारण ₹ 6.96 करोड़ का कम उद्ग्रहण और एनसीएलटी को गलत रिपोर्टिंग हुई, जिससे निर्धारण प्रक्रिया की प्रामाणिकता कमजोर हुई और सरकार को संभावित राजस्व नुकसान हुआ।

पाराद्वीप सीमा शुल्क प्रभाग ने कहा (अक्टूबर 2025) कि आयातक को ₹ 6.96 करोड़ के विभेदक शुल्क का भुगतान करने के लिए एक शुद्धिपत्र (जून 2025) जारी किया गया था।

2.9.2 सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण एवं परियोजना आयात दस्तावेज़ों का अपूर्ण होना

भुवनेश्वर आयुक्तालय में पंजीकृत मेसर्स 'ए14' ने सीटीएच 9801 के अंतर्गत परियोजना आयात माल/मशीनरी के लिए दिनांक 7 अक्टूबर 2011 एवं दिनांक 23 जून 2017 के मध्य अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमा शुल्क दिनांक 01 मार्च 2002 के क्रमांक 400 एवं अधिसूचना संख्या 12/2012- सीमा शुल्क के क्रमांक 507 का लाभ उठाते हुए बीसीडी की शून्य दर पर 60 बिल ऑफ़ एंट्री दिनांक 17 मार्च 2012 दाखिल किए।

आयातकर्ता परियोजना आयात संविदा को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक संस्थापना प्रमाणपत्र, मिलान प्रमाणपत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा।

परिणामस्वरूप, विभाग ने छूट की अनुमति न देते हुए 10 *प्रतिशत* बीसीडी की दर से 60 बीई को अंतिम रूप दिया, और कुल ₹ 719.98 करोड़ का शुल्क लगाया, जिसे दिनांक 4 नवंबर 2019 को एनसीएलटी हैदराबाद बेंच के समक्ष एक दावे के रूप में दर्ज किया गया था। आयातकर्ता के विरुद्ध दिवालिया याचिका दिनांक 13 अक्टूबर 2019 को एनसीएलटी द्वारा स्वीकार कर ली गई थी।

आयातकर्ता को परियोजना आयात पंजीकरण प्रदान करने वाली पंजीकरण फाइलें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। अंतिम निर्धारण से यह देखा गया कि दिनांक 27 अक्टूबर 2012 की बिल ऑफ़ एंट्री के लिए, ₹ 33.43 करोड़ के बजाय ₹ 27.92 लाख के रूप में निर्धारण योग्य मूल्य लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.71 करोड़ के सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण और एनसीएलटी में की दावा की गई मांग के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

अनिवार्य दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण परियोजना आयात संविदा को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ एवं बिल ऑफ़ एंट्री में निर्धारित मूल्य की गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 9.71 करोड़ के सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ, जिससे दिवालिया इकाई से वसूली योग्य दावा राशि कम हो गई।

भुवनेश्वर आयुक्तालय ने कहा (अक्टूबर 2025) कि आयातक को ₹ 9.71 करोड़ के विभेदक शुल्क का भुगतान करने के लिए एक शुद्धिपत्र (अप्रैल 2025) जारी किया गया है।

2.9.3 मूल सीमा शुल्क का अनुदग्रहण

अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017 (क्रमांक 597 से 606), परियोजना आयात योजना के अंतर्गत आयातित शीर्षक 9801 के अंतर्गत आने वाले माल के लिए मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की प्रभावी दरों को निर्धारित करता है। उक्त अधिसूचना के क्रमांक 603 के अनुसार, जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए बीसीडी की 'शून्य' दर तभी स्वीकार्य है, जब अधिसूचना में संलग्न शर्त संख्या 111 के अनुसार दिनांक 30 सितंबर 2022 को या उससे पहले पंजीकृत संविदाओं के सापेक्ष माल का आयात किया जाता है। परिणामस्वरूप, दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को या उसके बाद पंजीकृत जल आपूर्ति परियोजनाएं शून्य दर शुल्क के लिए पात्र नहीं हैं और लागू योग्य दर पर निर्धारण के लिए उत्तरदायी हैं।

लेखापरीक्षा में चार आयुक्तालयों[13] में आठ उदाहरणों में ₹3.43 करोड़ की राशि के मूलभूत सीमा शुल्क का उद्ग्रहण न किया जाना देखा गया।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

मेसर्स 'ए15' ने जल आपूर्ति परियोजना (30 एमएलडी एसडब्ल्यूआरओ अलवणीकरण संयंत्र) के लिए अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017 के क्रमांक 603 के अंतर्गत 'शून्य' मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) का लाभ उठाया। संविदा आयातक को सौंपी गयी थी और चेन्नई II आयुक्तालय में पंजीकृत किया गया था। आयात अक्टूबर 2019 से जुलाई 2021 तक चेन्नई समुद्र, चेन्नई एयर, एसीसी मुंबई, मैंगलोर समुद्र एवं न्हावा शेवा बंदरगाह से किया गया था।

यह परियोजना 2022 में चालू हुई एवं अक्टूबर 2023 में इसके पर्याप्त विस्तार हेतु आवेदन किया गया। विभाग ने मूल पीआई पंजीकरण के अंतर्गत छूट की अनुमति दी। दिनांक 30 सितंबर 2022 के बाद पंजीकृत दो अन्य जल आपूर्ति

[13] सीसी अहमदाबाद (1 मामला); सीसी चेन्नई-II (3 मामले); सीसी (पोर्ट) कोलकाता (3 मामले); एवं एनसीएच-मुंबई (1 मामला)।

परियोजनाओं का भी गलत तरीके से 'शून्य' बीसीडी पर निर्धारण किया गया था। 15 बिल ऑफ़ एंट्री के सापेक्ष, ₹ 28.36 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य वाले माल को गलत तरीके से छूट दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.76 करोड़ का सीमा शुल्क नहीं लगाया गया था।

चेन्नई II आयुक्तालय ने कहा (जुलाई 2025) कि मेसर्स 'ए16' के संबंध में सभी सात बिल ऑफ़ एंट्री के लिए कार्रवाई की गई है एवं ₹ 297.81 लाख की राशि वसूल की गई है जिसमें ₹ 82.67 लाख का ब्याज भी शामिल है।

मेसर्स 'ए15' के संबंध में, यह कहा गया था (फरवरी 2025) कि अंतिम उपयोगकर्ता, परियोजना स्थल या आयात के समग्र उद्देश्य में कोई बदलाव नहीं हुआ था। आयातकर्ता के साथ समान संविदात्मक संबंध को जारी रखते हुए, परियोजना के दायरे का विस्तार अंतिम उपयोगकर्ता, मेसर्स 'ए15' द्वारा किया गया था, एवं प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त विस्तार की अनुशंसा की गई थी। चूंकि आयातक को परियोजना के पर्याप्त विस्तार के लिए संविदा मिली, संविदा में संशोधन शुरू किया गया एवं उक्त संविदा को संशोधित किया गया।

विभागीय उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विनियम 6 (1) के अंतर्गत संशोधन केवल परियोजना कार्यान्वयन के दौरान ही किए जा सकते हैं, पूरा होने के बाद नहीं। 30 एमएलडी एसडब्ल्यूआरओ अलवणीकरण संयंत्र 2022 में चालू किया गया था, और इसलिए इसके चालू होने के बाद संशोधन सही नहीं था। बाद के विस्तार ने परियोजना आयात विनियमों के अंतर्गत एक नई परियोजना का गठन किया जिसे नए पंजीकरण की आवश्यकता थी। हालाँकि, आयातक ने दिनांक 30 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017, दिनांक 30 जून 2017 के क्रमांक 603 के अंतर्गत छूट वापस लेने के बाद केवल अक्टूबर 2023 में पर्याप्त विस्तार के लिए आवेदन किया। पुराने वर्ष 2019 के पंजीकरण के अंतर्गत आयात की अनुमति देने से 7.5 *प्रतिशत* शुल्क से छूट मिली, जिसके परिणामस्वरूप छूट का अनियमित विस्तार एवं अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

एनसीएच मुंबई ने उत्तर दिया (अगस्त 2025) कि आयातक ने ₹ 55,373/- की ब्याज राशि के साथ विभेदक शुल्क का भुगतान कर दिया है।

कोलकाता पोर्ट आयुक्तालय ने कहा (सितंबर 2025) कि जांच के बाद तीन आयातकों को मांग नोटिस जारी किया जाएगा।

अहमदाबाद आयुक्तालय ने कहा (दिसंबर 2025) कि अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून 2017 के क्रम संख्या 597 से 606 पर लागू शर्त संख्या 111 के अनुसार, रियायती दर के लाभ पर परियोजना आयात केवल उन परियोजनाओं के लिए मान्य है, जो दिनांक 30 सितंबर 2022 को या उससे पहले

पंजीकृत था। हालाँकि, परियोजना के लिए आयातक दिनांक 21 अक्टूबर 2023 को पंजीकृत है। उपरोक्त को देखते हुए, दिनांक 15 अक्टूबर 2025 का पूर्व-सूचना परामर्श पत्र आयातकर्ता को लागू ब्याज के साथ विभेदक शुल्क का भुगतान करने के लिए भेजा गया है।

2.9.4 आईजीएसटी का भुगतान न होना

(i) कोलकाता पोर्ट आयुक्तालय के अंतर्गत पंजीकृत मेसर्स 'ए17' ने सीमेंट निर्माण संयंत्र की प्रारंभिक स्थापना के लिए आयातित माल एवं अधिसूचना सं.1/2017-ए.क.(दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची I के क्रमांक 257 के अंतर्गत गलत तरीके से 5 *प्रतिशत* पर आईजीएसटी का भुगतान किया, जो कि दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरणों पर लागू है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सीटीएच 9801 के अंतर्गत परियोजना आयात उसी अधिसूचना की अनुसूची III के क्रमांक 451 के अंतर्गत 18 *प्रतिशत* आईजीएसटी को आकर्षित करता है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 455.52 लाख का कम उद्ग्रहण हुआ है।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया एवं फरवरी 2025 में राशि की वसूली की।

(ii) चेन्नई II आयुक्तालय के अंतर्गत पंजीकृत मेसर्स 'ए18' ने अधिसूचना संख्या 2/2017-ए.क.(दर) दिनांक 28 जून 2017 के क्रमांक 150 के अंतर्गत आईजीएसटी छूट का लाभ उठाया, जो केवल सरकार से अनुदान के सापेक्ष एक सरकारी इकाई द्वारा की गई आपूर्ति पर लागू होता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आपूर्तिकर्ता एक विदेशी कंपनी थी, न कि सरकारी इकाई, जिससे छूट लागू नहीं होती है। इसलिए अधिसूचना संख्या 1/2017-ए.क.(दर), दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची III के क्रमांक 451 के अनुसार 18 *प्रतिशत* की दर से ₹ 392.69 लाख का आईजीएसटी देय था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (अगस्त 2025) एवं ब्याज के साथ कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।

(iii) चेन्नई II आयुक्तालय के अंतर्गत पंजीकृत मेसर्स 'ए19' ने अधिसूचना संख्या 45/2016 दिनांक 13 अगस्त 2016 के क्रमांक 1 के अंतर्गत गलत तरीके से आईजीएसटी छूट का दावा किया है, जो केवल कपड़ा सामग्री के लिए विशेष अग्रिम प्राधिकार पर लागू है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि छूट निर्धारिती द्वारा आयातित माल पर लागू नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹26.89 लाख की आईजीएसटी का भुगतान नहीं किया गया।

यह विभाग के संज्ञान में लाया गया (मई 2025), उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

2.9.5 उत्पाद शुल्क का कम उद्ग्रहण

केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के अनुसार, "इलास्टिक पैड, हेलिकल स्प्रिंग्स, टेंशन क्लैम्प एवं बेस प्लेट पैड" क्रमशः सीईटीएच/सीटीएच 3926, 7320, 7326 एवं 7302 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं, और इन पर 12.5 *प्रतिशत* की दर से केंद्रीय उत्पाद शुल्क लागू है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईसीडी-तुगलकाबाद (आयात) आयुक्तालय के अंतर्गत तीन आयातकों से संबंधित चार मामलों में, उपरोक्त माल को परियोजना आयात योजना के अंतर्गत आयात किया गया था एवं अधिसूचना संख्या 12/2012-उत्पाद शुल्क दिनांक 17 मार्च 2012 की क्रम संख्या 272बी के अनुसार 6 *प्रतिशत* की रियायती दर पर निर्धारण किया गया था। हालाँकि, वस्तुएं परियोजना आयात वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं थीं एवं उनका निर्धारण उनके संबंधित टैरिफ शीर्षकों के अंतर्गत 12.5 *प्रतिशत* पर किया जाना चाहिए था। इस गलत वर्गीकरण के कारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क का ₹ 236.73 लाख तक कम उद्ग्रहण हुआ।

यह विभाग के संज्ञान में लाया गया (मई 2025) उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

2.9.6 रियायती शुल्क की गलत स्वीकृति

अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017 के क्रम संख्या 597 एवं 601 से संलग्न शर्त संख्या 111 के अनुसार, मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की पांच *प्रतिशत* की रियायती दर केवल तभी लागू होती है जब परियोजना आयात विनियम, 1986 के अंतर्गत दिनांक 30 सितंबर 2022 को या उससे पहले पंजीकृत संविदाओं के सापेक्ष माल का आयात किया जाता है।

लाइसेंस मॉड्यूल के रिकॉर्ड से लेखापरीक्षा में देखा गया कि चेन्नई-II आयुक्तालय के अंतर्गत पंजीकृत दो लाइसेंसों को दिनांक 30 सितंबर 2022 के बाद पंजीकृत किया गया था, जिससे वे 5 *प्रतिशत* बीसीडी की रियायती दर के लिए अपात्र हो गए और उक्त अधिसूचना की शर्त के अनुसार इन मामलों में लागू बीसीडी दर 7.5 *प्रतिशत* थी। रियायती शुल्क का गलत लाभ उठाने के परिणामस्वरूप ₹ 13.35 लाख का कम उद्ग्रहण हुआ।

इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किए जाने पर, (मई 2025) विभाग ने (अक्टूबर 2025) उत्तर दिया कि ब्याज के साथ विभेदक शुल्क की वसूली के लिए एससीएन जारी किया गया है।

निर्धारित कट-ऑफ तिथि (दिनांक 30 सितंबर 2022) के बाद पंजीकृत संविदाओं के लिए रियायती बीसीडी का गलत विस्तार, लाइसेंस पंजीकरण एवं निर्धारण प्रक्रियाओं में अप्रभावी सत्यापन नियंत्रण को दर्शाता है। आईसीईएस/लाइसेंस मॉड्यूल में सिस्टम-आधारित सत्यापन जांच के अभाव ने अपात्र मामलों को उचित संवीक्षा या अनुमोदन के बिना रियायती दरों पर संसाधित करने की अनुमति दी।

अनुशंसा संख्या 4: सीबीआईसी टैरिफ प्रावधानों के अनुसार सही वर्गीकरण एवं शुल्क अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह के परियोजना आयात मामलों की समीक्षा कर सकता है। इसके अलावा बोर्ड, पंजीकरण तिथि, वर्गीकरण आदि के आधार पर अपात्र संविदा पंजीकरण को चिह्नित करने के लिए आईसीईएस/लाइसेंस मॉड्यूल के भीतर स्वचालित सत्यापन नियंत्रणों को एकीकृत कर, जिससे संबंधित सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

सीबीआईसी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2026) कि परियोजना आयात विनियम, 1986 सीटीएच 9801 के अंतर्गत एक समान वर्गीकरण एवं पंजीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए आयात के लिए शुल्क की एक निश्चित दर प्रदान करता है। तदनुसार, वर्गीकरण या लागू शुल्क दर में भिन्नता की परिकल्पना योजना के अंतर्गत नहीं की गई है। बोर्ड ने आगे कहा कि क्षेत्रीय कार्यालयों को टैरिफ प्रावधानों के अनुसार सही वर्गीकरण एवं शुल्क निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए समान परियोजना आयात मामलों की समीक्षा करने एवं जहां भी आवश्यक हो वहां आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। यह भी सूचित किया गया कि परियोजना आयात लाइसेंस, आईसीईएस लाइसेंस मॉड्यूल के माध्यम से पंजीकृत किए जाते हैं, जिसमें अधिसूचना, पंजीकरण तिथि, लाइसेंस समाप्ति एवं वर्गीकरण जैसे विवरण अनिवार्य रूप से कैप्चर किए जाते हैं।

2.10 मिलान विवरण एवं अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने/प्रस्तुति में विलंब

सीमा शुल्क लॉ मैनुअल के अध्याय 5 के पैरा 5 के साथ पठित परियोजना आयात विनियम (पीआईआर), 1986 के विनियम 7 के अनुसार, आयातकों को अंतिम खेप की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने के भीतर, माल के विवरण, मात्रा एवं मूल्य को दर्शाने वाला एक मिलान विवरण, पंजीकृत चार्टर्ड इंजीनियर से संस्थापना प्रमाणपत्र, बिल ऑफ़ एंट्री (बीई) की प्रतियां, इनवाइस, अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र

एवं संविदा को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

736 नमूना मामलों में से, लेखापरीक्षा में 11 आयुक्तालयों[14] में ₹14,860.97 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाले 201 मामले देखे गए, जहां आयातकों ने 35 दिनों से लेकर 21.7 वर्षों तक के विलंब के साथ मिलान विवरण एवं अन्य दस्तावेज देरी से प्रस्तुत किए थे। **(विवरणी - 4)**

इसके अलावा, चार आयुक्तालयों[15] में ₹ 6,683.86 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाले 38 मामलों में, आयातकों ने नियत तारीख के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, जिसमें विलंब 119 दिनों से लेकर 10 साल (दिनांक 31 मार्च 2024 तक) तक था **(विवरणी - 5)**।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है

मेसर्स 'ए20' को ₹ 932.48 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ एक विद्युत परियोजना के लिए भुवनेश्वर आयुक्तालय के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। अंतिम आयात दिसंबर 2013 में किया गया था, जिसमें दस्तावेजों को जमा करने की नियत तिथि मार्च 2014 थी। हालाँकि, आयातक ने दिनांक 31 मार्च 2024 तक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, जिसके परिणामस्वरूप 10 साल की देरी हुई।

पाराद्वीप सीमा शुल्क आयुक्तालय ने (अक्टूबर 2025) कहा कि एसी, भुवनेश्वर-II डिवीजन से (मार्च 2025) संयंत्र स्थल सत्यापन करने का अनुरोध किया गया है।

इसके अलावा, इन 239 मामलों में से 194 मामलों में कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी नहीं करना भी देखा गया है, जबकि शेष 45 मामलों में कारण बताओं नोटिस जारी करने के संबंध में विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए। **(विवरणी-6)**

मेसर्स 'ए21' के संबंध में पाराद्वीप सीमा शुल्क आयुक्तालय ने (अक्टूबर 2025) कहा कि एक बार जब आयातक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उक्त परियोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

कोलकाता पोर्ट आयुक्तलय ने कहा (सितंबर 2025) कि आयातक ने बाद में शर्तों का पालन किया और संविदाओं को अंतिम रूप दिया गया तथा कोई राजस्व हानि नहीं हुई एवं देरी प्रक्रियात्मक थी और पात्र मामलों में उचित अधिकारी द्वारा माफ कर दी गई।

[14] एसीसी नई दिल्ली (1 मामला); सीसी चेन्नई II(29 मामले); सीसी बेंगलुरु (2 मामले), सीसी (निवा.)-लखनऊ (8 मामले); आईसीडी तुगलकाबाद नई दिल्ली (43 मामले); एनसीएच-मुंबई (56 मामले); जेएनसीएच-मुंबई (7 मामले); सीसी जोधपुर (3 मामले); सीसी (पोर्ट) कोलकाता (38 मामले); सीसी मुंद्रा (9 मामले) एवं सीसी नोएडा (5 मामले)

[15] सीसी भुवनेश्वर (2 मामले): सीसी चेन्नई-II (16 मामले): सीसी मुंद्रा (5 मामले); सीसी विशाखापत्तनम (15 मामले)

जोधपुर आयुक्तालय ने कहा (अगस्त 2025) कि उचित दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी एवं परिणाम जल्द ही साझा किया जाएगा।

मुंद्रा आयुक्तालय ने कहा (दिसंबर 2025) कि आयातकों को परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए पुख्ता दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी किए गए हैं।

विशाखापत्तनम आयुक्तालय ने कहा (अक्टूबर 2025) कि 15 मामलों में से, आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए पार्टी को नोटिस जारी किए गए हैं। दो मामलों के संबंध में, पार्टियों के बिल ऑफ एंट्री का निर्धारण करने के लिए चेन्नई सीमा शुल्क को एक पत्र भेजा गया था और अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा है। मेसर्स 'ए22' से संबंधित शेष चार मामलों के संबंध में, उन्होंने 70.68 प्रतिशत के लिए आनुपातिक मेगा पावर प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था एवं अंतिम प्रमाणपत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

जेएनसीएच, एनसीएच मुंबई एवं चेन्नई-II आयुक्तालय ने कहा (जुलाई 2025) कि कानून के विभिन्न मामले मौजूद हैं जो आयातक को अंतिम आयात के तीन महीने के भीतर दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में परियोजना आयात के अंतर्गत छूट का लाभ उठाने की अनुमति देते हैं। मेसर्स 'ए23' के संबंध में, संबंधित दस्तावेज़ों का पता लगाया जा रहा है; इनके बिना, इस चरण पर विभाग के लिए अंतिम रूप देने में हुई देरी का निश्चित कारण बताना संभव नहीं था।

इन आयुक्तालयों (जेएनसीएच, एनसीएच मुंबई और चेन्नई-II) का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मिलान विवरण एवं अन्य दस्तावेज़ जमा करने में हुई देरी पीआईआर, 1986 के प्राधिकार 7 का अनुपालन करने के अनुसार नहीं है। यह परियोजना आयात मामलों के अंतिम रूप देने को प्रभावित करने वाली अपर्याप्त निगरानी को इंगित करता है। आयातकर्ता द्वारा समय सीमा बढ़ाने का कोई अनुरोध नहीं था और न ही रिकॉर्ड में उचित अधिकारी द्वारा किसी विस्तार को दिये जाने का प्रमाण मिला।

दस्तावेजों के जमा करने में लंबी देरी एवं एससीएन के जारी न होने से परियोजना आयात संविदाओं का निगरानी एवं नियंत्रण तंत्र कमजोर हो जाता है तथा सरकार को संभावित राजस्व हानि का सामना करना पड़ता है।

2.11 अनिवार्य दस्तावेज जमा किए बिना पीआई संविदाओं को अंतिम रूप देना

सीमा शुल्क लॉ मैनुअल के अध्याय 5 के पैरा 5 सहपठित परियोजना आयात विनियम (पीआईआर), 1986 के विनियम 7 के अनुसार, आयातकों को अंतिम खेप की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने के भीतर, माल के विवरण, मात्रा एवं

मूल्य को दर्शाने वाला एक मिलान विवरण, साथ ही एक पंजीकृत चार्टर्ड इंजीनियर से संस्थापना प्रमाणपत्र, बिल ऑफ़ एंट्री की प्रतियां, इनवाइस, अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र, एवं संविदा को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। उचित अधिकारी को इन दस्तावेजों की प्राप्ति एवं जांच के बाद ही अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देना होगा।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि पांच आयुक्तालयों[16] के अंतर्गत 28 मामलों में, जिसमें ₹ 1,130.02 करोड़ ***(विवरणी-7)*** सीआईएफ मूल्य शामिल था, आयातकों ने मिलान विवरण, संस्थापना प्रमाणपत्र, बिल ऑफ़ एंट्री की प्रतियां, इनवाइस एवं अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र सहित निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। इसके बावजूद, संविदाओं को विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया गया था, जो पीआईआर एवं सीमा शुल्क कानून लॉ के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने का संकेत देता है।

मुंद्रा आयुक्तालय ने कहा (दिसंबर 2025) कि आयातक को ब्याज एवं जुर्माने के साथ शुल्क का भुगतान करने के लिए पत्र जारी किया गया है, जिसमें विफल होने पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की जाएगी।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है

मेसर्स 'ए24' ने एनसीएच, मुंबई आयुक्तालय के अंतर्गत दादरी बवाना नांगल परियोजना को ₹194.75 लाख के सीआईएफ मूल्य के साथ पंजीकृत किया। इस परियोजना को भुगतान के प्रमाण, बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र (बीआरसी), या बैंक संव्यवहार के विवरण के बिना दिनांक 15 मार्च 2023 को अंतिम रूप दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि विभाग ने स्वतंत्र दस्तावेजी साक्ष्य को सत्यापित करने के बजाय भुगतान के प्रमाण के रूप में आयातक से स्व-प्रमाणीकरण स्वीकार किया। यह, परियोजना आयात विनियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं का गैर अनुपालन करता है, क्योंकि भुगतान का उचित सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आयातित माल वास्तविक परियोजना व्यय के अनुरूप है।

पूर्ण प्रलेखन की प्राप्ति के बिना संविदाओं का अंतिम रूप देना परियोजना आयात योजना के अंतर्गत प्राप्त रियायती शुल्क लाभों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए अभिप्रेत नियंत्रण तंत्र को कमजोर करता है, इसके अलावा, गलत वर्गीकरण, अतिरिक्त आयात, या घोषित परियोजना उद्देश्यों के लिए आयातित माल के गैर-उपयोग का जोखिम पैदा करता है, जिससे राजस्व का संभावित नुकसान होता है।

[16] आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली (16 मामले); जेएनसीएच-मुंबई (4 मामले); एनसीएच-मुंबई (5 मामले); सीसी (निवा.) लखनऊ (2 मामले) एवं सीसी मुंद्रा (1 मामला)]

जेएनसीएच एवं एनसीएच मुंबई ने (सितंबर/अक्टूबर 2025) कहा कि विभिन्न केस कानून मौजूद हैं जो आयातक को अंतिम आयात के तीन महीने के भीतर दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में परियोजना आयात के अंतर्गत छूट का लाभ उठाने की अनुमति देते हैं। इसमें कहा गया है कि बीआरसी, पीआईआर 1986 में निर्धारित दस्तावेज नहीं है। मेसर्स 'ए25' के संबंध में, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी भुगतान प्रमाणपत्र को स्वीकार कर लिया गया है, एवं न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया था।

मेसर्स 'ए26' के संबंध में, उपकरण प्रमाणपत्र एजीएम, एनटीपीसी द्वारा जारी किया गया था, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से सहमति व्यक्त की, कि सभी वस्तुएं संस्थापित हो गई है। यह परियोजना वर्ष 2005 में पंजीकृत की गई थी और इसलिए यह अव्यवहार्य है कि एनटीपीसी नए संस्थापना प्रमाणपत्र जारी करेगा। भविष्य में ₹1 करोड़ *से अधिक मूल्य की परियोजनाओं के लिए क्षेत्राधिकारी जीएसटी संरचना से संयंत्र स्थल सत्यापन (पीएसवी) प्राप्त किया जाएगा।*

सार्वजनिक सूचना सं.59/2003 दिनांक 02 जून 2003 एवं मौजूदा मानक प्रक्रियाओं जिसमें संविदा को अंतिम रूप देने के लिए बैंक प्रेषण प्रमाणपत्र पर जोर दिया गया है, के मद्देनज़र विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। तथ्य यह है कि उक्त सार्वजनिक सूचना के अनुसार निर्धारित अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र जमा किए बिना परियोजना को अंतिम रूप दिया गया था।

2.12 संस्थापना प्रमाणपत्र और संयंत्र स्थल सत्यापन के बिना परियोजना संविदाओं को अंतिम रूप देना

परियोजना आयात विनियम, 1986 (पीआईआर) के विनियम 7 के प्रावधानों के साथ पठित बोर्ड के परिपत्र सं.22/2011-सीमा शुल्क दिनांक 04 मई 2011 के अनुसार, आयातक को परियोजना संविदा को अंतिम रूप देने के लिए अन्य दस्तावेजों के साथ आयातित मशीनरी की संस्थापना को प्रमाणित करने वाले एक पंजीकृत सनदी अभियंता से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयातित माल वास्तव में संस्थापित हो गया है एवं इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है, उन सभी मामलों में जहां परियोजना का मूल्य ₹ एक करोड़ से अधिक है, पीएसवी को क्षेत्राधिकारी सीजीएसटी/सीमा शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाना है, जहां संयंत्र स्थित है। ऐसी संविदाओं के विवरण को घोषित संयंत्र स्थल पर संस्थापना की पुष्टि करने के लिए क्षेत्राधिकारी जीएसटी कार्यालय के साथ भी साझा किया जाना है।

383 अंतिम रूप दी गई परियोजना आयात मामलों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि सात आयुक्तालयों[17] में 29 मामलों में, अनिवार्य संस्थापना प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना और आवश्यक पीएसवी आयोजित किए बिना संविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया था। इन परियोजनाओं का कुल मूल्य ₹ 948.13 करोड़ था जिसमें ₹ 7.75 करोड़ का परित्यक्त शुल्क था ***(विवरणी-8)***।

एनसीएच मुंबई ने मेसर्स 'ए27' के संबंध में (सितंबर 2025) में कहा कि पीएसवी आयोजित किया गया था, हालांकि गलत पते के कारण पत्र शुरू में वितरित नहीं हो पाया था। मेसर्स 'ए26' के संबंध में, विभाग ने क्षेत्राधिकारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को पीएसवी जारी करने के लिए पत्र लिखे हैं।

मेसर्स 'ए28' के संबंध में, एनसीएच मुंबई ने (सितंबर 2025) में कहा कि पीएसवी वर्ष 2012 में प्राप्त किया गया था जिसमें चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा पुष्टि की गई है कि आयातित माल उनके परिसर में संस्थापित किया गया है।

मेसर्स 'ए28' के मामले में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जाए कि अंतिम रूप देने के लिए वर्ष 2012 एवं वर्ष 2015 के दौरान दो पीएसवी प्रस्तुत करने की विसंगति पर लेखापरीक्षा विवाद था एवं चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र, पीएसवी प्रमाणपत्र का स्थान नहीं ले सकता।

मुंद्रा आयुक्तालय ने (दिसंबर 2025) कहा कि आयातकों (मेसर्स 'ए29', मेसर्स 'ए30' एवं मेसर्स 'ए31') को आईसी एवं पीएसवी जमा करने के गैर-अनुपालन पर अपना कारण प्रस्तुत करने के लिए पत्र जारी किए गए हैं। आयातकर्ता से उत्तर की प्रतीक्षा है एवं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार आयातक के सापेक्ष उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

मेसर्स 'ए32' के संबंध में जोधपुर आयुक्तालय ने (अगस्त 2025) में कहा कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए, परियोजना आयात के अंतर्गत पीएसवी की आवश्यकता को पीएसयू प्रमुख/सरकारी उपक्रम के अध्यक्ष/ कार्यकारी निदेशक द्वारा उचित प्रमाणपत्र जारी करके पूरा किया जा सकता है। तदनुसार, कार्यकारी निदेशक पावर ग्रिड-एनआर-I, एससीओ बे, फरीदाबाद द्वारा उपयोग एवं संस्थापना का प्रमाणपत्र जारी किया गया है। मेसर्स 'ए33' के मामले में, आयातक ने पंजीकृत चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा दिनांक 08 नवंबर 2017 को जारी किया गया स्थापना प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रमाण पत्र मेसर्स 'ए33' के मामले में उचित

[17] सीसी चेन्नई-II (12 मामले): सीसी (निवा.)-लखनऊ (5 मामले); आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली (2 मामले); सीसी जोधपुर (2 मामले), सीसी मुंद्रा (3 मामले), एनसीएच, मुंबई (3 मामले) एवं सीसी नोएडा (2 मामले)

प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था। मेसर्स 'ए32' के मामले में, तथ्य यह है कि परियोजना का अंतिम रूप पीएसवी के बिना किया गया था।

कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

(i) मेसर्स 'ए34', चेन्नई II आयुक्तालय के अंतर्गत पंजीकृत, ₹ 92.08 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ एक विद्युत परियोजना के लिए, दिनांक 13 सितंबर 2019 को अंतिम आयात किया और दिनांक 02 मार्च 2022 को अंतिम रूप देने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए। हालाँकि, संयंत्र स्थल सत्यापन (पीएसवी) किए बिना दिनांक 05 मई 2022 को मामले को अंतिम रूप दिया गया था।

(ii) मेसर्स 'ए35', लखनऊ आयुक्तालय के सीमा शुल्क (निवारक) के अंतर्गत सीआईएफ मूल्य ₹ 47.15 करोड़ वाली पंजीकृत एक मेट्रो रेल परियोजना, दिनांक 30 नवंबर 2018 को अंतिम आयात किया। दिनांक 26 अप्रैल 2022 को संयंत्र स्थल सत्यापन प्रतिवेदन के बिना मामले को अंतिम रूप दिया गया था।

(iii) आईसीडी-तुगलकाबाद आयुक्तालय के अंतर्गत पंजीकृत एक जल शोधन परियोजना, मेसर्स 'ए36' ने ₹ 10.00 करोड़ की परियोजना मूल्य के साथ, दिनांक 10 फरवरी 2017 को अंतिम आयात किया एवं दिनांक 06 जून 2018 को दस्तावेज प्रस्तुत किए। दिनांक 15 नवंबर 2019 को संस्थापना प्रमाणपत्र एवं संयंत्र स्थल सत्यापन प्राप्त किए बिना मामले को अंतिम रूप दिया गया था।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

इस तरह के सत्यापन एवं प्रमाणन का अभाव, आयातित माल के अंतिम उपयोग के अनुपालन को सुनिश्चित करने के मूल उद्देश्य को विफल कर देता है और परियोजना आयात योजना के अंतर्गत रियायती शुल्क पर आयातित माल के विपथन या दुरुपयोग के जोखिम को बढ़ा देता है। यह संविदाओं को अंतिम रूप देने से पहले विभाग द्वारा कमजोर आंतरिक नियंत्रण एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अननुपालन का संकेत देता है।

अनुशंसा संख्या 5: सीबीआईसी, आईसीईएस के भीतर अनिवार्य प्रणाली-आधारित सत्यापन जांच स्थापित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना आयात मामले को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि संस्थापना प्रमाणपत्र एवं संयंत्र स्थल सत्यापन प्रतिवेदन अपलोड एवं सत्यापित नहीं किए जाते हैं।

सीबीआईसी (मई 2026) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि आइसगेट पर एक नया मॉड्यूल विकसित करने की आवश्यकता है जहां आयातक

आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ परियोजना आयात लाइसेंस पंजीकृत करने के लिए अधिकारी से अनुरोध कर सकता है। संस्थापना प्रमाणपत्र, संयंत्र स्थल सत्यापन जैसे अन्य दस्तावेजों को आयातक द्वारा आइसगेट पोर्टल के माध्यम से ई-संचित पर अपलोड किया जा सकता है। अपलोड किए गए दस्तावेज़ को अधिकारी की स्वीकृति के लिए आईसीईएस में प्रोजेक्ट इम्पोर्ट्स लाइसेंस से जोड़ा जा सकता है।

2.13 निष्कर्ष

परियोजना आयात योजना किसी परियोजना की प्रारंभिक संस्थापना या मौजूदा परियोजना के पर्याप्त विस्तार जिसमें संस्थापित क्षमता का 25 *प्रतिशत* से कम शामिल नहीं है के लिए आवश्यक मशीनरी, उपकरण, कच्चे माल एवं अन्य वस्तुओं के आयात की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना और रियायती दर पर एकल टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत ऐसे वस्तुओं के निर्धारण की अनुमति देकर परियोजना से संबंधित आयातों की त्वरित निकासी को सक्षम बनाना है।

हालांकि, योजना के निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि नमूना परियोजना आयात संविदाओं के पंजीकरण में देरी हुई, जो अपर्याप्त निगरानी और आंतरिक प्रक्रियाओं में स्पष्ट रूप से निश्चित समय-सीमा के अभाव को दर्शाता है। निर्धारित समय सीमा कमी जवाबदेही को भी सीमित करती है और आयुक्तालयों में असमान प्रक्रियाओं का कारण बनती है।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि योजना के अंतर्गत आयात को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा का अभाव, आयातकों द्वारा मिलान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विलंब के साथ, परियोजना आयात संविदाओं को अंतिम रूप देने में लंबे समय तक लंबित रहने एवं फिर वर्षों तक जारी रहने का कारण बना है। यह योजना की शर्तों के अनुपालन को सत्यापित करने वाले नियंत्रण तंत्र को कमजोर करता है और संभावित रूप से शुल्क अपवंचन, माल का लेखांकन न करना एवं परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की हानि हो सकती है।

यह भी देखा गया कि कुछ मामलों में, पंजीकरण से पहले पर्याप्त विस्तार की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से सत्यापित नहीं किया गया था, जिससे परियोजना आयात लाभों का अयोग्य विस्तार हुआ। इसके अलावा, वैधानिक अधिसूचनाओं के प्रावधानों के विपरीत, अपात्र मशीनरी/वस्तुओं पर रियायती शुल्क लाभ को गलत तरीके से दिया गया था, जो संविदा पंजीकरण और निर्धारण के चरणों में मजबूत

संवीक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा में दस्तावेजों के विलंबित प्रस्तुतीकरण के उदाहरणों एवं कुछ ऐसे मामलों की भी जांच की गयी, जहां रियायती शुल्क लाभों की पात्रता को सत्यापित करने के लिए इच्छित नियंत्रण तंत्र को कमजोर करते हुए और घोषित परियोजना के लिए आयातित माल के गलत वर्गीकरण, अतिरिक्त आयात या गैर-उपयोग के जोखिम को बढ़ाते हुए, संभावित राजस्व जोखिम पैदा कर, बिना पूर्ण दस्तावेज़ीकरण की प्राप्ति के संविदा को अंतिम रूप दिया गया था।

अध्याय III
परियोजना आयात योजना के अंतर्गत आयात की सुविधा के लिए व्यापार सुगमता की पहल

सुचारू और त्वरित निर्धारण की सुविधा के लिए, परियोजना आयात योजना वर्गीकरण तथा मूल्यांकन की एक सरलीकृत प्रक्रिया प्रदान करती है, जिसमें योजना के अंतर्गत आयातित सभी वस्तुओं को एकल सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच 9801) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है एवं शुल्क एक समान दर के अधीन होता है। संक्षेप में, योजना का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, कार्गो निकासी में अनावश्यक विलंब को कम करना और त्वरित एवं सरल निर्धारण प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

लेखापरीक्षा ने इस सुविधा तंत्र के कुछ पहलुओं की जांच की, जिसमें बंदरगाहों, आईसीडी एवं हवाई माल ढुलाई परिसरों में माल के रुकने का समय; आयातकों द्वारा दस्तावेजों के जमा करने की समयबद्धता; एवं बिल ऑफ एंट्री के साथ-साथ परियोजना आयात संविदाओं के अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने में लगने वाला समय शामिल है। अनुवर्ती अनुच्छेदों में लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई है।

3.1 परियोजना आयात के अंतर्गत माल की निकासी में अनावश्यक विलंब

डब्ल्यूटीओ मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत व्यापार सुविधा लक्ष्यों के अनुरूप, राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (एनटीएफएपी) 2020-2023 व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए समुद्री कार्गो एवं आईसीडी के लिए 48 घंटों के भीतर एवं हवाई कार्गो के लिए 24 घंटों के भीतर सांकेतिक निकासी समय-सीमा निर्धारित करती है।

लेखापरीक्षा ने नौ आयुक्तालयों[18] में 155 परियोजना आयात मामलों से संबंधित 3,798 बीई के लिए माल रुकने के समय का विश्लेषण किया। 97 पीआई मामलों वाले 564 बीई में 3 से 1,149 दिनों तक की देरी देखी गई ***(विवरणी- 9 एवं 9ए)***, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

[18] सीसी अहमदाबाद (1 मामला); एसीसी बेंगलुरु (1 मामला); सीसी बेंगलुरु (2 मामले); सीसी जोधपुर (1 मामला); सीसी लुधियाना (1 मामला); सीसी विशाखापत्तनम (3 मामले); सीसी कोलकाता (11 मामले); सीसी चेन्नई II- (74 मामले) एवं सीसी तूतीकोरिन (3 मामले)

तालिका 3.1: परियोजना आयात के अंतर्गत माल की निकासी में विलंब

विलंब अवधि	बीई की संख्या
0 - 3 महीने	512
3 महीनों- 1 वर्ष	41
1 वर्ष एवं उससे अधिक	11
योग	**564**

इसके उत्तर में, विशाखापत्तनम आयुक्तालय एवं एसीसी बेंगलूरु ने कहा (जुलाई एवं अक्टूबर 2025) कि पीआई योजना में आयात का अनंतिम रूप से निर्धारण किया गया है, जिसके लिए भौतिक बॉन्ड, बीजी एवं शुल्क भुगतान विवरण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में मुख्य रूप से आयातकों की ओर से विलंब हुआ था।

जोधपुर आयुक्तालय ने कहा (अगस्त 2025) कि विलंब का कारण मिलान प्रमाण पत्र विलंब से प्रस्तुत करना और प्रणाली-आधारित निर्धारण, जिसके अंतर्गत बॉन्ड डेबिट करने के लिए पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

कोलकाता आयुक्तालय ने कहा (सितंबर 2025) कि बीई की निकासी पीआई फाइनलाईज़ेशन सेल से नहीं की गई थी।

अहमदाबाद आयुक्तालय ने (दिसंबर 2025) कहा कि परियोजना आयात लाइसेंस एवं ईपीसीजी लाइसेंस दोनों के अंतर्गत दोहरी डेबिट की अनुमति, प्रणाली द्वारा नहीं दी गई थी और मैनुअल आउट ऑफ चार्ज (ओओसी) प्रदान किया गया था जिसे बाद में सिस्टम में नियमित किया गया था।

पीआई योजना के अंतर्गत माल की निकासी में पर्याप्त देरी का होना प्रक्रियात्मक सरलीकरण और तेजी से कार्गो आवाजाही के इच्छित उद्देश्य के विपरीत है। इस तरह की देरी परियोजना आयात तंत्र के भीतर समन्वय, दस्तावेज़ प्रसंस्करण या प्रणाली-स्तरीय अनुमोदन में अक्षमताओं को इंगित करती है। निर्धारित निकासी समय-सीमा का पालन न करने से परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और एनटीएफएपी के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को कमजोर कर देता है, जिससे व्यापार में सुगमता समग्र रूप से प्रभावित होती है।

अनुशंसा संख्या 6: सीबीआईसी, आईसीईएस में सभी परियोजना आयात बिल ऑफ एंट्री के निकासी समय की प्रणाली-आधारित निगरानी शुरू करने पर विचार करे एवं प्रक्रिया की बाधाओं की पहचान करने एवं सुधारात्मक उपाय करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में विलंब का विश्लेषण कर सकता है।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2026) कि रुकने के समय की निगरानी के लिए एमआईएस प्रतिवेदन उपलब्ध है और प्रभावी निगरानी के लिए आईसीईएस में राष्ट्रीय निर्धारण केंद्र (एनएसी) डैशबोर्ड बनाया गया है।

बोर्ड की प्रतिक्रिया की समीक्षा इस तथ्य के मद्देनज़र की जा सकती है कि निगरानी तंत्र मौजूद होने के बावजूद, लेखापरीक्षा ने 11 नमूना मामलों में एक वर्ष से अधिक की देरी और 41 मामलों में तीन महीने से अधिक की देरी देखी। यह क्षेत्रीयी स्तर पर निगरानी और समय पर हस्तक्षेप के अंतराल को दर्शाता है। इसलिए, लेखापरीक्षा में बताए गए विशिष्ट मामलों की समीक्षा की जा सकती है, और अंतिम छोर तक व्यापार में सुगमता उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा निगरानी ढांचे को एवं मजबूत किया जा सकता है।

3.2 परियोजना आयात में विलंब/अंतिम रूप न देना

परियोजना आयात विनियम (पीआईआर), 1986 के विनियम 7 के अनुसार, आयातकों को अंतिम खेप की निकासी की तारीख से तीन महीने के भीतर, या उचित अधिकारी द्वारा अनुमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, निर्धारण को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, परिपत्र संख्या 22/2011-सीमा शुल्क दिनांक 04 मई 2011 के पैरा 3.1 में यह निर्धारित किया गया है कि परियोजना आयात के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देने का कार्य आयातक द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के जमा करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। असाधारण परिस्थितियों में, जहां इस अवधि के भीतर अंतिम रूप देना संभव नहीं है, सक्षम प्राधिकारी समय सीमा बढ़ा सकता है, बशर्ते कारण लिखित में दर्ज किए जाएं।

लेखापरीक्षा में, आयातकों से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने के बावजूद, नौ आयुक्तालयों[19] में ₹ 5,401.18 करोड़ मूल्य की कुल परियोजना को शामिल करते हुए 26 से 8,694 दिनों तक की देरी के साथ निर्धारण के अंतिम रूप दिए जाने में देरी के 102 मामलों को देखा गया ***(विवरणी 10(ए))***। विलंब के उदाहरणात्मक की संख्या के साथ विलंब की आयुक्तालय-वार सीमा, नीचे चार्ट 3.1 में विस्तृत है:

[19] सीसी चेन्नई II (14 मामले); सीसी (निवा.)-लखनऊ (4 मामले); सीसी जोधपुर (2 मामले); सीसी मुंद्रा (3 मामले); एनसीएच-मुंबई (33 मामले); एसीसी दिल्ली (33 मामले); सीसी नोएडा (3 मामले); जेएनसीएच-मुंबई (5 मामले); सीसी विशाखापत्तनम (5 मामले)

चार्ट 3.1: अंतिम रूप देने में विलंब

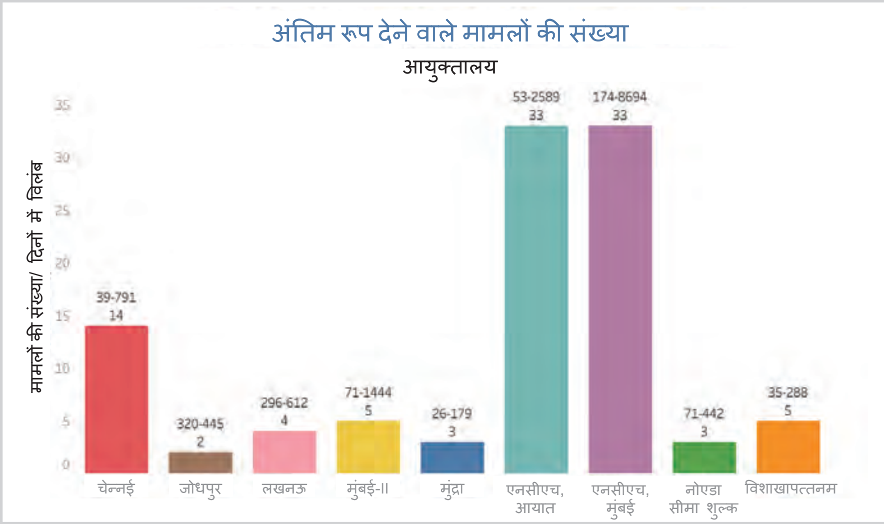

इसके अलावा, यह देखा गया कि वर्ष 2016 से दिनांक 31 मार्च 2024 तक 2,840 दिनों तक के विलंब के साथ 11 आयुक्तालयों[20] में ₹ 1,773.91 करोड़ की कुल परियोजना मूल्य वाले 38 निर्धारण मामले अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित थे, भले ही आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे ***(विवरणी 10(बी))***। अंतिम रूप देने में लंबितता की आयुक्तालय-वार सीमा के साथ-साथ अंतिम रूप देने के लिए लंबित उदाहरणों की संख्या, नीचे चार्ट 3.2 में विस्तृत है:

चार्ट 3.2: दिनांक 31 मार्च 2024 तक अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों का विवरण

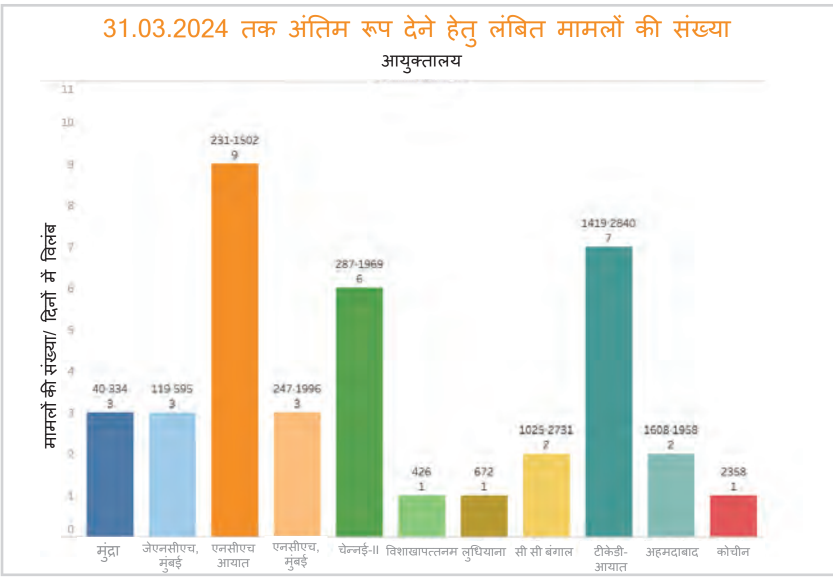

---

[20] **सीसी अहमदाबाद (2 मामले); सीसी बेंगलुरु (2 मामले); सीसी चेन्नई II (6 मामले); सीसी कोचीन (1 मामला); जेएनसीएच मुंबई (3 मामले); सीसी लुधियाना (1 मामला); सीसी मुंद्रा (3 मामले); एनसीएच-मुंबई (3 मामले); एसीसी दिल्ली (9 मामले); आईसीडी तुगलकाबाद (7 मामले); सीसी विशाखापत्तनम (1 मामला)**

ये देरी विभाग के कारण भी थी, जिसने आयातकों द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाने के बावजूद संविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया था, और आयातकों के कारण भी, क्योंकि उन्होंने आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विलंब किया तथा सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देने में भी देरी की। आयातकों द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में देरी के चार मामले देखे गए, जिसमें चेन्नई-II, कोलकाता पोर्ट, भुवनेश्वर एवं आईसीडी-तुगलकाबाद आयुक्तालय में प्रत्येक में एक-एक मामले सामने आए, जिसमें देरी 49 से 1,818 दिनों तक थी।

उत्तर में, आयुक्तालयों (एनसीएच आयात एवं जेएनसीएच, मुंबई, जोधपुर, एसीसी बेंगलूरु, चेन्नई-II, विशाखापत्तनम एवं लुधियाना) ने कहा (अप्रैल-अक्टूबर 2025) कि देरी मुख्य रूप से आयातकों द्वारा अपर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण है, जिसमें कई हितधारक शामिल होते हैं, जैसे कि जीएसटी से संयंत्र स्थल सत्यापन, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी) से अंतिम निर्धारण, बंदरगाह की भीड़भाड़, लॉजिस्टिक से जुड़े मुद्दे, कस्टम्स ब्रोकर, प्रणाली एवं तकनीकी गड़बड़ियाँ आदि।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

मेसर्स 'ए12' ने तूतीकोरिन सीमा शुल्क में परियोजना आयात के अंतर्गत मेसर्स 'बी1' (इकाई 1 एवं 2) को आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए 94 मिलियन अमेरिकी डॉलर के संविदा मूल्य के साथ पंजीकृत किया था।

उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, मेसर्स 'बी1' इकाई-1 एवं इकाई-2 ने क्रमशः दिनांक 31 दिसंबर 2014 एवं 31 मार्च 2017 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया।

आयातकर्ता ने फरवरी 2013 के अपने पत्र में कहा कि सभी आयातित सामग्रियों का परियोजना में पूरी तरह से उपयोग किया गया था और सभी संबद्ध संविदाओं के बंद होने के बाद मेसर्स 'बी1' के अध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्णता का प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा। हालाँकि, संस्थापना एवं बैंक संव्यवहार प्रमाणपत्र की मांग के संबंध में बार-बार विभागीय पत्राचार (नवंबर 2020 से अक्टूबर 2024) के बावजूद, लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत फाइलों में मेसर्स 'बी1' से प्राप्त कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

इसके अलावा, वर्ष 2015 में निष्पादित अतिरिक्त संविदाओं की प्रकृति एवं विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जिससे परियोजना के संशोधित दायरे एवं लागत का सत्यापन नहीं हो सका। परियोजना आयात विनियम, 1986 के विनियम-5 के अनुसार, संविदा में किसी भी संशोधन या संशोधित लागत को प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा सीमा शुल्क विभाग को सूचित किया जाना चाहिए, हालांकि, ऐसा कोई पत्राचार रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था।

परियोजना को अंततः परिपत्र संख्या 27/2019-सीमा-शुल्क (09 अक्टूबर 2019) और ₹ 9,843.75 करोड़ के मूल्य के पीआई बॉन्ड के अनुसार पीआई मॉड्यूल में लाया गया था। ₹ 19.50 करोड़ मूल्य की 29 बिल ऑफ एंट्री को बॉन्ड लेजर में डेबिट किया गया था। दोनों इकाइयों के चालू होने और कई साल पहले प्रचालन शुरू होने के बावजूद, मार्च 2024 तक परियोजना आयात संविदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया, भले ही अधिकांश आयात उपभोज्य प्रकृति के प्रतीत होते थे।

वर्ष 2014-2017 से चालू और प्रचालित होने के बावजूद परियोजना संविदा को अंतिम रूप देने में अत्यधिक देरी हुई थी। आयातकर्ता एवं प्रायोजक प्राधिकरण से प्रतिक्रिया की कमी के साथ आवश्यक संस्थापना और मिलान प्रमाणपत्रों का जमा न होना, आयात के बाद की कमजोर निगरानी एवं परियोजना आयात विनियमों के अनुपालन न होने का संकेत देता है। यह सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचना एवं कार्यान्वयन एजेंसी के मध्य समन्वय में प्रणालीगत कमियों को दर्शाता है, जिससे परियोजना पूरी होने के बाद लंबे समय तक रिकॉर्ड में उच्च मूल्य के मामलों की लंबितता होती है।

यह विभाग के संज्ञान (अप्रैल 2025) में लाया गया एवं उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

परियोजना आयात निर्धारण के अंतिम रूप देने में देरी एवं लंबितता, परियोजना आयात विनियम, 1986 के विनियम 7 एवं दिनांक 04 मई 2011 की परिपत्र संख्या 22/2011-सीमा शुल्क के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करने का संकेत देती है। जबकि आयुक्तालयों ने देरी का श्रेय मुख्य रूप से आयातकों की ओर से कमियों और कई बाहरी हितधारकों की भागीदारी को दिया है, लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रभावी अंतर-विभागीय समन्वय की कमी, सत्यापन की समानांतर के बजाय क्रमिक प्रसंस्करण, और सीमा शुल्क संरचनाओं के भीतर निश्चित आंतरिक समय-सीमा के अभाव ने लंबे समय तक लंबितता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस तरह की देरी से आयातित वस्तुओं की वास्तविक संस्थापना और उपयोग के समय पर सत्यापन के लिए नियंत्रण तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे प्रणाली संभावित राजस्व जोखिमों और प्रशासनिक अक्षमताओं उजागर हो जाती है। इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालयों में अंतिम रूप देने में देरी को ट्रैक करने और आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत, प्रणाली-आधारित निगरानी तंत्र के अभाव के परिणामस्वरूप जवाबदेही के बिना बार-बार लंबितता हुई है। इसके अलावा, यह परियोजना आयात योजना के अंतर्गत पंजीकृत संविदाओं की संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है।

सीबीआईसी (मई 2026) ने कहा कि परियोजना आयात योजना के अंतर्गत पंजीकरण में गिरावट मुख्य रूप से केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 की घोषणा के

अनुसार रियायती शुल्क लाभों की चरणबद्ध वापस लेने के कारण है। सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और "मेक इन इंडिया" पहल के अंतर्गत एक समान अवसर प्रदान करने के लिए परियोजना आयात पर रियायती दरों को धीरे-धीरे समाप्त करने और 7.5 प्रतिशत की मध्यम टैरिफ दर लागू करने का निर्णय लिया। तदनुसार, दिनांक 30 सितंबर 2022 के बाद पंजीकृत परियोजना संविदा अब अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्तूबर 2025 यथासंशोधित, के अंतर्गत रियायती शुल्क लाभ के लिए पात्र नहीं हैं, और मानक टैरिफ दर 7.5 प्रतिशत के अधीन हैं। 5 प्रतिशत शून्य की रियायती दरें या बीसीडी केवल दिनांक 30 सितंबर 2022 को या उससे पहले पंजीकृत संविदाओं पर लागू रहती हैं।

परियोजना आयात योजना के अंतर्गत रियायती शुल्क लाभों की चरणबद्ध वापसी के संबंध में बोर्ड की प्रतिक्रिया को लेखापरीक्षा नोट करती है। हालाँकि, सनसेट क्लॉज़ पर औपचारिक अधिसूचना लाए जाने तक, पहले से ही चल रही परियोजना आयात संविदा, परियोजना आयात विनियम, 1986 के मौजूदा प्रावधानों द्वारा शासित होते रहेंगे। इसलिए, चल रही संविदाओं के लिए निरंतर और प्रभावी निगरानी तथा त्वरित अंतिम रूप देने की आवश्यकता है ताकि सरकारी राजस्व की रक्षा की जा सके एवं लंबित मामलों के संचय से बचा जा सके।

3.3 अनंतिम रूप से निर्धारित बिल ऑफ़ एंट्री में विलंब/अंतिम रूप न देना

परिपत्र संख्या 22/2011-सीमा शुल्क दिनांक 04 मई 2011 के पैरा 3.1 में यह निर्धारित किया गया है कि परियोजना आयात के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देने का कार्य आयातक द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के जमा करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

383 अंतिम परियोजना आयात मामलों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आठ आयुक्तालयों[21] के 77 पंजीकरणों में, 50 आयातकों को सम्मिलित करते हुए, 662 बीई के संबंध में देरी और निर्धारण को अंतिम रूप न देने के दृष्टांत थे। इनमें से, 167 बीई को 22 से 5,978 दिनों की देरी के साथ अंतिम रूप दिया गया था, जबकि शेष 495 बीई को अंतिम रूप नहीं दिया गया था तथा 84 से 5,924 दिनों की देरी के साथ अनंतिम रूप में बने हुए थे ***(विवरणी 11)***, जैसा कि नीचे दिया गया है:

[21] सीसी चेन्नई II(1 मामला); सीसी (निवा.)-लखनऊ (3 मामले); आईसीडी तुगलकाबाद (12 मामले); सीसी जोधपुर (2 मामले); सीसी (पोर्ट) कोलकाता (56 मामले); एसीसी दिल्ली (1 मामला); एनसीएच-मुंबई (1 मामला); सीसी नोएडा (1 मामला)

तालिका 3.2: अनंतिम रूप से निर्धारित बिल ऑफ़ एंट्री को अंतिम रूप देने में विलंब

विलंब अवधि	मामलों की संख्या
0 - 3 महीने	53
3 महीने- 1 वर्ष	220
1 वर्ष एवं अधिक	389
योग	**662**

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि दो आयुक्तालयों[22] में 82 पंजीकरणों में, 36 आयातकों को शामिल करते हुए, आयात के समय ही कुल 581 बिल ऑफ़ एंट्री को अंतिम रूप दिया गया था, भले ही संबंधित परियोजना संविदा या तो अंतिम रूप से तैयार नहीं किए गए थे या महत्वपूर्ण देरी के साथ अंतिम रूप दिए गए थे।

एनसीएच मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के साथ सहमति जताते हुए कहा (सितंबर 2025) कि परियोजना को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है और भविष्य के मामलों में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे।

जोधपुर आयुक्तालय ने कहा (अगस्त 2025) कि प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण देरी और कमियाँ प्रक्रियात्मक प्रकृति की थी।

कोलकाता पोर्ट आयुक्तालय ने कहा (सितंबर 2025) कि बिल ऑफ़ एंट्री में देरी या अंतिम रूप से नहीं होना मुख्य रूप से आयातकों द्वारा दस्तावेजों के देर से या अधूरे रूप से प्रस्तुत करने के कारण है, न कि किसी विभागीय लापरवाही के कारण।

परियोजना संविदाओं के पूरा होने के बाद भी बीई को अंतिम रूप देने में देरी और असंगतियों का होना, पश्च निकासी एवं निगरानी तथा परियोजना पंजीकरण एवं संबंधित आयात प्रलेखन के मध्य अभिलेख अनुबंधन में कमियों को इंगित करता है। संबंधित परियोजना को अंतिम रूप दिए बिना बीई को समय से पहले अंतिम रूप देना कमजोर आंतरिक नियंत्रण और निर्धारण तथा परियोजना निगरानी अनुभागों के मध्य समन्वय की कमी को भी दर्शाता है। ये कार्य अंतिम निर्धारण प्रक्रिया की प्रामाणिकता को कमजोर करते हैं, अनुबंधात्मक दायित्व को समय पर समाप्त करने को प्रभावित करते हैं, और गलत शुल्क निर्धारण या राजस्व ह्रास के जोखिम पैदा करते हैं।

अनुशंसा संख्या 7: सीबीआईसी, आईसीईएस में एक संयोजन तंत्र को शामिल करने पर विचार करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना आयात संविदाओं को अंतिम रूप देने से संबंधित बिल ऑफ़ एंट्री का सत्यापन स्वचालित रूप से

[22] आईसीडी तुगलकाबाद (34 मामले); एनसीएच दिल्ली (2 मामले)

शुरू हो जाए, जिससे पृथक या समय से पहले बंद होने से रोका जा सके। इसके अलावा, लंबित या अतिदेय बीई को अंतिम रूप देने के लिए स्वचालित चेतावनी भी आयुक्तालय स्तर पर व्यवस्थित निगरानी को सक्षम बनाएगी।

सीबीआईसी ने (मई 2026) कहा कि अंतिम रूप देने के लिए लंबित परियोजना आयात लाइसेंस बीई के लिए एमआईएस प्रतिवेदन, निगरानी और त्वरित निपटान हेतु आईसीईएस प्रणाली में आयुक्तालय स्तर पर बनाई जा सकती है। इसके अलावा, बड़ी मात्रा में बिल ऑफ़ एंट्री (बीई) को अंतिम रूप देने के लिए आईसीईएस में बल्क फाईनलाइजेशन मॉड्यूल उपलब्ध है।

3.4 पीआई मॉड्यूल में पाई गई अनियमितताएं

परियोजना आयात मामलों के सुचारू और त्वरित निर्धारण को सुविधाजनक बनाने के लिए, परियोजना आयात संविदाओं की शुरू से अंत तक की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) के भीतर एक विशेष परियोजना आयात मॉड्यूल विकसित किया गया था। पीआई मॉड्यूल में निम्नलिखित समस्याएँ देखीं गईं:

(i) बीजी का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैप्चर ना करना

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि परियोजना आयात (पीआई) मॉड्यूल ने 'बॉन्ड प्रबंधन' टैब में बैंक गारंटी (बीजी) विवरण जैसे बीजी संख्या दर्ज करने अनिवार्य नहीं किया था। नतीजतन, बीजी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैप्चर नहीं की गई थी।

भौतिक अभिलेखों के लेखापरीक्षा सत्यापन से पता चला कि अहमदाबाद आयुक्तालय में दर्ज तीन मामलों के संबंध में ₹3 करोड़ के राशि की बीजी ली गई थी, लेकिन ये विवरण पीआई मॉड्यूल में नहीं दर्शाए गए थे। यह अंतर बीजी की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और निगरानी को सीमित करता है, जिससे राजस्व सुरक्षा पर संभावित रूप से प्रभाव पड़ सकता है।

यह विभाग के संज्ञान में लाया गया था (अप्रैल 2025), उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

(ii) जारी परियोजनाएं पीआई मॉड्यूल में दर्ज न करना

परिपत्र संख्या 27/2019-सीमा शुल्क दिनांक 03 सितंबर 2019 के अनुसार, सभी जारी परियोजनाओं को परियोजना आयात (पीआई) मॉड्यूल के अंतर्गत आईसीईएस प्रणाली में अनिवार्य रूप से पंजीकृत करना था एवं

पंजीकरण दिनांक 15 सितंबर 2019 तक पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आईसीडी तुगलकाबाद और एनसीएच-आयात आयुक्तालयों, दिल्ली में 85 परियोजनाएं निर्धारित तिथि तक जारी होने के बावजूद, अनिवार्य रूप से पीआई मॉड्यूल में पंजीकृत नहीं की गई थीं।

यह इंगित किए जाने पर (फरवरी एवं अप्रैल 2025), विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि 26 मामलों में, आयातक ने बॉन्ड ऑनलाइन अनुबंधित किए जो आईसीईएस से जुड़े हुए थे। शेष 59 मामलों के उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं (मई 2026)।

उत्तर की समीक्षा की जा सकती है क्योंकि पूर्वोक्त बोर्ड के परिपत्र के अनुसार, जारी परियोजनाओं को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना आवश्यक था। परिणामस्वरूप, परियोजना आयात मामलों की सटीक लंबितता की स्थिति डीजी (प्रणाली) के पास उपलब्ध नहीं है।

(iii) ऑनलाइन टेलीग्राफिक रिलीज ऍडवाइज(टीआरए), लाइसेंस मॉड्यूल में जारी न करना

सीबीआईसी ने अपने परिपत्र संख्या 27/2019-सीमा शुल्क दिनांक 3 सितंबर 2019 के माध्यम से, आईसीईएस में परियोजना आयात मॉड्यूल की शुरुआत होने पर निर्देश जारी किए। आयात घोषणाएं दाखिल करने की निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत, यह कहा गया था कि पंजीकरण के बंदरगाह के अलावा अन्य बंदरगाहों पर आयात के लिए, पंजीकरण के बंदरगाह पर प्रणाली के माध्यम से एक ऑनलाइन टीआरए जारी किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि दो आयुक्तालयों[23] में, 65 परियोजना आयात पंजीकरणों के संबंध में, ₹ 682.38 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाली 848 बिल ऑफ एंट्री को पंजीकरण के बंदरगाह के अलावा अन्य बंदरगाहों पर दायर किया गया था। हालांकि, आईसीईएस में ऑनलाइन टीआरए सुविधा की उपलब्धता के बावजूद, इन वस्तुओं की निकासी के लिए कोई ऑनलाइन टीआरए जारी नहीं किया गया था।

यह विभाग के संज्ञान में लाया गया था (मई 2025), उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

[23] **सीसी चेन्नई II (62 मामले) एवं सीसी तूतीकोरिन (3 मामले)]**

3.5 निष्कर्ष

सुचारू और त्वरित निर्धारण की सुविधा के लिए, परियोजना आयात योजना वर्गीकरण एवं मूल्यांकन की एक सरलीकृत प्रक्रिया प्रदान करती है जिसमें योजना के अंतर्गत आयातित सभी वस्तुओं को एकल सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच 9801) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है तथा एक समान शुल्क दर के अधीन होता है। संक्षेप में, योजना का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, कार्गो निकासी में अनावश्यक देरी को कम करना और त्वरित एवं सरल निर्धारण प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

लेखापरीक्षा ने इस सुविधा तंत्र के विभिन्न पहलुओं की जांच की, जिसमें बंदरगाहों, आईसीडी एवं हवाई माल ढुलाई परिसरों में माल के रुकने का समय; आयातकों द्वारा दस्तावेजों के जमा करने की समयबद्धता; और बिल ऑफ एंट्री के अनंतिम निर्धारण के साथ-साथ परियोजना आयात संविदाओं को अंतिम रूप देने में लगने वाला समय शामिल है।

परियोजना आयात योजना के अंतर्गत माल की निकासी में देरी ने प्रक्रियात्मक सरलीकरण एवं योजना एवं राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (एनटीएफएपी) के अंतर्गत तेजी से माल निकासी के उद्देश्य को विफल कर दिया।

परियोजना आयात निर्धारण के अंतिम रूप देने में देरी और लंबितता, पीआईआर, 1986 के विनियम 7 तथा परिपत्र संख्या 22/2011-सीमा शुल्क दिनांक 04 मई 2011 के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के अनुपालन में कमी को दर्शाती है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि आयातकों की कमियों के अलावा, अपर्याप्त अंतर-विभागीय समन्वय, निर्धारित आंतरिक समय-सीमा का अभाव और प्रणाली-आधारित निगरानी तंत्र की कमी ने लंबे समय तक लंबितता में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे प्रशासनिक अक्षमताएं और संभावित राजस्व जोखिम बढ़ गए।

इसके अलावा, परियोजना संविदाओं को बंद किए बिना समय से पहले अंतिम रूप देने सहित बिल ऑफ़ एंट्री के अंतिम रूप देने में देरी और असंगतता, कमज़ोर पश्च निगरानी तथा परियोजना पंजीकरण आयात प्रलेखन के मध्य अपर्याप्त अनुबंधन का संकेत देती है।

इस तरह की देरी परियोजना आयात तंत्र के भीतर प्रसंस्करण और समन्वय में अक्षमता को दर्शाती है, जिससे परियोजना कार्यान्वयन समय-सीमा, व्यापार में सुगमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और ये संभवतः योजना के उपयोग में गिरावट, में योगदान रहा है।

अध्याय IV
निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण को मोटे तौर पर प्रचालन की प्रभावशीलता और दक्षता, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन के उद्देश्यों की उपलब्धि के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली न केवल धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करती है, बल्कि ऐसी घटनाओं की संभावना को भी काफी कम करती है।

लेखापरीक्षा में बैंक गारंटी और बॉन्ड प्रबंधन, अनंतिम निर्धारण के अंतिम रूप देने तथा परियोजना आयात संविदाओं, निरीक्षण तंत्र की उपयुक्तता एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन व राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण से संबंधित प्रणालीगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उसके परिणामों को नीचे बताया गया है:

4.1 बैंक गारंटी (बीजी)/बॉन्ड प्रबंधन में कमियाँ

बोर्ड के परिपत्र संख्या 12/2011 दिनांक 01 मार्च 2011 एवं 22/2011 दिनांक 04 मई 2011 सहपठित परियोजना आयात विनियम, 1986 के विनियम 5 के संदर्भ में, परियोजना आयात संविदा के पंजीकरण के समय, आयात किए जाने वाले माल के सीआईएफ मूल्य के दो *प्रतिशत* के बराबर एक बैंक गारंटी (बीजी), जो ₹ एक करोड़ की अधिकतम सीमा के अधीन है, को प्राप्त करने की आवश्यकता है। बैंक गारंटी को समय-समय पर नवीनीकरण के लिए एक वचनबंध द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, सीमा शुल्क मैनुअल 2023 के अध्याय 6 के पैरा 3.3 (v) के अनुसार, पंजीकृत की जाने वाली संविदा के सीआईएफ मूल्य के बराबर राशि के लिए बॉन्ड बनाया जाना चाहिए।

हालांकि, संविदा को अंतिम रूप देने के लिए उचित अधिकारी की संतुष्टि हेतु, सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि क्षेत्राधिकारी जीएसटी प्राधिकार या अन्य निर्दिष्ट प्राधिकारों द्वारा जारी उपयोगिता या संस्थापना प्रमाणपत्र को जमा करने की तारीख से छः महीने पूरे होने के बाद बीजी के नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है।

यह छूट केवल तभी लागू होती है जब परियोजना स्थल पर आयातित माल की संस्थापना और उपयोग के प्रमाण सहित सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण रूप से प्रस्तुत किए जाएं और सीमा शुल्क द्वारा सत्यापित किए जाएं। सीमा शुल्क आयुक्त को परियोजना आयात के अंतिम रूप देने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करना होगा, ताकि बीजी/बॉन्ड की वैधता अवधि के भीतर अंतिम रूप दिया जाए, जिससे सरकारी राजस्व की सुरक्षा हो सके।

4.1.1 बैंक गारंटी का पुनः विधिमान्यकरण न होना/बॉन्ड का नवीनीकरण न होना

776 मामलों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 11 आयुक्तालयों[24] में 183 पीआई मामलों के 244 पंजीकरणों में, ₹ 19.54 करोड़ की बैंक गारंटी और ₹ 7,249.18 करोड़ के बॉन्ड, उक्त छूट दिये जाने के लिए अपात्र होने के बावजूद नवीनीकृत नहीं किए गए थे, जो राजस्व के लिए संभावित जोखिम पैदा करते हैं ***(विवरणी-12)***।

जेएनसीएच मुंबई ने कहा (अक्टूबर 2025) कि बीजी में स्वतः नवीनीकरण उपनियम था। एनसीएच आयात, मुंबई ने कहा (सितंबर 2025) कि आयातकों ने बीजी के लिए नवीनीकरण पत्र प्रस्तुत किए है। विशाखापत्तनम आयुक्तालय (अक्टूबर 2025) और सिटी सीमाशुल्क बेंगलुरु ने (जुलाई 2025) कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बीजी का नवीनीकरण किया जाए।

जोधपुर आयुक्तालय ने कहा (अगस्त 2025) कि अधिसूचना सं.54/2022 दिनांक 19 अक्टूबर 2022 जारी होने के बाद, पीआई विनियम निरर्थक हो गए हैं। मेसर्स 'सी1' के लिए, अंतिम आयात दिनांक 15 मार्च 2023 को किया गया था और बॉन्ड उस तारीख को वैध था। पीआईआर के अंतर्गत कोई आयात नहीं किया गया था, हालांकि परियोजना के पूरा होने तक बॉन्ड बना रहेगा।

कोलकाता पोर्ट आयुक्तालय ने कहा (जून 2025) कि संदर्भित परियोजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है, हालांकि, आयुक्तालय में भौतिक फाइलों की अनुपलब्धता के कारण बॉन्ड विवरण/बही खाता विवरण प्रदान नहीं किए गए थे।

[24] **एसीसी दिल्ली (28 मामले); आईसीडी तुगलकाबाद दिल्ली (139 मामले); एसीसी बेंगलुरु (10 मामले); सीसी बेंगलुरु (13 मामले); सीसी (निषा.) लखनऊ (8 मामले); एनसीएच-मुंबई (9 मामले); सीसी जोधपुर (1 मामला); सीसी (पोर्ट) कोलकाता (3 मामले); सीसी नोएडा (17 मामले); जेएनसीएच-मुंबई (2 मामले) एवं सीसी विशाखापत्तनम (14 मामले)]**

लेखापरीक्षा में देखा गया कि, बॉन्ड और बैंक गारंटी की वैधता, नवीनीकरण निर्वहन को ट्रैक करने के लिए एक मानकीकृत तंत्र के अभाव में, सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों में अलग-अलग प्रक्रियाएं अपनाई जा रही थीं, जिससे मजबूत निगरानी, एक समान प्रक्रियाओं एवं मजबूत दस्तावेजीकरण नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

विशाखापत्तनम आयुक्तालय में मेसर्स 'सी2' ने ₹ 29.94 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ परियोजना के लिए पंजीकरण कराया एवं दिनांक 28 दिसंबर 2021 को बॉन्ड संख्या 2001950416 के साथ ₹ 30.50 करोड़ के बॉन्ड को अनुबंधित किए, जिसकी वैधता दिनांक 28 दिसंबर 2022 तक थी। यह परियोजना एक जारी परियोजना है एवं अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हालांकि, आयातक ने दिनांक 31 मार्च 2024 तक बॉन्ड को पुन: विधिमान्य नहीं किया था।

विशाखापत्तनम आयुक्तालय ने कहा (अक्टूबर 2025) कि आईसीईएस में बॉन्ड की वैधता अवधि बढ़ा दी गई है।

4.1.2 आवश्यक बॉन्ड और बैंक गारंटी को कम प्रस्तुत/प्रस्तुत न करना

776 परियोजना आयात पंजीकरणों की लेखापरीक्षा जांच से अहमदाबाद आयुक्तालय में ₹ 38.46 लाख की बैंक गारंटी (आवश्यक ₹ 98.46 लाख के बजाय ₹ 60 लाख जमा किए गए) के कम संग्रह का एक मामला और जेएनसीएच मुंबई तथा कोलकाता पोर्ट आयुक्तालयों में ₹ 111.98 लाख की राशि के दो मामलों में बॉन्ड के कम संग्रह का पता चला **(*विवरणी*-13)**।

उत्तर में, अहमदाबाद आयुक्तालय ने कहा (दिसंबर 2025) कि ₹38.46 लाख की अतिरिक्त राशि के लिए बीजी को प्रस्तुत करने हेतु आयातक को लिखा गया है।

कोलकाता आयुक्तालय ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि इस मुद्दे को आगामी मार्गदर्शन हेतु लिया गया था।

जेएनसीएच, मुंबई ने कहा (अक्टूबर 2025) कि परियोजना का मूल्य ₹ 73.25 करोड़ था, जबकि आयातक ने ₹ 77.31 करोड़ एवं ₹ 14.23 लाख के बॉन्ड प्रस्तुत किए थे, जो परियोजना मूल्य से अधिक है, जिससे सरकारी राजस्व की सुरक्षा होती है।

विभाग की प्रतिक्रिया की समीक्षा इस तथ्य के मद्देनज़र की जा सकती है कि सही विदेशी मुद्रा दर की गणना न करने के कारण कम गणना की गई थी और बॉन्ड को ₹ 77.88 करोड़ के लिए लिया जाना था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 56.77 लाख की कम गणना की गई थी।

4.1.3 पंजीकरण के बंदरगाह के अलावा अन्य आयात के लिए बॉन्ड का डेबिट न होना

लेखापरीक्षा में देखा गया कि दो आयुक्तालयों[25] में दर्ज तीन मामलों में, पंजीकरण के बंदरगाह के अलावा अन्य बंदरगाहों को आयात किया गया था, लेकिन संबंधित बॉन्ड को आईसीईएस में डेबिट नहीं किया गया था **(विवरणी 14)**।

चेन्नई II आयुक्तालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि मेसर्स 'सी6' से आयातित माल का निर्धारण बीसीडी छूट के साथ किया गया था एवं 18 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी का भुगतान किया गया था। यह भी कहा गया कि आयात के समय आईसीईएस 1.5, एसईजेड ऑनलाइन पोर्टल से नहीं जुड़ा था; इसलिए, इन बंदरगाहों पर आयात स्वतः रूप से बॉन्ड लेजर में डेबिट प्रतिबिंबित नहीं होगा।

बिल ऑफ़ एंट्री का निर्धारण किए जाने और लागू शुल्क का भुगतान किए जाने के बावजूद, इन आयातों के लिए लिंक किए गए बॉन्ड या बॉन्ड लेजर में डेबिट प्रविष्टियों के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था। यह प्रणालीगत कमी का संकेत देता है यह सुनिश्चित करने में कि गैर-पंजीकृत बंदरगाहों पर आयात को परियोजना बॉन्ड्स के सापेक्ष उचित रूप से डेबिट किया जाता है, जो परियोजना आयात संविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक है। बॉन्ड का डेबिट न होना, बॉन्ड ट्रैकिंग प्रणाली की प्रामाणिकता के साथ समझौता है, यह राजस्व ह्रास के जोखिम को बढ़ाता है, और परियोजना पंजीकरण के सापेक्ष आयात की सटीक निगरानी में बाधा डालता है।

4.1.4 पीआई मामलों के अनुपालन हेतु नवीनीकृत बैंक गारंटी

सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 22/2011 दिनांक 04 मई 2011 के पैरा 3.2 के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों को सलाह दी गई थी कि वे संविदा को अंतिम रूप देने के लिए उचित अधिकारी की संतुष्टि हेतु उपयोग एवं/या माल की संस्थापना के प्रमाण के रूप में संयंत्र स्थल सत्यापन (पीएसवी) सहित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने की तारीख से छः महीने पूरे होने पर परियोजना आयात के लिए बैंक गारंटी का नवीनीकरण न करें।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि मेसर्स 'सी3' ने अगस्त 2008 में एनसीएच, मुंबई आयुक्तालय के साथ एक परियोजना आयात संविदा पंजीकृत कराया था। आयातक ने अगस्त 2011 में अंतिम रूप देने के लिए सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क

---

[25] **एनसीएच मुंबई (2 मामले) और सीसी चेन्नई II (1 मामला)**

द्‌वारा जारी (24 दिसंबर 2012) पीएसवी सहित सभी आवश्यक दस्तावेज अगस्त 2011 को विभाग ने मार्च 2013 में स्वीकार किया। इसके बावजूद, विभाग ने न तो संविदा को अंतिम रूप दिया और न ही बोर्ड के निर्देशों का पालन किया, बल्कि इसके बजाय फरवरी 2014 और फरवरी 2015 में बैंक गारंटी के नवीनीकरण की मांग की। विभाग की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर, आयातक ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। न्यायालय ने मई 2015 में विभाग को निर्देश दिया कि वह बैंक गारंटी को न भुनाने एवं उसके नवीनीकरण (रिन्यूअल) पर ज़ोर न देने का निर्देश दिया। हालांकि, न्यायालय के निर्देशों के सात साल बाद, जुलाई 2022 में ही संविदा को अंतिम रूप दिया गया।

बोर्ड के परिपत्र व माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत सभी आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध होने के बावजूद अंतिम रूप देने में देरी और बैंक गारंटी के नवीनीकरण पर लगातार ज़ोर देना, परियोजना आयात संविदा के प्रशासन की कमज़ोर निगरानी एवं कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण को इंगित करता है। लंबे समय तक हुई देरी के कारण आयातक को परिहार्य असुविधा हुई एवं अनावश्यक प्रशासनिक व्यय हुआ।

अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित मामलों में बैंक गारंटी और बॉन्ड का नवीनीकरण नहीं होना या देरी से होना, निगरानी में कमी तथा कमजार आंतरिक नियंत्रण का संकेत देता है। दूसरी और, निर्धारित दस्तावेजों एवं पीएसवी जमा करने के बावजूद समय पर अंतिम रूप दिए बिना नवीनीकरण पर जोर देना, बोर्ड के परिपत्रों में परिकल्पित सुरक्षा तंत्र के उद्देश्यों को कमजोर करता है।

अनुशंसा संख्या 8: सीबीआईसी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दे कि वे बॉन्ड एवं बैंक गारंटी के नवीनीकरण की आवश्यकता को सख्ती से लागू करें, जब तक कि परियोजना आयात संविदा, पीआईआर 1986 के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप से तय नहीं हो जाते। बॉन्ड/बीजी की वैधता की निगरानी करने एवं समाप्ति के करीब लंबित मामलों को चिह्नित करने के लिए आईसीईएस में एक सिस्टम-आधारित अलर्ट तंत्र स्थापित किया जाए।

सीबीआईसी ने (मई 2026) कहा कि बॉन्ड एवं बैंक गारंटी (बीजी) के नवीनीकरण और निगरानी से संबंधित अनुपालन में सुधार के लिए अनुशंसा, क्षेत्रीय संरचनाओं को परिचालित की गई है। बोर्ड ने आरबीआई प्रधान परिपत्र दिनांक 02 जुलाई 2012 का हवाला दिया, जिसके अंतर्गत बैंकों को औपचारिक निर्वहन तक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बीजी में स्वतः नवीकरण उपनियमों को शामिल करने की सलाह दी गई है। सीबीआईसी ने आगे कहा कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत बॉन्ड, निर्धारित शर्तों की पूर्ति तक वैध रहते हैं और क्षेत्रीय संरचनाओं को स्वतः-नवीनीकरण उपनियमों के साथ बीजी की स्वीकृति सुनिश्चित करने,

अंतिम रूप देने वाले दस्तावेज जमा करने के बाद छः महीने तक बॉन्ड/बीजी को क्रियाशील रखने, बॉन्ड/बीजी के डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने और समय-समय पर उनकी वैधता के निगरानी करने की सलाह दी गई है। बोर्ड ने यह भी बताया कि बॉन्ड एवं बीजी की समाप्ति की स्थिति की निगरानी के लिए सुविधाएं एसटीए रोल-आधारित रिपोर्टों के माध्यम से आईसीईएस में उपलब्ध हैं।

लेखापरीक्षा सहमत है कि बोर्ड ने बॉन्ड/बैंक गारंटी के नवीनीकरण और निगरानी पर अनुपालन में सुधार के लिए लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रचलित किया है। इस संबंध में आगे की प्रगति पर भविष्य के लेखापरीक्षा में नजर रखी जाएगी।

4.2 सम्बद्ध व्यक्तियों के मध्य आयातित माल का मूल्यांकन

सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2007 के नियम 3 के उप-नियम (3)(ए) के अनुसार, जहां क्रेता एवं विक्रेता संबंधित हैं, संव्यवहार मूल्य केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जब बिक्री की परिस्थितियों की जांच से संकेत मिलता है कि संबंध ने मूल्य को प्रभावित नहीं किया है।

यह प्रावधान, परियोजना आयात विनियम, 1986 के अंतर्गत आयात के मामलों में विशेष महत्व का है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि माल का मूल्यांकन उनके वास्तविक संव्यवहार मूल्य को दर्शाए, जिससे किसी भी कम या अधिक मूल्यांकन को रोका जा सके जो सीमा शुल्क देयता को प्रभावित कर सकता है।

विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी), संबंद्ध पक्षों से जुड़े संव्यवहार में आयातित वस्तुओं के मूल्य की जांच और निर्धारण के लिए नामित प्राधिकारी है। तदनुसार, संबंद्ध इकाइयों से किए गए आयात को मूल्यांकन हेतु एसवीबी को संदर्भित करने और घोषित मूल्य की पुष्टि या संशोधन करने वाला आदेश जारी करने की आवश्यकता होती है।

736 परियोजना आयात मामलों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आयात-I आयुक्तालय, एनसीएच मुंबई और चेन्नई-II आयुक्तालय के अंतर्गत 11 आयातकों वाले 21 मामलों में जहां कुल सीआईएफ मूल्य ₹ 866.55 करोड़ शामिल है, संबंद्ध पक्षों के मध्य संव्यवहार को नियमों के अंतर्गत अपेक्षित मूल्यांकन के लिए एसवीबी को नहीं भेजा गया था ***(विवरणी-15)***।

एनसीएच मुंबई ने (सितंबर 2025) कहा कि मेसर्स 'सी4' को एसवीबी जांच प्रतिवेदन जल्द से जल्द प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। मेसर्स 'ए6' के संबंध में एसवीबी ऑर्डर-इन-ओरिजनल, फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया था। शेष

मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

एक उदाहरणात्मक मामले की नीचे चर्चा की गई है:

लेखापरीक्षा में पाया गया कि गुड़गांव में रैपिड मेट्रोरेल सेवाओं की प्रारंभिक संस्थापना के लिए ₹ 27,043.67 लाख के सीआईएफ मूल्य के साथ पंजीकृत मेसर्स 'सी4' के एक मामले में, ऊपर उद्धृत नियम 2 की परिभाषा के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता दोनों संबंद्ध हैं।

विभाग ने इन मामलों को एसवीबी को नहीं भेजा, जो उप-नियम के अंतर्गत उल्लिखित प्रक्रिया के अनुपालन न करने का संकेत देता है, जो आयातित माल के अनुचित मूल्यांकन के कारण संभावित राजस्व निहितार्थों, यदि कोई हो तो, का कारण बन सकता है।

मूल्यांकन के लिए संबंद्ध पक्ष के आयात संव्यवहारों को एसवीबी को संदर्भित न करना सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 2007 के नियम 3(3)(ए) और संबंद्ध पक्ष के संव्यवहार के लिए स्थापित सीबीआईसी प्रक्रिया से विचलन माना जाता है। इससे गलत मूल्यांकन और सम्बन्धों से प्रभावित संव्यवहार मूल्यों की स्वीकृति के कारण संभावित राजस्व हानि का खतरा बढ़ जाता है। यह आंतरिक समीक्षा में कमी और आयुक्तालय स्तर पर असावधानी को भी इंगित करता है।

यह विभाग के संज्ञान में लाया गया था (मई 2025) एवं उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

अनुशंसा संख्या 9: सीबीआईसी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करे कि परियोजना आयात विनियम, 1986 के अंतर्गत शामिल सभी संबंधित पक्षों से जुड़े सभी आयात को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार तुरंत विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी) को भेजा जाए। इसके अलावा, निर्धारण से पहले एसवीबी संदर्भ के लिए संबंधित-पक्ष संव्यवहार को स्वचालित रूप से चिह्नित करने के लिए एक आंतरिक अनुपालन जांच-सूची को आईसीईएस प्रणाली में एकीकृत किया जाए।

सीबीआईसी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2026) कि विभाग ने परिपत्र संख्या 5/2016-सीमा शुल्क दिनांक 09 फरवरी 2016 जारी किया है, जिसमें एसवीबी द्वारा संबंद्ध पक्षों के आयात मामलों की जांच के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है और जांच के लिए मामलों को एसवीबी को संदर्भित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तदनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध किया गया है कि वे उपर्युक्त परिपत्र के संदर्भ में संबंद्ध पक्षों के आयात मामलों को एसवीबी को भेजने के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करें।

4.3 पुष्ट मांगों को न वसूलना

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(10) में यह प्रावधान है कि जहां इस धारा के अंतर्गत उचित अधिकारी द्वारा शुल्क निर्धारित करने का आदेश पारित किया जाता है, वहां उक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी राशि का भुगतान करेगा जो निर्धारित की गई है, साथ ही ऐसी राशि पर देय ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा, चाहे ब्याज की राशि अलग से निर्दिष्ट की गई हो या नहीं।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विभाग ने दो आयुक्तालयों[26] में ₹ 150.38 लाख की लंबित वसूली वाली लंबित 30 मांगों की पुष्टि की थी।

कोलकाता पोर्ट आयुक्तालय ने कहा (मई 2025) कि जांच के बाद मांग नोटिस जारी किया जाएगा। एनसीएच मुंबई ने (सितंबर 2025) में कहा कि संविदा को पहले ही दिनांक 25 जून 2020 पर अपंजीकृत कर दिया गया है। संबंधित समूह आयातक से विभेदक शुल्क की मांग के मामले को देख रहा है।

पुष्ट मांग के मामलों में वसूली का लंबन अधिनिर्णित मांगों के आरोपण के लिए विभाग के अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी तंत्र में कमजोरी को दर्शाता है। वसूली में देरी या विफलता न केवल सरकारी राजस्व के अवरोधन का कारण बनती है, बल्कि सीमा अवधि की समाप्ति या आयातकों का पता नहीं लगने के कारण प्राप्ति में कठिनाइयों का कारण भी बन सकती है। मांग वसूली के लिए प्रभावी ट्रैकिंग प्रणाली का अभाव, धारा 28(10) के प्रावधानों के अनुपालन में कमियों और आंतरिक राजस्व निगरानी प्रक्रियाओं में कमियों को उजागर करता है।

अनुशंसा संख्या 10: सीबीआईसी सभी पुष्ट मांगों की स्थिति एवं शुरू की गई वसूली कार्रवाइयों का पता करने के लिए आईसीईएस के भीतर एक केंद्रीकृत रजिस्टर या डिजिटल ट्रैकर स्थापित करके अपने मांग वसूली एवं निगरानी ढांचे को मजबूत करे।

सीबीआईसी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2026) कि विभाग ने प्रधान परिपत्र संख्या 1081/02/2022-सीएक्स दिनांक 19 जनवरी 2022 जारी किया है, जिसमें अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क के बकाया की वसूली के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं। यह भी बताया गया कि पुष्ट मांग मामलों की वसूली के संबंध में अनुपालन में सुधार के लिए इस अनुशंसा को क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ साझा किया गया था।

[26] **एनसीएच-मुंबई (1 मामला) एवं सीसी (पोर्ट) कोलकाता (29 मामले)]**

4.4 परियोजना संविदाओं के लंबन की गलत रिपोर्टिंग

बोर्ड के परिपत्र सं. 22/2011-सीमा शुल्क दिनांक 04 मई 2011 में यह निर्धारित किया गया है कि सीमा शुल्क आयुक्त को परियोजना आयात मामलों की लंबितता की निगरानी करने और संबंधित क्षेत्र के मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त को मासिक प्रतिवेदन (अनुलग्नक-I) प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

इसके बाद, मुख्य आयुक्त को एक तिमाही समेकित प्रतिवेदन (अनुलग्नक-II) तैयार करनी होगी और उसे अगले महीने की 15वीं तारीख तक निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीपीएम), नई दिल्ली को भेजना होगा।

डीजीपीएम अखिल भारतीय स्तर पर लंबित मामलों की निगरानी, अंतिम रूप देने में ट्रेंड का विश्लेषण और बोर्ड को सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा करने के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आयुक्तालयों द्वारा अनुलग्नक-I दाखिल करना अनियमित था। कई मामलों में लेखापरीक्षा को जानकारी नहीं दी गई थी। परियोजना आयात रजिस्टरों में डेटा का विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर) के साथ क्रॉस-सत्यापन पूरा नहीं किया जा सका, क्योंकि समय-समय पर रजिस्टर में आंकड़े सही प्रकार से नहीं लिखे गए थे एवं एवं आवधिक रूप से बंद नहीं किए गए थे।

नौ आयुक्तालयों[27] में रिकॉर्ड की आगे की जांच से पता चला कि दिनांक 31 मार्च 2024 तक, ₹ 66,796.59 करोड़ के संचयी मूल्य वाले कुल 127 परियोजना आयात मामले अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित थे। हालाँकि, लेखापरीक्षा इन आंकड़ों को एमपीआर/अनुलग्नक-1 में संबंधित आंकड़ों के साथ मिलान नहीं कर सका, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें या तो अधूरी थीं या अनुपलब्ध थीं ***(विवरणी-16)***।

उत्तर में, कोलकाता पोर्ट आयुक्तालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (सितंबर 2025) कि एमपीआर डेटा के, अद्यतित पीआई रजिस्टर के साथ पुनःमिलान न होने के कारण विसंगति है, जिसके परिणामस्वरूप निपटाए गए/ डुप्लिकेट मामले शामिल हो गए हैं और सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

भुवनेश्वर आयुक्तालय ने कहा (अक्टूबर 2025) कि एमपीआर डेटा पारादीप या अन्य बंदरगाहों पर पंजीकृत पीआई मामलों के अनंतिम रूप से निर्धारित बीई से संबंधित है, जिसके लिए टीआरए जारी किया गया है। जिस बिल को मैनुअल अंतिम रूप दिया गया है, वे अभी भी ईडीआई सिस्टम में लंबित दिखाई दे रहे हैं।

[27] सीसी अहमदाबाद (7 मामले); सीसी भुवनेश्वर (2 मामले); सीसी कोचीन (14 मामले); सीसी (निवा.) लखनऊ (5 मामले); सीसी जोधपुर (33 मामले); सीसी (पोर्ट) कोलकाता (33 मामले); सीसी लुधियाना (1 मामला); सीसी मुंद्रा (28 मामले) एवं सीसी नोएडा (4 मामले)।

इसके अलावा, अन्य बंदरगाहों से संबंधित कुछ लंबित बीई को भी एमपीआर में गिना जाता है।

जोधपुर एवं लुधियाना आयुक्तालय ने कहा (अगस्त एवं अक्टूबर 2025) कि पीआई मामलों के संबंध में कोई मासिक प्रतिवेदन नहीं भेजा गया था। जोधपुर आयुक्तालय ने जून 2025 से आगे का मासिक प्रतिवेदन (अनुलग्नक-I) भेजा है।

मुंद्रा आयुक्तालय ने कहा (दिसंबर 2025) कि लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है और सख्त अनुपालन तथा रिकॉर्ड रखने के कार्य की शुरुआत कर दी गई है।

परियोजना आयात रजिस्टरों के उचित रखरखाव के अभाव और निर्धारित मासिक एवं त्रैमासिक निगरानी प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना बोर्ड के परिपत्र संख्या 22/2011-सीमा शुल्क दिनांक 04 मई 2011 के अनुपालन में गंभीर कमी का संकेत देता है। लंबित मामलों पर विश्वसनीय और समेकित डेटा की कमी से ज़ोनल व डीजीपीएम दोनों स्तरों पर निगरानी की प्रभावशीलता कमजोर होती है, जिससे बोर्ड की प्रगति का निर्धारण करने और परियोजना आयात मामलों को समय पर अंतिम रूप देने की क्षमता प्रभावित होती है। कमजोर रिकॉर्ड प्रबंधन और अनियमित रिपोर्टिंग से परियोजना आयात योजना के प्रशासन में पारदर्शिता, आंतरिक नियंत्रण एवं जवाबदेही को लेकर भी चिंताएं बढ़ जाती हैं।

अनुशंसा संख्या 11: सीबीआईसी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को दिनांक 04 मई 2011 परिपत्र सं. 22/2011-सीमा-शुल्क में निर्धारित रिपोर्टिंग एवं निगरानी ढांचे का सख्ती से पालन निर्देशित कर सकता है। आंकड़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना आयात रजिस्टरों को डिजिटल रूप से रखरखाव किया जाए एवं समय-समय पर निगरानी की जाए। निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीपीएम) वास्तविक समय में आयुक्तालयों में लंबित मामलों को कैप्चर करने एवं समेकित करने के लिए आईसीईएस से जुड़े एक स्वचालित डैशबोर्ड को विकसित करने पर विचार कर सकता है।

सीबीआईसी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2026) कि क्षेत्रीय संरचना को परिपत्र संख्या 22/2011-सीमा शुल्क दिनांक 04 मई 2011 में निर्धारित रिपोर्टिंग और निगरानी ढांचे का सख्ती से पालन करने और डेटा प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल रूप से प्रोजेक्ट आयात रजिस्टर को समय-समय पर बनाए रखने तथा आवधिक रूप से बंद करने की सलाह दी गई है।

आईसीईएस से डीजीपीएम को बड़ी मात्र में डेटा साझा करना, जिसके बाद डीजीपीएम द्वारा डैशबोर्ड बनाना, तकनीकी रूप से संभव नहीं है। टी+1 दिन के

आधार पर लंबितता की निगरानी के लिए अद्‌वैत में डैशबोर्ड बनाया जा सकता है। अद्‌वैत टीम 3 महीने में उपरोक्त प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगी।

4.5 परियोजना आयात संविदाओं की रिपोर्टिंग में विसंगति

तूतीकोरिन आयुक्तालय लेखापरीक्षा में देखा गया कि चार परियोजना आयात मामले, जिसमें कुल ₹ 21,366.97 करोड़ निर्धारण योग्य मूल्य के 215 बिल ऑफ एंट्री (बीई) शामिल हैं, दायर किए गए थे। इनमें से ₹ 21,268.53 करोड़ निर्धारण योग्य मूल्य के 192 (बीई) थे, जो तूतीकोरिन बंदरगाह (आईएनटीयूटी1) पर ही दायर किए गए थे। हालांकि, तूतीकोरिन बंदरगाह (मार्च 2024) की मासिक प्रतिवेदन में केवल दो संविदाओं को दर्ज किया गया, जिनका कुल मूल्य ₹ 10,792.09 करोड़ था, जो परियोजना आयात मामलों से संबंधित अनंतिम बीई की गलत रिपोर्टिंग को दर्शाता है। इस विसंगति को विभाग के ध्यान में लाया गया।

आईसीईएस में पीआई मॉड्‌यूल की शुरूआत से पहले, बॉन्ड को अनंतिम शुल्क (पीडी) बॉन्ड कहा जाता था, जिसके लिए आयातकों को प्रत्येक पंजीकृत परियोजना आयात संविदा के अंतर्गत आयात के मूल्य के अनुरूप पीडी बॉन्ड प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती थी।

लेखापरीक्षा ने मेसर्स ‘बी1’ (यूनिट 1 एवं 2, 3 तथा 4, एवं 5 एवं 6) के लिए किए गए तीन पंजीकरणों हेतुपीडी/पीआई बॉन्ड की जांच की। यूनिट 1 एवं 2 के लिए पीडी बॉन्ड लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था, एवं संबंधित आयात घोषणा का विवरण अनुपलब्ध था। यूनिट 3 एवं 4 के संबंध में, ₹22,523.25 करोड़ का पीडी बॉन्ड लिया गया था, एवं अगस्त 2019 तक किए गए आयात के लिए ₹4,091.87 करोड़ के निर्धारण मूल्य के 52 आयात घोषणा को डेबिट किया गया था।

परिणामस्वरूप, तूतीकोरिन सीएच पोर्ट (आईएनटीयूटी1) की मासिक प्रतिवेदन में ₹ 25,360.40 करोड़ निर्धारण योग्य मूल्य के कुल 244 बीई (पीआई मॉड्‌यूल के अंतर्गत 192 + पीडी बॉन्ड के अंतर्गत 52) को दर्शाया जाना चाहिए था। हालांकि, प्रतिवेदन में केवल ₹10,792.09 करोड़ की दो संविदा दर्ज की गयी, जिसके परिणामस्वरूप लंबित विवरण की गलत रिपोर्टिंग हुई।

मासिक प्रतिवेदन में परियोजना आयात मामलों एवं बीई मूल्यों की गलत रिपोर्टिंग, पीडी एवं पीआई बॉन्ड से जुड़े आयातों के रिकॉर्ड-रखने, निगरानी एवं मिलान में कमजोरियों को इंगित करती है। कुछ परियोजनाओं के लिए पीडी बॉन्ड विवरण की अनुपलब्धता ने वास्तविक आयात के सत्यापन में एवं बाधा डाली एवं लंबित डेटा की विश्वसनीयता को कमजोर किया।

यह विभाग के संज्ञान में लाया गया था (मई 2025) एवं उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

4.6 अभिलेखों का अनुरक्षण

सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमावली के प्रावधानों सहपठित परियोजना आयात विनियम, 1986 के विनियम 4 एवं 5 के अनुसार, एक संविदा रजिस्टर को निर्धारित प्रारूप में बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसमें पंजीकरण के समय संविदा संख्याएँ निर्दिष्ट की जाती हैं। रजिस्टर में संविदा मूल्य, आगम पत्र एवं टीआरए संख्या जैसे विवरण दर्ज होने चाहिए एवं प्रभावी निगरानी के लिए उचित अधिकारी द्वारा मासिक रूप से इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

संविदा रजिस्टर के अलावा, अन्य आवश्यक रिकॉर्ड जैसे कि पुष्ट मांग रजिस्टर, गैर-पुष्ट मांग रजिस्टर, पीडी रजिस्टर, अधिनिर्णयन रजिस्टर एवं टीआरए रजिस्टर को भी उचित प्रमाणीकरण के अंतर्गत समय-समय पर बनाए रखना एवं आवधिक रूप से बंद करना आवश्यक है।

अपनी कार्य अवधि के दौरान परियोजना आयात (पीआई) मामलों के व्यापक कवरेज एवं एंड-टू-एंड सत्यापन के लिए, 915 मामलों के नमूने (अखिल भारतीय रूप से किए गए 1,467 पंजीकरणों में से, 62.37 *प्रतिशत* शामिल करते हुए) का चयन किया गया था। नमूने में अंतिम, चल रहे एवं पंजीकृत लेकिन अभी तक नहीं किए गए आयात के रूप में वर्गीकृत मामलों को शामिल किया गया था।

हालांकि, नौ आयुक्तालयों[28] से संबंधित ₹15,818.11 करोड़ के कुल सीआईएफ मूल्य वाले 139 पीआई मामले, बार-बार अनुरोध एवं अनुस्मारक के बावजूद लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए ***(परिशिष्ट 2)***।

योजना के डिजाइन एवं कार्यान्वयन का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए, लेखापरीक्षा ने (अक्टूबर 2024) वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से नीति निर्माण फ़ाइलें, एमआईएस प्रतिवेदन, जनशक्ति तैनाती विवरण, मूल्यांकन/समीक्षा प्रतिवेदन एवं अन्य संबंधित दस्तावेज़ जैसे रिकॉर्ड मांगे। हालाँकि, नवंबर 2024, दिसंबर 2024 एवं जनवरी 2025 में जारी अनुवर्ती अनुस्मारकों के बावजूद अनुरोधित फाइलें प्रस्तुत नहीं की गईं।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन आयुक्तालयों[29] में रिकॉर्ड ठीक से अनुरक्षित नहीं थे, जहां अनिवार्य रजिस्टरों को मासिक रूप से बंद करने का कोई प्रमाण नहीं था ***(परिशिष्ट 4)***। इसके अलावा, पीआई संविदा रजिस्टर, बैंक गारंटी

[28] एसीसी, बेंगलुरु; आईसीडी, बेंगलुरु; सीसी चेन्नई II; सीसी विशाखापत्तनम; सीसी भुवनेश्वर; सीसी (पोर्ट) कोलकाता; जेएनसीएच, मुंबई; आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली; एनसीएच, दिल्ली
[29] सीसी मुंद्रा; सीसी कोचीन, सीसी चेन्नई II

रजिस्टर, मांग पुष्ट रजिस्टर एवं टीआरए मामलों जैसे महत्वपूर्ण रजिस्टर सात आयुक्तालयों[30] में प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जैसा कि ***परिशिष्ट 5*** में विस्तृत है।

उत्तर में, पाराद्वीप सीमा शुल्क प्रभाग ने (अक्टूबर 2025) कहा कि दो आयातकों की पीआई फाइलें वर्ष 2010 एवं 2011 से संबंधित हैं एवं सर्वोत्तम प्रयासों के बाद भी उनका पता नहीं लगाया जा सका। उन्होंने आगे कहा कि परियोजना आयात संविदाओं के लिए कोई अलग बैंक गारंटी रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया जाता है।

योजना के तुलनात्मक विश्लेषण को सक्षम करने के लिए परियोजना आयात पर चल रही निष्पादन लेखापरीक्षा अखिल भारतीय आधार पर की जा रही है एवं किसी भी प्रकार की अनुपलब्धता, योजना के समग्र कामकाज पर आवश्यक आश्वासन प्रदान करने के हमारे प्रयासों को सीमित करती है।

4.7 निष्कर्ष

इस अध्याय में, लेखापरीक्षा ने बैंक गारंटी एवं बॉन्ड प्रबंधन, अनंतिम निर्धारण के अंतिम रूप एवं परियोजना आयात संविदाओं, निरीक्षण तंत्र की पर्याप्तता से संबंधित प्रणालीगत मुद्दों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन एवं राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया।

लेखापरीक्षा में लंबित परियोजना आयात मामलों में बॉन्ड एवं बैंक गारंटी का नवीनीकरण नहीं पाया गया, निर्धारित शर्तों जैसे संस्थापना एवं उपयोग प्रमाणपत्र जमा करने का पालन नहीं किया गया, जो कमजोर निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने पुष्ट मांगों की वसूली में लंबितता भी देखी, जो अनुवर्ती कार्रवाई एवं क्रियान्वयन तंत्र में कमजोरियों को इंगित करती है, जिससे सरकारी राजस्व अवरुद्ध होता है एवं न्यायोचित बकाया राशि की प्राप्ति न होने का जोखिम बढ़ जाता है।

परियोजना आयात योजना का उद्देश्य सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना एवं एकल रियायती टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत परियोजना से संबंधित आयातों की त्वरित निकासी को सक्षम करना है, जिससे बड़ी एवं जटिल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुविधा हो सके। हालांकि, परियोजना आयात योजना के तहत पंजीकृत अनुबंधन की संख्या वि.व. 2019-20 में 146 से घटकर वि.व. 2023-24 में 32 रह गई, जो पांच साल की अवधि में 78.10 *प्रतिशत* की कमी को दर्शाता है, जैसा कि पैरा 1.6 में बताया गया है।

[30] **सीसी अहमदाबाद; सीसी मुंद्रा; सीसी भुवनेश्वर; सीसी लुधियाना; सीसी तूतीकोरिन; सीसी (पोर्ट) कोलकाता; जेएनसीएच, मुंबई**

लेखापरीक्षा में यह भी उल्लेख किया गया है कि पहले के निष्पादन लेखापरीक्षा (वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 42) की नौ अनुशंसाओं में से पांच को लागू किया गया है, जिसमें आईसीईएस 1.5 में परियोजना आयात मॉड्यूल एवं बॉन्ड प्रबंधन मॉड्यूल का विकास शामिल है।

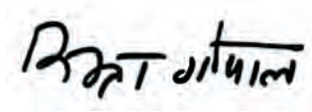

(स्मिता गोपाल)
प्रधान निदेशक (अप्रत्यक्ष कर)

नई दिल्ली
दिनांक: 29 जुलाई 2026

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 03 अगस्त 2026

परिशिष्ट एवं विवरणियां

परिशिष्ट-1: परियोजना आयात परिक्षेत्र एवं नमूना

संदर्भ : पैरा संख्या 1.4

क्र. सं.	एफएओ/ बीओ का नाम	आयुक्तालय		अंतिम रूप दिया गया		जारी		पंजीकृत किया गया लेकिन आयात अभी तक नहीं किया गया		कुल मामले	
		कुल	चयनित	कुल	चयनित	कुल	चयनित	कुल	चयनित	कुल	चयनित
1	अहमदाबाद	4	2	**22**	22	**42**	42	**4**	4	**68**	68
2	बेंगलूरु	3	2	**33**	33	**89**	89	**2**	2	**124**	124
3	चंडीगढ़	2	1	**0**	0	**1**	1	**0**	0	**1**	1
4	चेन्नई	3	2	**52**	52	**166**	50	**1**	1	**219**	103
5	दिल्ली	3	2	**67**	67	**116**	116	**0**	0	**183**	183
6	हैदराबाद	3	1	**7**	7	**24**	24	**0**	0	**31**	31
7	कोलकाता	4	1	**116**	116	**57**	57	**0**	0	**173**	173
8	मुंबई	6	2	**213**	100	**377**	54	**9**	9	**599**	163
9	लखनऊ	2	2	**13**	13	**5**	5	**0**	0	**18**	18
10	बीओ कोच्चि	2	1	**0**	0	**8**	8	**0**	0	**8**	8
11	बीओ जयपुर	1	1	**3**	3	**1**	1	**29**	29	**33**	33
12	बीओ भुवनेश्वर	1	1	**8**	8	**2**	2	**0**	0	**10**	10
	कुल	**34**	**18**	**534**	**421**	**888**	**449**	**45**	**45**	**1467**	**915**

परिशिष्ट - 2: अभिलेखों की गैर-प्रस्तुती के मामलों का विवरण					
संदर्भ: पैरा संख्या 1.4 & 4.6					
क्र सं	**आयुक्तालय**	**पंजीकरण की संख्या**	**सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)**	**परियोजना की स्थिति (अंतिम रूप में/जारी)**	**क्षेत्र**
1	एसीसी बेंगलूरु	21	560.71	जारी/अंतिम	विद्युत/परिवहन आदि
2	आईसीडी, बेंगलूरु	9	100.26	जारी/अंतिम	परिवहन एवं अन्य
3	चेन्नई -II	3	97.45	अंतिम	विद्युत /परिवहन/सिंचाई
4	सीसी, विशाखापत्तनम	3	उपलब्ध नहीं	जारी	उपलब्ध नहीं
5	सीसी, भुवनेश्वर	4	उपलब्ध नहीं	अंतिम	विद्युत
6	सीसी पोर्ट, कोलकाता	42	11,532.43	जारी/अंतिम	औद्योगिक/परिवहन क्षेत्र/विद्युत परियोजना/खनन परियोजना/तेल आदि के लिए अन्वेषण।
7	जेएनसीएच, मुंबई	13	704.43	अंतिम /नया पंजीकृत	उपलब्ध नहीं है
8	आईसीडी-तुगलकाबाद	37	2,184.32	जारी/अंतिम	परिवहन (मेट्रो रेल)/ विद्युतउत्पादन या संचरण/जल आपूर्ति एवं अन्य
9	एसीसी-एनसीएच, दिल्ली	7	638.53	जारी/अंतिम	परिवहन (मेट्रो रेल)
	कुल	**139**	**15818.13**		

परिशिष्ट 3: प्रारंभिक प्रतिवेदन (2016 की एआर संख्या 42) की अनुशंसाओं या निष्कर्षों का प्रतिचित्रण

संदर्भ : पैरा संख्या 1.8

क्र. सं.	अनुशंसाएं	लेखापरीक्षा अनुशंसा पर बोर्ड की प्रतिक्रिया	वर्तमान स्थिति (कार्यान्वित/ गैर-कार्यान्वित)	वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निष्कर्ष जो पहले की प्रतिवेदन के साथ प्रतिचित्रित किए जा सकते हैं।
1	**अनुशंसा सं. 1** लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि मंत्रालय इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा वैधानिक प्रावधानों एवं फैसलों की समीक्षा करने के बाद उचित निर्देश जारी करके परियोजना आयात के अंतर्गत निर्धारण के प्रावधानों में असंगति को दूर करे।	*बोर्ड ने कहा कि वे 08 अगस्त 1987 के परिपत्र को वापस लेने पर विचार कर रहे हैं।*	कार्यान्वित	वर्तमान प्रतिवेदन में कोई निष्कर्ष नहीं/ एआर 42 का पैरा- 3.1 (वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या में असंगति)
2	**अनुशंसा सं. 2** लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि मंत्रालय, परियोजना आयात योजना के अंतर्गत पंजीकृत संविदाओं में शामिल किए जाने के लिए आयात के समयबद्ध समापन की शर्त के लिए पीआईआर 1986 में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।	*बोर्ड ने कहा कि वे अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श करके परियोजना आयात के अंतर्गत आयात को पूरा करने के लिए तीन साल की अवधि पर विचार कर रहे हैं जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।*	गैर-कार्यान्वित	वर्तमान प्रतिवेदन का पैरा 2.2/2016 के एआर 42 का पैरा 3.2
3	**अनुशंसा सं. 3** लेखापरीक्षा में अनुशंसा की गई है कि पीआईआर 1986 में प्रायोजक प्राधिकरण के संबंध में प्रावधानों को स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि समग्र/एकीकृत परियोजनाओं के लिए एक प्राथमिक प्रायोजक प्राधिकरण स्थापित किया जा सके ताकि अनुचित लाभ की किसी भी स्थिति से बचा जा सके एवं परियोजनाओं का बेहतर निगरानी किया जा सके।	*बोर्ड ने कहा कि अनुशंसा की जांच की जा रही है एवं उचित संशोधन/ स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा*	गैर-कार्यान्वित	वर्तमान प्रतिवेदन में कोई निष्कर्ष नहीं/ 2016 के एआर 42 के पैरा- 3.2 (एकाधिक प्रायोजक प्राधिकरण)
4	**अनुशंसा सं. 4** लेखापरीक्षा में अनुशंसा की गई है कि मंत्रालय परियोजना आयात योजना के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेजों की मात्रा की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है ताकि आवश्यकताओं को सरल बनाया जा सके	*बोर्ड ने कहा कि आयात से पहले एवं बाद के चरणों के लिए विनियमन में निर्दिष्ट दस्तावेज उचित हैं। हालाँकि, मंत्रालय इस बात से सहमत है कि उच्च स्तर पर सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है।*	अनुशंसा कार्यान्वित नहीं की गई प्रतीत होती है एवं केवल योजना को डिजीटल किया गया था।	वर्तमान प्रतिवेदन में कोई निष्कर्ष नहीं। 2016 के एआर 42 का पैरा- 5.2 (अपर्याप्त सुविधा एवं विलंब)

5	**अनुशंसा सं. 5** लेखापरीक्षा की अनुशंसा है कि बोर्ड प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकता है एवं संविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी से बचने के लिए, पंजीकरण के बंदरगाह पर टीआरए बंदरगाहों से टीआरए निर्धारण (बीईएस) के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन की संभावना तलाश कर अन्य बंदरगाहों के माध्यम से किए गए आयात की निगरानी कर सकता है।	*बोर्ड ने कहा कि पीआईआर में बदलाव के आधार पर, आईसीईएस 1.5 में एक परियोजना प्रबंधन मॉड्यूल विकसित किया जाएगा जिसमें टीआरए बंदरगाहों से पंजीकरण के बंदरगाह तक टीआरए निर्धारण (बीई) का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन शामिल होगा।*	कार्यान्वित	वर्तमान प्रतिवेदन का पैरा 3.4 (III)
6	**अनुशंसा सं. 6** लेखापरीक्षा की अनुशंसा है कि मंत्रालय परियोजना आयात योजना से जुड़े उच्च संव्यवहार लागत में योगदान करने वाले कारकों की समीक्षा करे, एवं अन्य योजनाओं (जैसे ईपीसीजी) के मुकाबले योजना के लाभों की तुलना करे	*बोर्ड ने कहा कि परियोजना आयात योजना किसी भी निर्यात दायित्व से जुड़ी नहीं है एवं इसके अपने विशिष्ट लाभ हैं। प्रक्रियात्मक सरलीकरण एवं आईसीईएस 1.5 में स्वचालन के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से विनियमों की समीक्षा की जाएगी। इससे संव्यवहार की लागत कम हो जाएगी।*	अनुशंसा को लागू करने के बारे में पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता।	वर्तमान प्रतिवेदन में कोई निष्कर्ष नहीं। 2016 के एआर 42 का पैरा-5.5 (संव्यवहार लागत)
7	**अनुशंसा सं. 7** लेखापरीक्षा में यह अनुशंसा की गई है कि परियोजना के आयात पर बेहतर नियंत्रण रखने एवं एक कुशल एवं सटीक तरीके से बॉन्ड बही खाता में उनके क्रेडिट/डेबिट की निगरानी के लिए, बोर्ड परियोजना आयात के लिए एक केंद्रीकृत बॉन्ड प्रबंधन मॉड्यूल शुरू करने पर विचार कर सकता है, ताकि पंजीकरण के बंदरगाह के माध्यम से किए गए आयात एवं टीआरए के माध्यम से अन्य बंदरगाहों में किए गए आयात की निगरानी की जा सके।	*बोर्ड ने कहा कि मंत्रालय पीआईआर की गहन समीक्षा के बाद आईसीईएस 1.5 में केंद्रीकृत बॉन्ड प्रबंधन मॉड्यूल बनाने की अनुशंसा से सहमत है।*	कार्यान्वित	वर्तमान प्रतिवेदन के पैरा 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 एवं 4.1.4/2016 के एआर 42 के पैरा 6.1.2 (बॉन्ड मॉड्यूल में बॉन्ड का गलत डेबिट)

8	**अनुशंसा सं. 8** लेखापरीक्षा में अनुशंसा की गई है कि सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस 1.5) के माध्यम से परियोजना आयात मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए बोर्ड को आईसीईएस में ईपीसीजी योजना की तर्ज पर एक परियोजना प्रबंधन मॉड्यूल की संभावना तलाशनी चाहिए ताकि मैनुअल प्रणाली के माध्यम से परियोजना आयात मामलों की निगरानी पर निर्भरता को कम किया जा सके।	*बोर्ड ने कहा कि पीआईआर में बदलाव के आधार पर, आईसीईएस 1.5 में एक परियोजना प्रबंधन मॉड्यूल विकसित किया जाएगा।*	कार्यान्वित	पैरा- 3.4 (I,II एवं III) एवं वर्तमान प्रतिवेदन का पैरा 4.4।
9	**अनुशंसा सं. 9** लेखापरीक्षा की अनुशंसा है कि बोर्ड परियोजना आयात मामलों के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस रखने पर विचार कर सकता है ताकि विभिन्न इकाइयों के मध्य डेटा की असंगति से बचा जा सके।	*बोर्ड ने कहा कि मंत्रालय पीआईआर की गहन समीक्षा के बाद आईसीईएस 1.5 में केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की अनुशंसा से सहमत है।*	कार्यान्वित	वर्तमान प्रतिवेदन का पैरा संख्या 3.4 (I, II एवं III) एवं पैरा 4.4 /2016 के एआर 42 के पैरा 6.2.6 (परियोजना संविदाओं की लंबितता की गलत रिपोर्टिंग)

परिशिष्ट संख्या - 4: अभिलेखों का अनुरक्षण		
		संदर्भ : पैरा संख्या 4.6
क्र. सं.	**आयुक्तालय**	**अनुरक्षण**
1	सीसी मुंद्रा	पुष्ट मांग रजिस्टर, गैर-पुष्ट मांग रजिस्टर, पीडी रजिस्टर, टीआरए रजिस्टर
2	सीसी कोचीन	परियोजना आयात पंजीकरण दस्तावेजों की प्रति, बांड की क्षतिपूर्ति की प्रति/ अनंतिम ड्यूटी बांड
3	सीसी चेन्नई II	परियोजना संविदा पंजीकरण रजिस्टर, पीडी/पीआई बॉन्ड रजिस्टर, बीजी रजिस्टर, जारी किए गए कारण बताओं नोटिस का रजिस्टर, जारी किए गए ओआईओएस का रजिस्टर, एसवीबी मामलों के लिए रजिस्टर, आवक/जावक टीआरए रजिस्टर/ फ़ाइल

परिशिष्ठ संख्या 5: अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना		
		संदर्भ : पैरा संख्या 4.6
क्र. सं.	**आयुक्तालय**	**प्रस्तुत नहीं किया गया**
1	सीसी अहमदाबाद, सीसी मुंद्रा	363 टीआरए मामले/आंशिक प्रस्तुति
2	सीसी भुवनेश्वर	परियोजना आयात संविदा रजिस्टर, बैंक गारंटी रजिस्टर
3	सीसी लुधियाना	संविदा रजिस्टर, पुष्ट मांग रजिस्टर, गैर-पुष्ट रजिस्टर, पीडी रजिस्टर, अधिनिर्णय रजिस्टर, टीआरए रजिस्टर
4	सीसी तूतीकोरिन	प्रायोजक प्राधिकरी से वस्तुओं की अनुमोदित सूची; अनुलग्नक बी; बॉन्ड की प्रति; संयंत्र स्थल सत्यापन प्रमाण पत्र' आयात व्यापार लाइसेंस; परियोजना की संस्थापित क्षमता
5	सीसी (पोर्ट) कोलकाता	फाइल खोलने का रजिस्टर; पुन: आयात बॉन्ड रजिस्टर; पुन: निर्यात बॉन्ड रजिस्टर; मांग रजिस्टर (पुष्टि एवं अपुष्टि); अनंतिम निर्धारण बॉन्ड रजिस्टर; प्रतिदाय रजिस्टर एवं संबंधित फाइलें; आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन; सांख्यिकीय प्रतिवेदन एवं रिटर्न फाइल; बॉन्ड एवं बैंक गारंटी रजिस्टर; 2020-2021 (पीआईएफसी) एवं अन्य के लिए एमपीआर/एमटीआर; टीआरए रजिस्टर
6	जेएनसीएच-मुंबई	पुष्ट मांग रजिस्टर, गैर-पुष्ट रजिस्टर, पीडी रजिस्टर, अधिनिर्णय रजिस्टर, टीआरए रजिस्टर

विवरणी - 1 : आयात पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का अभाव				
				संदर्भ : पैरा संख्या 2.2
क्र. सं.	आयुक्तालय	परियोजना की संख्या	पंजीकृत संविदा का सीआईएफ़ मूल्य (₹ करोड़ में)	रेंज में विलंब (महीनों में)
1	सीसी (पोर्ट) कोलकाता	4	117.52	20-31
2	आईसीडी तुगलकाबाद	30	576.43	28-125
3	एसीसी, नई दिल्ली	8	33.79	7-35
4	सीसी, नोएडा	5	105.62	08-61
5	सीसी, मुंद्रा	6	83.86	14-56
6	सीसी, अहमदाबाद	2	612.33	14-33
7	सीसी, जोधपुर	1	595.03	7
	कुल	**56**	**2,124.58**	**7-125**

विवरणी 2 : आयात की अनुमति प्राप्त वस्तुओं एवं वास्तविक आयातित वस्तुओं के मध्य विसंगतियां					
					संदर्भ : पैरा संख्या 2.8
क्र.सं.	आयुक्तालय	परियोजना की संख्या	अस्वीकार्य वस्तुओं का सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	आयात की गई अस्वीकार्य वस्तुओं का विवरण	विभेदक शुल्क एकत्र किया जाना है (₹ करोड़ में)
1	एनसीएच, मुंबई	2	3.97	आउटडोर हाउसिंग ब्लोअर, सर्विलांस कैबिनेट, रेंजर सरफेस टॉप हैमर ड्रिल रिग	0.22
2	सीसी, मुंद्रा	1	7.89	चिप मेल्टर एवं प्रीट्रीटमेंट सिस्टम, मेल्टिंग फर्नेस, होल्डिंग फर्नेस	0.26
3	सीसी, चेन्नई II	1	3.63	बेल लेस टॉप, उपस्कर, बेलो, मैनुअल बॉल एवं गूगल वैल्यू के साथ-साथ मैटिंग फ्लैंज, गैसकेट एवं फास्टनर	0.15
4	सीसी, तूतीकोरिन	1	2.23	बहुउद्देशीय सीट	0.72
	कुल	**5**	**17.72**		**1.35**

विवरणी 3: छूट के गलत लाभ के कारण सीमा शुल्क का उद्ग्रहण न होना/कम उद्ग्रहण							
							संदर्भ : पैरा संख्या 2.9
क्र. सं.	**आयुक्तालय**	**मामले की संख्या**	**माल**	**निर्धारण योग्य मूल्य (₹ करोड़ में)**	**लागू शुल्क की दर**	**लगाए गए शुल्क की दर**	**शुल्क का कम उद्ग्रहण / उद्ग्रहण नहीं (₹ करोड़ में)**
1	एनसीएच, मुंबई	1	संचार उपकरण	0.03	18	5	0.004
2	सीसी, (पोर्ट), कोलकाता	4	एप्रन फीडर स्टील पार्ट्स, एप्रन फीडर हाइड्रोलिक सिस्टम, स्पिलिज कन्वेयर फैब्रिकेटेड पार्ट्स, रोबो लैब इक्विपमेंट, स्वतः नमूना चयन उपस्कर, ऑनलाइन पार्टिकल साइज एनालाइजर, हैमर क्रशर मैकेनिकल पार्ट्स आदि	35.88	18	5	4.63
3	आईसीडी तुगलकाबाद	4	बेस प्लेट पैड, हेलिकल स्प्रिंग, टेंसन क्लैंप, इलास्टिक पैड	32.38	23.42	16.10	2.37
4	सीसी, अहमदाबाद	1	अनिवार्य स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों के साथ एसकेडी स्थिति में एस्केलेटर	18.09	27.74	24.49	0.59
5	सीसी, चेन्नई II	7	प्लग वाल्व, एसडीएसएस पाइप, सुपर डुप्लेक्स पाइप, यूएफ सिस्टम, पीआरवी वाल्व, कांस्य, एडहेसिव मेम्ब्रेन, एपॉक्सी प्राइमर, बोरोसिलिकेट ग्लास ब्लॉक	55.67	7.5/18	Nil	7.09
6	सीसी, भुवनेश्वर	2	पावर प्लांट से संबंधित उत्पाद	148.85	-	-	36.46
	कुल	**19**		**290.90**			**51.14**

विवरणी 4: मिलान विवरण एवं अन्य दस्तावेजों को न प्रस्तुत करना/प्रस्तुत करने में विलंब

संदर्भ : पैरा संख्या 2.10

क्र. सं.	आयुक्तालय	परियोजना की संख्या	माल का सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	विलंब की सीमा (दिनों में)
1	एनसीएच, मुंबई	56	5,803.45	162-7,923
2	जेएनसीएच, मुंबई	7	उपलब्ध नहीं	35-1,647
3	सीसी (पोर्ट) कोलकाता	38	4,982.37	457-6,738
4	आईसीडी, बेंगलूरु	2	155.98	721-859
5	आईसीडी तुगलकाबाद	43	1,138.84	174-2,277
6	एसीसी, दिल्ली	1	1	462
7	सीसी, नोएडा	5	293.81	92-1,230
8	सीसी (निवा.), लखनऊ	8	207.55	482-1,706
9	सीसी, मुंद्रा	9	338.55	199-1,476
10	सीसी, जोधपुर	3	51.83	213-1,372
11	सीसी, चेन्नई II	29	1,888.08	46-1,419
	कुल	**201**	**14,860.97**	**35-7,923**

विवरणी - 5 : मिलान विवरण एवं अन्य दस्तावेजों को न प्रस्तुत करना/प्रस्तुत करने में विलंब

संदर्भ : पैरा संख्या 2.10

क्र.सं.	आयुक्तालय	परियोजना पंजीकरण की संख्या	माल का सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	वसूला गया शुल्क (₹ करोड़ में)	परित्यक्त शुल्क (₹ करोड़ में)	विलंब की सीमा (दिनों में)
1	सीसी, भुवनेश्वर	2	2,624.89	जारी	जारी	1,958-3,667
2	सीसी,विशाखापत्तनम	15	500.31	118.48	58.96	119-1,669
3	सीसी, मुंद्रा	5	33.67	7.12	1.89	368-1,613
4	सीसी, चेन्नई II	16	3,524.99	45.57	17.94	429-2,496
	कुल	**38**	**6,683.86**	**171.17**	**78.79**	**119-3,667**

विवरणी 6: मिलान विवरण एवं अन्य दस्तावेजों को न प्रस्तुत करना/प्रस्तुत करने में विलंब				
				संदर्भ : पैरा संख्या 2.10
क्र.सं.	**आयुक्तालय**	**पंजीकरण की संख्या**	**माल का सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)**	**क्या विभाग द्वारा एससीएन जारी किया गया है।**
1	सीसी भुवनेश्वर	2	2,624.89	नहीं
2	सीसी, चेन्नई-II	45	48.45	नहीं
3	आईसीडी, बेंगलुरु	2	155.97	नहीं
4	सीसी (पूर्व), लखनऊ	8	207.55	नहीं
5	एनसीएच, मुंबई	56	5,316.18	55 मामलों में जारी नहीं किया गया एवं एक मामले में कमी ज्ञापन जारी किया गया।
6	सीसी जोधपुर	3	51.83	नहीं
7	सीसी पोर्ट, कोलकाता	38	4,982.37	नहीं
8	आईसीडी तुगलकाबाद	43	1,138.84	उपलब्ध नहीं है
9	एसीसी-एनसीएच दिल्ली	1	50.96	उपलब्ध नहीं है
10	सीसी, मुंद्रा	14	372.22	नहीं
11	सीसी, नोएडा	5	293.81	नहीं
12	जेएनसीएच, मुंबई	7	487.22	नहीं
13	सीसी, विशाखापत्तनम	15	500.32	नहीं
	कुल	**239**	**16,230.61**	

विवरणी - 7 : अनिवार्य दस्तावेज जमा किए बिना पीआई संविदाओं को अंतिम रूप देना					
संदर्भ : पैरा संख्या 2.11					
क्र.सं	**आयुक्तालय**	**पंजीकरण की संख्या**	**दस्तावेज़ जमा नहीं किए गए हैं, उनके नाम**	**माल का सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)**	**परित्यक्त शुल्क (₹ करोड़ में)**
1	एनसीएच, मुंबई	5	भुगतान के प्रमाण, बीआरसी या बैंक संव्यवहार के विवरण के बिना परियोजना को अंतिम रूप दिया गया था	811.66	उपलब्ध नहीं
2	जेएनसीएच, मुंबई	4	कोई अंतिम दस्तावेज़ फ़ाइल में उपलब्ध नहीं हैं, किसी अंतिम दस्तावेज़ों के बिना परियोजना को अंतिम रूप दिया गया था	161.45	उपलब्ध नहीं
3	आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली	16	मिलान प्रमाणपत्र, संस्थापन प्रमाण पत्र, चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र	104.30	उपलब्ध नहीं
4	सीसी (पूर्व) लखनऊ	2	मिलान विवरण	34.03	0.97
5	सीसी मुंद्रा	1	मिलान विवरण	18.58	0.60
	कुल	**28**		**1,130.02**	**1.57**

विवरणी - 8 : संस्थापना प्रमाणपत्र एवं संयंत्र स्थल सत्यापन के बिना परियोजना संविदाओं को अंतिम रूप देना				
संदर्भ : पैरा संख्या 2.12				
क्र.सं.	**आयुक्तालय**	**पंजीकरण की संख्या**	**माल का सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)**	**परित्यक्त शुल्क (₹ करोड़ में)**
1	एनसीएच, मुंबई	3	5.63	उपलब्ध नहीं
2	आईसीडी-तुगलकाबाद	2	12.75	0
3	सीसी नोएडा	2	25.22	0.79
4	सीसी (निवारक) लखनऊ	5	163.63	1.90
5	सीसी मुंद्रा	3	72.86	5.06
6	सीसी जोधपुर	2	47.05	उपलब्ध नहीं
7	सीसी चेन्नई II	12	620.99	उपलब्ध नहीं
	कुल	**29**	**948.13**	**7.75**

विवरणी 9: परियोजना आयात के अंतर्गत माल की निकासी में अत्यधिक विलंब						
						संदर्भ : पैरा संख्या 3.1
क्र. सं..	आयुक्तालय	पंजीकरण की संख्या	बीई की संख्या	निर्धारण योग्य मूल्य (₹ करोड़ में)	कुल शुल्क (₹ करोड़ में)	विलंब की सीमा (दिनों में)
1	एसीसी, बेंगलुरु	1	1	2.63	0.47	63
2	आईसीडी, बेंगलुरु	2	2	4.68	1.15	57- 116
3	सीसी, विशाखापत्तनम	3	6	56.20	13.77	40-555
4	सीसी, लुधियाना	1	1	24.05	5.89	42
5	सीसी, अहमदाबाद	1	16	60.30	2.16	58-1149
6	सीसी, जोधपुर	1	3	0.51	0.12	34-45
7	सीसी (पोर्ट) कोलकाता	11	27	172.03	37.10	30-299
	कुल	**20**	**56**	**320.40**	**60.66**	**30-1149**

विवरणी 9ए : परियोजना आयात के अंतर्गत माल की निकासी में अत्यधिक विलंब				
				संदर्भ : पैरा संख्या 3.1
क्र. सं.	आयुक्तालय	पंजीकरण की संख्या	बीई की संख्या	विलंब की सीमा (दिनों में)
1	सीसी, चेन्नई II	74	480	3-718
2	सीसी, तूतीकोरिन	3	28	03-09
	कुल	**77**	**508**	**03-718**

विवरणी 10ए : परियोजना आयात में देरी/अंतिम रूप नहीं दिया जाना				
				संदर्भ: पैरा संख्या 3.2
क्र.सं.	आयुक्तालय	पंजीकरण की संख्या	माल का सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	विलंब की सीमा (दिनों में)
1	एनसीएच, मुंबई	33	2,539.60	174-8694
2	जेएनसीएच, मुंबई	5	454.84	71-1444
3	सीसी, विशाखापत्तनम	5	100.24	35-288
4	एसीसी, दिल्ली	33	997.63	53-2589
5	सीसी, नोएडा	3	50.34	71-442
6	सीसी, लखनऊ	4	67.32	296-612
7	सीसी, मुंद्रा	3	50.23	26-179
8	सीसी, जोधपुर	2	47.06	320-445
9	सीसी, चेन्नई-II	14	1,094	67-791
	कुल	**102**	**5,401.18**	**26-8694**

विवरणी 10बी : परियोजना आयात में विलंब /अंतिम रूप न दिया जाना					
					संदर्भ: पैरा संख्या 3.2
क्र.सं.	आयुक्तालय	मामलों की संख्या	माल का सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	संविदा अंतिम रूप से तय हुई है या नहीं (हां/नहीं)	विलंब की सीमा (दिनों में)
1	एनसीएच मुंबई	3	223.52	नहीं	247-1996
2	जेएनसीएच, मुंबई	3	112.23	नहीं	119-595
3	सीसी, बेंगलुरु	2	11.93	नहीं	1025-2731
4	सीसी, विशाखापत्तनम	1	47.17	नहीं	426
5	आईसीडी तुगलकाबाद	7	122.86	नहीं	1419-2840
6	एनसीएच, दिल्ली	9	164.01	नहीं	231-1502
7	सीसी, मुंद्रा	3	212.55	नहीं	40-334
8	सीसी, अहमदाबाद	2	207.69	नहीं	1608-1958
9	सीसी, चेन्नई-II	6	330.72	नहीं	287-1969
10	सीसी, कोचीन	1	149.00	नहीं	2358
11	सीसी, लुधियाना	1	192.23	नहीं	672
	कुल	**38**	**1,773.91**		**40-2840**

विवरणी 11 : अनंतिम रूप से निर्धारित बिल ऑफ एंट्री को अंतिम रूप नहीं दिया जाना/ अंतिम रूप देने में विलंब

संदर्भ: पैरा संख्या 3.3

क्र.सं.	आयुक्तालय	पंजीकरण की संख्या	माल का सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	बीई की कुल संख्या	अंतिम रूप दिये गए बीई	बीई को अंतिम रूप दिये जाने में विलंब की सीमा (दिनों में)	बीई की संख्या जहां अंतिम रूप दिया जाना लंबित है	दिनों में देरी की सीमा जहां अंतिम रूप दिया जाना लंबित है
1	एनसीएच, मुंबई	1	397.00	50	50	291	0	-
2	आईसीडी तुगलकाबाद	12	362.52	38	31	22-1,674	7	414-2,402
3	एसीसी, दिल्ली	1	7.06	12	12	471	0	-
4	सीसी, नोएडा	1	19.66	8	8	350	0	-
5	सीसी (पूर्व) लखनऊ	3	32.25	22	18	233	4	1,749-1,779
6	सीसी, जोधपुर	2	47.06	38	38	199-324	0	-
7	सीसी चेन्नई II	1	0.48	1	1	664	0	-
8	सीसी (पोर्ट) कोलकाता	56	4,809.95	493	9	2,067-5,978	484	84-5,924
	कुल	**77**	**5,675.98**	**662**	**167**	**22-5,978**	**495**	**84-5,924**

विवरणी 12 बॉन्ड/बैंक गारंटी का विधिमान्यकरण न होना						
संदर्भ : पैरा संख्या 4.1.1						
क्र सं	आयुक्तालय	पंजीकरण की संख्या	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	बॉन्ड या बीजी	बीजी की राशि (₹ करोड़ में	बांड की राशि (₹ करोड़ में)
1	एनसीएच, मुंबई	9	743.15	बीजी	4.46	0
2	जेएनसीएच, मुंबई	2	28.59	बीजी	0.57	0
3	सीसी (पोर्ट), कोलकाता	3	55.37	बीजी/बॉन्ड	0.58	12.00
4	एसीसी, बेंगलुरु	10	435.29	बॉन्ड	0	446.39
5	सीसी, बेंगलुरु	13	1,027.15	बीजी/बॉन्ड	1.62	812.47
6	सीसी, विशाखापत्तनम	14	1,088.46	बीजी/बॉन्ड	0.90	2,275.93
7	आईसीडी तुगलकाबाद	139	2,783.00	बीजी/बॉन्ड	7.26	2,364.10
8	सीसी, नोएडा	17	698.91	बीजी/बॉन्ड	2.78	516.39
9	सीसी (पूर्व) लखनऊ	8	199.23	बॉन्ड	0	181.42
10	सीसी, जोधपुर	1	595.03	बॉन्ड	0	446.35
11	एसीसी, नई दिल्ली	28	262.44	बीजी/बॉन्ड	1.37	194.13
	कुल	**244**	**7,916.62**		**19.54**	**7,249.18**

विवरणी 13 : अपेक्षित बॉन्ड एवं बैंक गारंटी को प्रस्तुत न करना/अल्प प्रस्तुतीकरण									
संदर्भ : पैरा संख्या 4.1.2									
क्र. सं.	आयुक्तालय	पंजीकरण की संख्या	संविदा की सीआईएफ़ मूल्य (₹ करोड़ में)	बॉन्ड का प्राप्त किए जाने वाले मूल्य (₹ करोड़ में)	प्राप्त बॉन्ड का मूल्य (₹ करोड़ में)	बॉन्ड में कमी (₹ करोड़ में)	सीआईएफ मूल्य का 2% (बीजी के लिए) (₹ करोड़ में)	प्राप्त किया गया बीजी (₹ करोड़ में)	बीजी में कमी (₹ करोड़ में)
1	जेएनसीएच, मुंबई	1	73.25	77.88	77.31	0.57	-	-	-
2	सीसी (पोर्ट), कोलकाता	1	30.25	30.80	30.25	0.55	-	-	-
3	सीसी, अहमदाबाद	1	49.23	49.23	50.00	-	0.98	0.60	0.38
	कुल	**3**	**152.73**	**157.91**	**157.56**	**1.12**	**0.98**	**0.60**	**0.38**

विवरण-14 : पंजीकरण के बंदरगाह से अन्य पर आयात के बांड का डेबिट नहीं किया जाना			
			संदर्भ : पैरा संख्या 4.1.3
क्र.सं.	**आयुक्तालय**	**पंजीकरण की संख्या**	**सीआईएफ़ मूल्य (₹ करोड़ में)**
1	एनसीएच, मुंबई क्षेत्र 1	2	241.90
2	सीसी चेन्नई II	1	36
कुल		**3**	**277.90**

विवरणी 15 : संबद्ध पक्ष के मध्य वस्तु का मूल्यांकन			
			संदर्भ : पैरा संख्या 4.2
क्र.सं.	**आयुक्तालय**	**परियोजना आयात मामलों की संख्या**	**निर्धारण योग्य मूल्य (₹ करोड़ में)**
1	एनसीएच, मुंबई	5	455.63
2	सीसी, चेन्नई II	16	410.92
	कुल	**21**	**866.55**

विवरणी 16 : परियोजना आयात के लंबित होने की गलत रिपोर्टिंग

संदर्भ: पैरा संख्या 4.4

क्र.सं.	आयुक्तालय	31-03-2024 के रजिस्टर के अनुसार पीआई मामलों की संख्या	परियोजना आयात रजिस्टर के अनुसार मूल्य (₹ करोड़ में)	एमपीआर/ अनुलग्नक-I के अनुसार मार्च 2024 के लिए पीआई मामलों की संख्या	एमपीआर/ अनुलग्नक-I के अनुसार मूल्य (₹ करोड़ में)	अंतर	
						परियोजना आयात की संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)
1	सीसी, (पूर्व) लखनऊ	5	147.39	5	6.34	0	141.06
2	सीसी, नोएडा	4	104.08	0	0.00	4	104.08
3	सीसी, मुंद्रा	28	2,042.75	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4	सीसी, अहमदाबाद	7	1,306.02	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5	सीसी, जोधपुर	33	54,369.53	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6	सीसी, लुधियाना	1	192.23	शून्य	शून्य	1	192.23
7	सीसी (पोर्ट), कोलकाता	33	3,558.62	57	11,988.41	24	8,429.79
8	सीसी, कोचीन	14	3,972.13	13	3,431.51	1	540.62
9	सीसी, भुवनेश्वर	2	1,103.84	3	440.47	1	663.37
	कुल	**127**	**66,796.59**	**78**	**15,866.73**	**31**	**10,071.15**

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/hi/page-27-of-2026